खण्ड–501, अंक–06
गुरुवार, 05 श्रावण, शक संवत् 1939
(27 जुलाई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 501 में 06 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-25
वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान सं0-26-गृह विभाग (पुलिस)	26-36
वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ...	37
वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)... ...	37
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक-2017.. (पुनः स्थापित एवं पारित)	37-46
भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन प्रतिवेदन सं0-04, वर्ष 2017 (सदन के पटल पर रखा गया)	46-47
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	47
भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन एवं बिहार में श्री नीतीश कुमार के पुनः मुख्य मंत्री एवं श्री सुशील मोदी के उप मुख्य मंत्री बनने पर बधाई प्रस्ताव (स्वीकृत)	47-48
माननीय सदस्यों को सूचना विभाग की डायरी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	49-52
मुजफ्फरनगर दंगों पर गठित जांच समिति की संस्तुति के सन्दर्भ में अग्रेतर कार्यवाही न किये जाने का प्रस्ताव	52
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित) ...	52-53
अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)	54-56
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)	56-57
मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)	57-59
कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)	59-61
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)	61-64
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)	65-66
विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)	67-68

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)... ...	68-70
समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)... ...	70-71
मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित) ...	71-73
न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)	73-74
ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)	75-77
उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)	77-79
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	80-82
वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर-07 एवं 08 के अन्तर्गत अर्द्धनिर्मित सड़क का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	83
जनपद उन्नाव में पर्यटन विभाग से सौन्दर्यीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	83
बुलन्दशहर नगर में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से खोली गई मीट की दुकानों को तत्काल बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	83-84
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शूरवीर राजा नरपति सिंह की कर्मभूमि, शौर्यभूमि रूइयागढ़ी परिसर माधौगंज, हरदोई को पर्यटन स्थल घोषित कर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में बारिश के पानी के निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद सिद्धार्थनगर के उस्का सिद्धार्थनगर मुख्य मार्ग की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल को कतिपय ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के जमुना बाजार का ट्यूबवेल की मशीन की मरम्मत एवं रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद बरेली में सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद जौनपुर के केराकत तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद अलीगढ़ में खैर सोमना रोड से ग्राम देवपुर तक सम्पर्क मार्ग पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत चौकीबाजार के बभनजोत विकास खण्ड में महिला अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
जनपद मिर्जापुर की बरही नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
गलत ढंग से संचालित मे0 उन्नाव डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 शेखपुर उन्नाव पर कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	87
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के बाह नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	87-88
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के ब्लाक शिवपुर के अन्तर्गत आने वाले मन्दिरों को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं के पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
बलिया विधान सभा क्षेत्र के समस्त निवासियों को सरफेस वाटर स्कीम के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88-89
नगर फिरोजाबाद में 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
दुपहिया वाहनों पर चालक के साथ बैठने वाले दूसरे व्यक्ति को भी हेलमेट अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
जनपद एटा के मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89-90
जनपद बरेली में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय बस्तियों को मुजफ्फरनगर, नगर पालिका में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	90
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के कतिपय सड़क तथा पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90-91
जनपद सहारनपुर शहीद श्री जयद्रथ सिंह निवासी भगवानपुर के ग्राम के मुख्य द्वार को शहीद जयद्रथ का नाम दिये जाने एवं उनकी प्रतिमा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	91

विषय	पृष्ठ-संख्या
गोताखोरों की स्थायी नियुक्ति एवं उचित मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद जालौन में कौंच से माधौगढ़ तक मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बल्देव में लो0नि0वि0 द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद गाजीपुर के जमानिया में इण्टर कालेज में साइंस की पढ़ाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	92
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में कई वर्षों से मार्गों का निर्माण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद बरेली में पुलिस स्टेशन भुता के जर्जर भवन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	93
जनपद बरेली में ओसवाल चीनी मिल के बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत नवेरी में चीनी मिल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	93-94
जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में पचनंदा परियोजना को जल्द प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	94
जनपद पीलीभीत में रिंग मार्ग बीसलपुर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
प्रदेश में शिक्षामित्रों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के गांव पचगाई, चचोई, बहोराबास एवं अगराई को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चोला में शामिल करते हुए थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में पानी की टंकी का निर्माण कराकर पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95-96
जनपद हरदोई के तहसील शाहाबाद में निर्मित मुन्सिफ कोर्ट आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	96
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96-97

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के सभी रजवाहों में पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र शामली के गांव लिसाढ़ में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	97-98
प्रदेश के नगर निगमों में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद सहारनपुर के थाना तितरों के कतिपय गांवों को थाना गंगोह में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद मुजफ्फरनगर में स्वामी कल्याण देव चिकित्सालय व आयुर्वेदिक कालेज में घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	99
जनपद औरैया में बारात घर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्टेडियम निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	99
आगरा उत्तर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99-100
प्रदेश के जिला पंचायतों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्यालय स्तर पर कोष्ठक का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	100
जनपद हरदोई के सण्डीला बेनीगंज मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद हरदोई में सवायजपुर तहसील मुख्यालय पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	100-101
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के ब्लाक हाथरस में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	101
जनपद लखनऊ के ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय को लखनऊ मेट्रो रेल सेवा से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	101
जनपद लखनऊ के बुद्धेश्वर मन्दिर में सीता कुण्ड को पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	101-102
प्रदेश में दैनिक वेतन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद बहराइच में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद कानपुर के प्राकृतिक झील को भू-माफियाओं से मुक्त कर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	103
वाराणसी शहर के गोदौलिया सहित अन्य सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104-105
जनपद कौशाम्बी के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में पाइपलाइन से जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद लखनऊ में ग्राम बरावन कला में सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में कोल/निर्बल आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	105-106
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में बाबा बाजार को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	106
खुर्जा नगर में बाई-पास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	106-107
प्रदेश के विद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	107-108
जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	108
जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र बछरांवां अन्तर्गत नहरों रजवाहों की सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	108
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	108-112
प्रदेश में बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू कराने तथा उक्त बन्द मिलों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक दिनांक 12-07-2017 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-09, नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री सुभाष पासी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा (व्यपगत)	112
सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार	113-120

विषय		पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के सदस्यगण तथा पत्रकारों के लिए मध्यान्ह भोज की सूचना	...	121
सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव... ...	...	121
राष्ट्रगान	...	121-122

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई, 2017

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-293

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'' कुंवर — गोण्डा
4. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
7. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
8. अनिल कुमार मौर्य, श्री — सोनभद्र
9. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
10. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
11. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
12. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
13. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
14. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
15. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
16. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
17. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
18. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
19. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
20. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
21. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
22. अवतार सिंह भडाना, श्री — मुजफ्फरनगर
23. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
24. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
25. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
26. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
27. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
28. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
29. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
30. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
31. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
32. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
33. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
34. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
35. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
36. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
37. कमल रानी, श्रीमती — कानपुर नगर
38. कमल सिंह मलिक, श्री — हापुड़
39. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
40. कमलेश सैनी, श्रीमती — बिजनौर
41. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
42. कारिन्दा सिंह, श्री — मथुरा

43. काली प्रसाद, श्री देवरिया
44. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
45. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
46. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
47. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
48. केसर सिंह, श्री बरेली
49. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
50. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
51. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
52. गंगा, श्री कुशीनगर
53. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
54. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
55. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
56. गौरी शंकर, श्री जालौन
57. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
58. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
59. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
60. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
61. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
62. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
63. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
64. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
65. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
66. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
67. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
68. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
69. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
70. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
71. जयमंगल, श्री महाराजगंज
72. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
73. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
74. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
75. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
76. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
77. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
78. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
79. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
80. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
81. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
82. दल बहादुर, श्री रायबरेली
83. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
84. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
85. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
86. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
87. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
88. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
89. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
90. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
91. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
92. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
93. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
94. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
95. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
96. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
97. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
98. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
99. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
100. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
101. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
102. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ

103. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
104. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
105. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
106. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
107. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
108. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
109. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
110. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
111. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
112. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
113. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
114. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
115. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
116. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
117. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
118. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
119. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
120. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
121. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
122. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
123. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
124. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
125. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
126. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
127. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
128. बावन सिंह, श्री गोण्डा
129. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
130. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
131. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
132. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
133. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
134. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
135. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
136. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
137. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
138. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
139. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
140. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
141. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
142. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
143. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
144. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
145. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
146. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
147. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
148. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
149. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
150. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
151. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
152. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
153. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
154. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
155. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
156. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
157. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
158. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
159. योगेश धामा, श्री बागपत
160. योगेश वर्मा, श्री खीरी
161. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
162. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
163. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
164. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर

165. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
166. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
167. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
168. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
169. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
170. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
171. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
172. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
173. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
174. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
175. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
176. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
177. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
178. राज करन कबीर, श्री बांदा
179. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
180. राजबाला, श्रीमती रामपुर
181. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
182. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
183. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
184. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
185. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
186. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
187. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
188. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
189. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
190. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
191. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
192. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
193. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
194. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
195. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
196. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
197. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
198. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
199. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
200. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
201. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
202. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
203. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
204. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
205. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
206. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
207. लाखन सिंह, श्री औरैया
208. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
209. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
210. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
211. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
212. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
213. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
214. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
215. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
216. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
217. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
218. विजय मिश्र, श्री भदोही
219. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
220. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
221. विनय शाक्य, श्री औरैया
222. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
223. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा

224. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
225. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
226. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
227. वीरेन्द्र, श्री एटा
228. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
229. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
230. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
231. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
232. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
233. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
234. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
235. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
236. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
237. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
238. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
239. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
240. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
241. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
242. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
243. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
244. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
245. संजय, श्री बुलन्दशहर
246. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
247. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
248. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
249. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
250. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
251. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
252. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
253. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
254. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
255. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
256. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
257. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
258. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
259. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
260. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
261. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
262. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
263. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
264. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
265. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
266. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
267. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
268. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
269. सुरेन्द्र, श्री बलिया
270. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
271. सुरेश कुमार, श्री शामली
272. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
273. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
274. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
275. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
276. सुरेश राही, श्री सीतापुर
277. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
278. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
279. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
280. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
281. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
282. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
283. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
284. सौरभ सिंह, श्री खीरी
285. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ

286. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
287. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
288. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
289. हरीराम, श्री सोनभद्र
290. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
291. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
292. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
293. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोटः– मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), परिवहन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

अधिकांश प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं, जो प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं उनके आगे प्रश्नोत्तरों में अनुपस्थित लिख दिया जाएगा।

शेष सभी प्रश्न, सारे प्रश्न, अनुपस्थित सदस्यों के भी और उपस्थित सदस्यों के भी कार्यवाही का भाग बनेंगे।

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उ0प्र0 में सम्पूर्ण किसानों का कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में

***01-श्री शैलेन्द्र यादव ललई-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 तक लिए गए फसली ऋणों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके द्वारा किए गए प्रति भुगतान को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष ऋण की धनराशि रुपये 1.00 लाख की सीमा तक मोचित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रत्येक ब्लाक में सरकारी आई0टी0आई0 खोलने की मांग

***01-श्री नितिन अग्रवाल-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवाओं को उद्यम परक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री (श्री चेतन चौहान)-

शासनादेश संख्या-3477/89-व्या0शि0-2013-63(एम)/2013, दिनांक 06 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रदेश की असेवित तहसीलों एवं विकास खण्डों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की नीति जारी की गयी है। नीति के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से सर्वप्रथम असेवित तहसीलों को तत्पश्चात् असेवित विकास खण्डों को संतृप्त किया जाना है।

उक्त नीति के अनुपालन तथा बजट की उपलब्धता के क्रम में गत वित्तीय वर्ष 2016-17 तक कुल 81 असेवित तहसीलों में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किये जा चुके हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश की असेवित तहसीलों एवं विकास खण्डों में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में ओलम्पिक्स कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों की सफलता के लिये कोई ठोस योजना

***02-श्री पंकज सिंह**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ओलम्पिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर विभिन्न स्पर्धाओं में प्रदेश के खिलाड़ियों की सफलता के लिये ताकि वे देश प्रदेश का गौरव बढ़ा सकें, के लिये सरकार की काई ठोस योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा जनपदों में स्थापित स्टेडियमों में 06 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को 30 खेलों में प्रशिक्षण शिविर कराया जाता है।

2-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रतिभावान/कुशल खिलाड़ियों को प्रदेश की शासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में लोग सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर नियुक्त हेतु 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा ओलम्पिक गेम्स, विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल में आयोजित होने वाले), एशियन गेम्स एवं कामनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश के पदक विजेताओं को उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3-प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के लिये प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है।

4-प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उदीयमान खिलाड़ियों को आवासीय क्रीड़ा छात्रावास एवं स्पोर्ट्स कालेज में प्रवेश दिया जाता है जिसमें खिलाड़ी अपने खेल में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते है।

5-स्टेडियम/छात्रावास एवं स्पोर्ट्स कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल एवं राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेते हैं।

6-राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि अर्जित करने के आधार पर खिलाड़ी को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली भारतीय टीम में चयन किया जाता है भारतीय टीम में चयन सम्बन्धित भारतीय खेल महासंघ द्वारा किया जाता है।

7-राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/सैफ गेम्स एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं (ओलम्पिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, एफ्रो एशियन गेम्स) में पदक अर्जित करने पर नगद पुरस्कार राशि अनुमन्य की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

***03-डा0 आर0 के0 वर्मा-**

[05 वें बुधवार के तारांकित प्रश्न सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़े जाने एवं उसके प्रचार-प्रसार की कार्य योजना

***04-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को आधुनिक कृषि कार्य से जोड़ने एवं उसके प्रचार-प्रसार के लिये सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

(1) केन्द्र पुरोनिधानित सब मिशन आयन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE), इसको ATMA योजना भी कहते हैं, के अन्तर्गत नवीन तकनीकी के ज्ञान हेतु कृषक प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीकियों का प्रयोग करते हुये प्रदर्शन का कार्यक्रम, कृषक अध्ययन भ्रमण, किसान मेला, कृषक वैज्ञानिक संवाद, किसान गोष्ठी, कृषक पुरस्कार, फार्म स्कूल आदि कार्यक्रम संचालित है।

(2) राज्य सेक्टर के अन्तर्गत-कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम। इसके अन्तर्गत राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तरीय रबी-खरीफ गोष्ठियों का आयोजन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन स्तरीय 3 दिवसीय विराट किसान मेला, विकास खण्ड स्तरीय कृषि निवेश मेला, प्रदेश के पारस्परिक मेलों/महोत्सवों में 5 दिवसीय विराट किसान मेला, किसान सेवा रथों को संचालन, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से उन्नत कृषि तकनीकी का प्रचार-प्रसार किसानों के बीच किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में बन्द पड़े उर्वरक कारखानों को पुनः चालू कराये जाने की जानकारी

***05-श्री शैलेन्द्र यादव ललई-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने उर्वरक कारखानें स्थापित हैं तथा उनमें से कितने कारखानें चालू हैं एवं कितने बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द उर्वरक कारखानों को पुनः संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान पर संचालित यूरिया उर्वरक के 07 तथा सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के 09 कुल 16 उर्वरक कारखाने स्थापित हैं। इनमें से यूरिया उर्वरक के 06 तथा सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के 05 कुल 11 कारखाने चालू हैं एवं यूरिया उर्वरक का 01 तथा सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के 04 कुल 05 कारखाने बन्द हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में यूरिया उर्वरक का बन्द पड़ा कारखाना भारत सरकार के नियंत्रण में है। सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के बन्द पड़े कारखाने निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हैं। इस प्रकार उक्त बन्द पड़े कारखाने राज्य सरकार के स्वामित्व/प्रबंधन में नहीं हैं।

लखनऊ के विधायक निवासों में मा0 विधायकों के अतिरिक्त लोगों को आवंटित आवासों को निरस्त करने की जानकारी

***06-श्री शरद कुमार अवस्थी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में केवल मा0 विधायकों को ही आवास आवंटित किये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विधायक निवासों में कतिपय संस्थाओं को भी आवास आवंटित कर दिये गये हैं जिनमें अवांछित लोग निवास कर रहे हैं एवं उससे विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधायक निवासों में आवंटित संस्थाओं के आवंटन को निरस्त करते हुये वहां पर केवल विधायकों को ही आवास आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

विधायक निवासों में माननीय विधायकों के अतिरिक्त कतिपय संस्थाओं/अधिकारियों/कर्मचारियों आदि को आवास आवंटित किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में जांच करा ली जायेगी तथा यदि नियमों के विरुद्ध किसी आवास का आवंटन किया गया है, तो नियमानुसार कार्यवाई कर आवास खाली कराया जायेगा।

परीक्षणोपरान्त।

उपर्युक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गौतमबुद्धनगर नोएडा के मुख्यपालक अधिकारी द्वारा मनोज पुत्र देवा व जीता पुत्र निवासी धरबरा, तहसील तिलवाड़ा स्थित भूमि खाता सं0 16 व 25 एवं 18 का अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर भुगतान कराये जाने की जानकारी

1-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गौतमबुद्धनगर, नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा साकिन घरबरा तहसील सदर की तिलवाड़ा स्थित भूमि खाता सं0-16 व 25

एवं खाता सं0-18 व 18 का प्रकाशन एवं प्रतिकर देना अभी लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त अधिग्रहीत भूमि का प्रकाशन कराकर प्रतिकर भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम तिलवाड़ा स्थित खाता संख्या-25, खसरा संख्या-9/1, खाता संख्या-16, खसरा संख्या-25 व 36/2 एवं खाता संख्या-18, खसरा संख्या-82 व 81 यमुना एवं हिण्डन नदी के मुख्य धारा की ओर डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, जिसकी नोएडा प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में पिछड़े वर्ग की लड़कियों के शादी अनुदान की राशि को दो गुना करने की जानकारी

2-श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शादी हेतु सरकार द्वारा दिये जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत दो गुना करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांगजन मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के निर्धन एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजनान्तर्गत अनुदान राशि रु0 10,000/-से बढ़ाकर रु0 20,000/- की गई है।

3-श्री राकेश प्रताप सिंह-

[दिनांक 26-07-2017 को अता0प्र0सं0-167 द्वारा उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के वि0ख0 मानधाता के ग्राम नागापुर में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण विषयक प्रकरण

4-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता के ग्राम नागापुर (पूरेमोतीलाल) में स्वीकृत मिनी स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठतां

राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या-10(4)/35-आ-1/2011-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना शासन द्वारा ज्ञाप कर दी गयी है।

प्रदेश में प्रधान मंत्री योजना के अन्तर्गत जनपदों में उद्योग लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

5-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधान मंत्री योजना के अन्तर्गत उद्योग लगाने के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में किन-किन जनपदों में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये उसमें से कितने स्वीकृत हुये तथा कितने स्वीकृत की प्रत्याशा में लम्बित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि लम्बित प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी ग्रामोंद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार की योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 11831, वर्ष 2015-16 में 10,523 एवं वर्ष 2016-17 में 13813 ऋण आवेदन के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2252, वर्ष 2015-16 में 1557 एवं वर्ष 2016-17 में 1116 ऋण प्रस्ताव बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये थे। उक्त का जनपदवार विस्तृत विवरण संलग्न है। संदर्भित वित्तीय वर्षों के कोई भी ऋण प्रस्ताव स्वीकृति की प्रत्याशा में खादी बोर्ड में लम्बित नहीं हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर लक्ष्य से अधिक चयन होने के पश्चात् लम्बित आवेदन-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बागपत में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान करने की जानकारी

6-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 में कुल कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा प्रशिक्षणोपरान्त कितनों को रोजगार प्रदान किया गया ? क्या सरकार उनके नाम व पते का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जनपद बागपत में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 में क्रमशः 560 व 189 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षित युवाओं में से 43 युवाओं को समायोजित किया गया है जबकि वर्ष 2016-17 में किसी युवा को अभी सेवायोजित नहीं किया जा सका है क्योंकि उनके परीक्षाफल अभी घोषित नहीं किये गये हैं।

जी हां।

जनपद बागपत में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षित कराये गये 560 युवाओं व वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षित कराये गये 189 युवाओं तथा वर्ष 2015-16 में सेवायोजित कराये गये 43 युवाओं के नाम व पते का विवरण सदन के पटल पर रखने हेतु संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मार्च, 2017 से जून, 2017 तक मण्डी परिषद् द्वारा सड़कें बनाने व मरम्मत के सम्बन्ध में खर्च की गयी धनराशि की मांग

7-श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी परिषद् द्वारा किन-किन सड़कों को बनाने व मरम्मत कराने हेतु मार्च, 2017 से जून, 2017 तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है एवं उक्त के अवशेष कार्य हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

8-मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

[दिनांक 26-07-2017 को अता0प्र0सं0-166 द्वारा उत्तरित]

9-श्री भूपेश चौबे-

[4थे मंगलवार के अता0प्र0सं0-75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 मार्टिनगंज, महमूदपुर, फूलपुर आदि दिव्यांग महिला/पुरुष दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग पेंशन एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

10-श्री सुखदेव राजभर-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज, महमूदपुर, फूलपुर एवं निजामबाद मे दिव्यांगजन पेंशन व अन्य सरकारी सहायता से वंचितों को सरकार पेंशन व अन्य सहायता उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त पात्र दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन प्रदान किया जाता है, जिसमें जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-मार्टिनगंज, महमूदपुर, फूलपुर एवं निजामाबाद के पात्र दिव्यांगजन भी सम्मिलित हैं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित अन्य योजनाओं यथा-दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर

प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना एवं दुकान निर्माण/संचालन योजना हेतु दिव्यांगजन द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर सत्यापन के पश्चात् नियमानुसार पात्र आवेदकों को सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के भरारी फार्म में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र में बाऊण्ड्रीवाल बनवाने के सम्बन्ध में

11-श्री रवि शर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के भरारी फार्म में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र की बाउण्ड्रीवॉल न होने के कारण उक्त परिसर में निवास करने वाले कर्मचारी भयभीत रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त केन्द्र की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विज्ञान केन्द्र, भरारी, झांसी वर्तमान में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा के अन्तर्गत है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इस कृषि विज्ञान केन्द्र के परिसर में निवास करने वाले कर्मचारियों से इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कृषि विज्ञान केन्द्र पर वित्तीय पोषण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। अतः कृषि विज्ञान केन्द्र, भरारी, झांसी की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर आधारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण कर शिक्षण संस्थाओं में किसानों के बच्चों के प्रवेश कोटा मानक के अनुसार करने की मांग

12-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण कर सस्ते दर पर शिक्षण संस्थाओं को दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिक्षण संस्थाओं में भूमि अधिग्रहीत किसानों के बच्चों के प्रवेश के लिये कोटा निर्धारित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा अब तक कितने प्रवेश मानक अनुसार हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी वि0स0क्षे0 लालकुआं, कुलेसरा की कालोनियों के विकास की योजना बनाने के सम्बन्ध में

13-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लालकुआं, कुलेसरा और सूरजपुर ग्रामों तथा इनमें बसी कालोनियों में मूलभूत सुविधा

के विकास हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लालकुआ, कुलेसरा और सूरजपुर ग्राम नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत नहीं आते हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ग्राम कुलेसरा एवं सूरजपुर के आबादी क्षेत्रों में ग्राम्य विकास मद में सड़क, सीवर, जलापूर्ति, ड्रेन, स्ट्रीट लाइट, खड़न्जा, बारात घर इत्यादि के विकास कार्य कराये गये हैं। ग्रामवासियों की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार प्राधिकरण द्वारा आबादी क्षेत्र में अपने सीमित संसाधनों से विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से भविष्य में भी कराया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम लालकुआं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा-ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण कर उद्योगों में किसानों को रोजगार दिये जाने की मांग

14-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण कर उद्योगों को दिया गया है ? यदि हां, तो जमीन अधिग्रहण से बेरोजगार हुए किसानों के परिवारों को उक्त उद्योगों में रोजगार दिलाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो अब तक कितने प्रतिशत किसानों के बच्चों को उद्योगों में रोजगार दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां। नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों से जमीन का अधिग्रहण करके उद्योगों को निम्न शर्त के साथ दिया जाता है, जिसका उल्लेख आवंटन जाप एवं पट्टा प्रलेख में भी उपलब्ध है-''आवंटी नोएडा क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों में जितने कर्मचारी नियुक्त करेगा उनमें कम से कम 5 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे होंगे जो नोएडा क्षेत्र के गांवों के मूल निवासी अथवा उनके आश्रित है तथा जिनकी भूमि प्राधिकरण द्वारा नोएडा क्षेत्र के विकास के लिये अधिग्रहीत की गयी है।'' ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 105वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि पर लगने वाले औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय कृषकों के बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार परिवार के एक सदस्य को रोजगार/नौकरी दिलाये जाने की व्यवस्था है। यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण बोर्ड की 51वीं बैठक दिनांक 15-09-2014 की मद सं0-9 में निम्न निर्णय लिया गया है-''पट्टेदार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के अर्जन से प्रभावित कृषकों या उसके परिवार के एक आश्रित सदस्य को योग्यता के आधार पर श्रेणी चार या श्रेणी तीन के कुल पदों के 10 प्रतिशत पर नौकरी में वरीयता प्रदान करेगा।''

नोएडा प्राधिकरण द्वारा सूचना संकलित की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थानुसार किसानों के बच्चों से प्राप्त हो रहे नौकरी सम्बन्धी उनकी योग्यता के अनुसार सम्बन्धित इकाइयों को प्राधिकरण के माध्यम से आवरण पत्र के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं।

यमुना प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तक औद्योगिक आवंटन योजना 2015 के अन्तर्गत कुल 844 औद्योगिक भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं, परन्तु अभी तक यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाई क्रियान्वित नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र में अभी तक उद्योगों में किसानों के परिवारों को रोजगार दिलाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी बाईपास को जी0टी0 रोड से जोड़ने की मांग

15-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर का निर्माणाधीन दादरी बाईपास को जी0टी0 रोड से जोड़ने की योजना है ? क्या यह सही है कि किसानों के स्टे के कारण इसे जी0टी0 रोड से जोड़ने का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों से समझौता कर उनकी मांगों का निस्तारण कराकर इस बाईपास को समयबद्ध सीमा में जी0टी0 रोड से जोड़ने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कुल 3830 मीटर लम्बे इस सम्पर्क मार्ग में से 950 वर्ग मीटर भूमि को छोड़ कर शेष मार्ग का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। अवशेष मार्ग के संरेखण में आ रही कृषकों की भूमि से सम्बन्धित रिट याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।

प्रदेश के बाहर पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में

16-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित वर्ग व सामान्य वर्ग के जो बच्चे प्रदेश के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं को छात्रवृत्ति दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की भांति पिछड़े वर्ग के बाहर पढ़ रहे बच्चों को भी छात्रवृत्ति दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र, जिनके माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपया 2.00 लाख या इससे कम है, को प्रदेश के बाहर शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में (कतिपय अपवाद स्वरूप पाठ्यक्रमों

को छोड़कर) विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत होने पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की नियमानुसार देय धनराशि को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं को योजना में बजट की उपलब्धता एवं सुसंगत छात्र की नियमावली में निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार दिये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय संसाधन कमी आदि के दृष्टिगत प्रदेश में ही अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्रायें दशमोत्तर छात्रवृत्त/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से आच्छादित न हो पाने के कारण पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 2016 द्वारा निर्गल ''उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016'' में उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने सम्बन्धी प्राविधान समाप्त कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

17-श्री पंकज गुप्ता-

[दिनांक 26-07-2017 को अता0प्र0सं0-168 द्वारा उत्तरित]

उ0प्र0 में किसानों को अच्छे कृषि उपकरण क्रय कराने की मांग

18-मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को कृषि उपकरण पर अनुदान सरकार देती है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त उपकरण की गुणवत्ता के मानक सरकार ने निर्धारित किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

जी नहीं।

उपकरण की गुणवत्ता हेतु कृषि मंत्री को भारत सरकार के एफ0एम0टी0आई0 (फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त केन्द्रीय संस्थान (भारतीय मानक ब्यूरो) से प्रमाण-पत्र प्राप्त यंत्र पर ही राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

जनपद गौतमबुद्धनगर के वि0स0क्षे0 दादरी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना क्षेत्रों के विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा कराने के सम्बन्ध में

19-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा क्षेत्र में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को समाप्त कर दिये जाने के बाद उक्त क्षेत्रों के विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब से और उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्रामों का विकास सेक्टरों की तर्ज पर ही किया जाता है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा ग्रामों में सीवर लाइन, जलापूर्ति लाइन, विद्युत आपूर्ति लाइनें, सी0सी0 रोड, नालियां व आवश्यकतानुसार बारात घर/पंचायत घर का निर्माण व अनुरक्षण किया जाता है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में रु0 42.28 करोड़ का व्यय किया गया है तथा वर्ष 2017-18 हेतु रु0 114.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में 124 ग्रामों के कृषकों के आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण अवस्थापना विकास, शिक्षण केन्द्रों का विकास, अनौपचारिक शिक्षा जन स्वास्थ्य हेतु निरन्तर सफाई अभियान की योजनायें चलाई जा रही हैं तथा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ग्रामों में सेक्टरों की भांति समस्त सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं, जैसे सीवर, ड्रेनेज, पानी, बिजली एवं बरात घर इत्यादि। वर्ष 2017-18 में ग्रामों में आवश्यकतानुसार विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

दादरी विधान सभा क्षेत्र की यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के परिसीमन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई ग्राम पंचायत अवस्थित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के वि0स0क्षे0 दादरी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना क्षेत्रों के विकास कार्य के लिये बजट में वृद्धि करने की मांग

20-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा क्षेत्र में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत समाप्त कर दिये जाने के बाद उक्त क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से बजट की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा क्षेत्र में नोएडा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के विकास के लिये नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपने अनुमोदित बजट में ग्राम विकास की मद में बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों के विकास की मद में धनराशि रु0 158.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में रु0 42.28 करोड़ का व्यय किया गया है तथा वर्ष 2017-18 हेतु रु0 114.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में 124 ग्रामों के कृषकों के आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण अवस्थापना विकास, शिक्षण केन्द्रों का

विकास, अनौपचारिक शिक्षा जन स्वास्थ्य हेतु निरन्तर सफाई अभियान की योजनायें चलाई जा रही हे तथा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ग्रामों में सेक्टरों की भांति समस्त सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है जैसे सीवर, ड्रेनेज, पानी बिजली एवं बरात घर इत्यादि। वर्ष 2017-18 में ग्रामों में आवश्यकतानुसार विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

दादरी विधान सभा क्षेत्र की यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के परिसीमन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई ग्राम पंचायत अवस्थित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के वि0स0क्षे0 दादरी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना क्षेत्रों में खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने के सम्बन्ध में

21-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा क्षेत्र में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत समाप्त किये जाने के पश्चात उक्त क्षेत्रों में खराब सरकारी हैण्डपम्पों को रिबोर प्राधिकरण करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा क्षेत्र में हैण्डपम्पों की स्थापना/रि-बोर इत्यादि का कार्य नहीं कराया जाता है, अपितु नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा क्षेत्र में आने वाले समस्त विकसित सेक्टरों व ग्रामों में पाइप लाइन के माध्यम से नागरिकों को नलकूपों, रेनीवेलों व गंगाजल मिश्रित जलापूर्ति उपलब्ध कराया जाता है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत खराब हैण्डपम्पों के रि-बोर कार्य हेतु उ0प्र0 जल निगम से विस्तृत आगणन मांगा गया है। आगणन प्राप्त होने के उपरान्त वांछित धनराशि उ0प्र0 जल निगम को शीघ्र अवमुक्त कर रि-बोर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

दादरी विधान सभा क्षेत्र यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के परिसीमन क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में कुश्ती प्रतियोगिताओं के लिये इण्डोर स्टेडियम का निर्माण करने की मांग

22-श्री रवि शर्मा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी द्वारा अनेकों ओलम्पियन खिलाड़ी देने का गौरव के दृष्टिगत क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मानक (गद्दों पर) कुश्ती प्रतियोगिताओं के लिए जनपद झांसी में इण्डोर स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

सम्प्रति ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड मुख्यालय झांसी में क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिये अलग से क्रिकेट मैदान बनाने की मांग

23-श्री रवि शर्मा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में क्रिकेट के लिए उ0प्र0 क्रिकेट संघ द्वारा बोर्ड ट्राफी के मैच आवंटित होने के बावजूद बीसीसीआई द्वारा अधिकृत नियमों के क्रिकेट मैदान न होने के कारण मैच आयोजित नहीं कराये जा सके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए उक्त मानक का क्रिकेट मैदान बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

क्षेत्रीय खेल कार्यालय, झांसी में बी0सी0सी0आई0 द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के ध्यान चन्द्र स्टेडियम परिसर में भूमि की अनुपलब्धता के दृष्टिगत क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद जौनपुर की बन्द पड़ी कताई मिल के मजदूरों के बकाये का भुगतान कराने की मांग

24-श्री पारसनाथ यादव-

क्या औद्योगिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में बन्द पड़ी कताई मिल में काम करने वाले हजारों मजदूरों का वेतन एवं अन्य देय बकाया है, जिसके कारण मजदूरों द्वारा आये दिन उक्त भूमि पर निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य में अवरोध पैदा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मजदूरों के बकाये देय का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

जी हां, चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवश्यक बजट प्राविधान कराकर भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की गोंड़ जाति की उपजाति धरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़ को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में

25-श्री अक्षयवर लाल गोंड़-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गोंड़ जाति की पर्याय/उपजाति धुरिया, नायक, ओझा, पठारी राजगोंड को (जनजाति में घोषित 13 जिलों को छोड़कर) अनुसूचित

जनजाति में शामिल करने की संस्तुति भारत सरकार को भेजने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 मई, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के गोंड़ समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्रांक 6125 दिनांक 03-12-1987 संख्या-454 सीएम दिनांक 15-08-1995 शासनादेश संख्या-373 के सम्बन्ध में

26-श्री अक्षयवर लाल गोंड-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्रांक 6125, दिनांक 3 दिसम्बर, 1987, संख्या 454 सी एम, दिनांक 15 सितम्बर, 1995, शासनादेश सं0-373, दिनांक 2 मार्च, 1998, संख्या 4370, दिनांक 27 सितम्बर, 2001, संख्या 330 सीएम, दिनांक 3 जनवरी, 2007 द्वारा स्पष्ट आदेश दिये जाने के बावजूद प्रदेश में गोंड़ जाति एवं उसकी उपजाति पर्याय को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की सुविधा कतिपय भ्रान्तियों के कारण नहीं मिल पाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ प्रसाद गोंड़ राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा का पत्र दिनांक 30 मई, 2017 के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

ब्राम्हण समाज द्वारा ओझा एवं नायक जाति द्वारा लिये गये गलत तरीके से अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में दिये गये पत्रांक 665/26-03-2016-रिट(27)/2011, दिनांक 24-02-2016 के सम्बन्ध में

27-श्री अक्षयवर लाल गोंड-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 665/26-3-2016-रिट (27)/2011, दिनांक 24 फरवरी, 2016 द्वारा जिलाधिकारी महराजगंज,

सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र से ब्राह्मण समुदाय के ओझा एवं नायक जाति के लोगों द्वारा गलत तरीके से लिये गये अनुसूचित जन जाति के जाति प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में छः बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सूचना सभी जिलाधिकारियों से प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राप्त सूचना सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों को पदोन्नति, ए0सी0पी0 का लाभ देने की जानकारी

28-श्री अक्षयवर लाल गोंड़-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों की 25 से 28 वर्ष तक की सेवा पूर्ण हो जाने के बावजूद विभाग में पदोन्नति का पद उपलब्ध रहने पर भी न तो उनकी पदोन्नति की जा रही है और न ए0सी0पी0 का लाभ ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को पदोन्नति एवं ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

संस्थान में कार्यरत कुल 08 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों में से 01 कर्मचारी को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराया जा चुका है। 02 कर्मचारी नवनियुक्त हुये हैं जिनकी सेवा अवधि 1 वर्ष के अन्दर की है, शेष 05 कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति पूर्व में तदर्थ रूप से की गयी थी, को 14 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान विनियमितीकरण की तिथि दिनांक 25-02-2005 से अनुमन्य कराया जा चुका है तथा द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ भी अनुमन्य करा दिया गया है। 14 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान दिये जाने की तिथि दिनांक 25-02-2005 (विनियमितीकरण की तिथि) से 12 वर्ष (26 वर्ष की सेवा) दिनांक 24-02-2017 को पूर्ण होती है। अतः स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर इन्हें तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने की अनुमन्यता पर विचार किया जायेगा एवं पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश की गोंड़ जाति की उपजाति के धुरिया, ओझा, पठारी, राजगोंड़ आदि को अनुसूचित जन जाति में सम्मिलित किये जाने की मांग

29-श्री अक्षयवर लाल गोंड-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गोंड़ जाति की उपजाति के रूप में धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़, पठान, कहार, गोड़िया, बाथम, धीमर, सोरहिया, रायकवार को अनुसूचित जाति में शामिल करने के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं आर0जी0आई0 के प्रस्ताव के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की केवल धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड की संस्तुति होने के कारण इन पांच नामों को छोड़कर शेष नामों पर निर्णय नहीं हो पाया है ? क्या उक्त के सम्बन्ध में राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा का पत्र दिनांक 30 मई, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

भारत का राजपत्र दिनांक 08-01-2003, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002, अनुसार गोंड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में यूरिया एवं डी0ए0पी0 खादों पर सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में

30-श्री संजय गर्ग-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यूरिया एवं डी0ए0पी0 खादों के दाम बढ़ायें गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये खाद के दामों पर सब्सिडी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

यूरिया उर्वरक की दरें भारत सरकार द्वारा एवं डी0ए0पी0 उर्वरक की दरें उर्वरक कम्पनियों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती हैं। दिनांक 01 जुलाई, 2017 से नई कर प्रणाली (वस्तु एवं सेवाकर) लागू होने के उपरान्त प्रदेश में यूरिया की दरों में कमी एवं डी0ए0पी0 की दरों में बढ़ोत्तरी हुई है।

जी नहीं।

उर्वरक की आपूर्ति पूर्णतया भारत सरकार के नियंत्रण में है। भारत सरकार द्वारा नीति निर्धारित कर पूर्व से ही उर्वरकों पर अनुदान सीधे उर्वरक कम्पनियों को दिया जा रहा है।

प्रदेश में मण्डलवार कृषि विश्वविद्यालय खोलने की कार्य योजना

31-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को लाभकारी खेती उपज हेतु उन्नत किस्म के बीज, नये उपकरणों की खोज तथा कृषि क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को प्रोत्साहित कर

कृषि को रोजगारपरक बनाने हेतु मण्डलवार कृषि विश्वविद्यालय खोलने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रदेश में कुल 04 राज्य कृषि विश्वविद्यालय यथा कानपुर/फैजाबाद/बांदा/मेरठ एवं 01 निजी कृषि विश्वविद्यालय शुआट्स, इलाहाबाद स्थापित है।

उन्नाव में पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम को उच्चीकृत करने की जानकारी

32-श्री पंकज गुप्ता-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खेल को बढ़ावा देने हेतु जनपद उन्नाव में पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम को सरकार उच्चीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

खेल को बढ़ावा देने हेतु जनपद उन्नाव में पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम को उच्चीकृत करने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण (लखनऊ से गाजीपुर होकर बलिया) कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

33-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण लखनऊ से गाजीपुर होकर बलिया तक कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना मार्ग निर्मित हो चुका है तथा कितना अभी शेष है ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण जनपद-लखनऊ (चांदसराय) से प्रारम्भ होकर जनपद-बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ होते हुये जनपद गाजीपुर में हैदरिया तक किया जाना है। वर्तमान में भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 30-06-2017 तक कुल आवश्यक भूमि की 49.83 प्रतिशत भूमि का क्रय/पुनर्ग्रहण किया जा चुका है। कुल आवश्यक भूमि की 90 प्रतिशत भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण हो जाने एवं कार्य के अनुबन्ध गठित हो जाने के पश्चात् एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

गौतमबुद्धनगर में अधिग्रहीत आबादी भूमि को वापस करने के सम्बन्ध में

34-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौतमबुद्धनगर जिले में विभिन्न जगहों पर आबादी भूमि की अधिग्रहीत की गयी भूमि की पुनः जांच कराकर अधिग्रहीत आबादी भूमि को वापस (लीज ब्रेक) सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

आबादी भूमि की अधिग्रहीत की गयी भूमि को वापस (लीज बैक) किये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1216/77-3-10-184 अर्जन/09, दिनांक 24-04-2010 तथा नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना प्राधिकरण की अलग-अलग प्रख्यापित क्रमशः नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (आवासीय प्रयोजन हेतु प्रबंधन एवं विनियमितीकरण) (तृतीय संशोधन विनियमावली-2011)/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबंधन एवं विनियमितीकरण) विनियमावली, 2011 यथा संशोधित 2015/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबंधन एवं विनियमितीकरण) विनियमावली, 2011 (यथा संशोधित 2014) के अन्तर्गत दी गयी है। किसी प्रकरण विशेष के संज्ञान में आने पर तीनों प्राधिकरणों द्वारा अपने-अपने अधिसूचित क्षेत्र में उक्त प्राविधानों/व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में उक्त शासनादेश/विनियमावली के प्राविधानों में अधिग्रहीत की गयी भूमि की पुनः जांच कराकर 2163 प्रकरणों में आबादी भूमि को वापस (लीज बैक) कराने का निर्णय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिया गया है।

प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी में पशुपालन, पम्पिंग सेट खरीद, मुर्गीपालन पर लिये गये ऋण को माफ करने के सम्बन्ध में

35-श्री सुखदेव राजभर-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी हेतु लिये गये निर्णय में क्या सरकार किसानों द्वारा पशुपालन, पम्पिंग सेट खरीद, मुर्गीपालन आदि पर लिये गये ऋण को भी माफ किये जाने हेतु सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के दिनांक 31 मार्च, 2016 तक रु0 1.00 लाख तक के फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे में बलदेव में आने-जाने हेतु कट कर रास्ते का निर्माण कराने की जानकारी

36-श्री पूरन प्रकाश-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे में बलदेव के पास आने-जाने हेतु कट नहीं होने के कारण विश्व प्रसिद्ध दाउजी महाराज का मंदिर तथा महावन एवं गोकुल प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल पर जाने हेतु लगभग 40 किलोमीटर घूमकर आने के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या जनहित में सरकार नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे में बलदेव में जाने-जाने हेतु कट का प्रावधान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

एक्सप्रेस-वे का निर्माण निजी पूंजी निवेश के माध्यम से कराने हेतु यमुना प्राधिकरण एवं कंशैसनायर मै0जे0पी0इन्फ्राटेक लि0 के मध्य दिनांक 07-02-2003 को कंशैसन अनुबन्ध हस्ताक्षरित

किया गया। कंशैसन अनुबन्ध के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे प्रवेश नियंत्रित (access controlled) होने के कारण सीमित एण्ट्री/एग्जिट का प्राविधान डी0पी0आर0 में रखा गया था, जिसमें बलदेव में आने-जाने हेतु कट बनाने का प्राविधान नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान सं0-26-गृह विभाग (पुलिस)

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय मुख्या मंत्री जी।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मा0 अध्यक्ष जी, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित जो अनुदान मांगें हैं उससे सम्बन्धित इस विषय पर मुझे कुछ महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखने हैं। अच्छा होता यदि प्रदेश की सुरक्षा और प्रदेश के अन्दर विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में हमारे विपक्षी सदस्य भी सहभागी बनते तो अच्छा संदेश जाता लेकिन सत्य हमेशा कटु होता है और उस कटु को स्वीकार करने की क्षमता प्रत्येक के अन्दर नहीं होती है। दुर्भाग्य से हमारे प्रतिपक्ष के जो साथी हैं उन्होंने उस कटु सत्य को स्वीकार करने की क्षमता समाप्त कर ली है और इसीलिए अब वह इस सदन की गरिमा और मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करने में भी किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। महोदय, 19 मार्च, 2017 को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी प्रदेश की यह सरकार प्रदेश के अन्दर बिना भेदभाव के प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और उस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बजट में भी इस प्रकार के प्रावधान किये गए हैं। गृह विभाग से सम्बन्धित जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज हम लोगों ने माननीय सदन में चर्चा की और जो कार्यवाही अब तक हुई है उस पर कहने के लिए मैं यहॉ पर खड़ा हूं। मुख्य रूप से गृह विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16116.75 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष के बजट प्रावधान की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक है। (मेजों की थपथपाहट) महोदय पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 107.19 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से डायल 100 सिस्टम हेतु जिसमें सुधार की अत्यंत गुन्जाइश है और जिसके बारे में हमारे माननीय सदस्य बार-बार अपनी चिंताओं से अवगत कराते रहे हैं चूँकि विगत जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसकी मंशा अच्छी नहीं थी इसलिए यू0पी0 डायल-100 की जो गाड़ियॉ थीं वह बहुत सारी जगह वसूली के एक अड्डे बन चुके थे और प्रदेश के अंदर कानून-व्यवस्था को सुधारने के बजाय निहित स्वार्थों के लिए उनका दुरुपयोग होने लग गया था और इसीलिए उसमें जवाबदेही तय हो इस दृष्टि से डायल-100 की इन गाड़ियों के लिए एक नया सॉफ्टवेयर विकसित करके यह व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि जो कॉल किसी फरियादी या किसी शिकायतकर्ता के द्वारा की जायेगी तो उस कॉल के लिए वह केवल डॉयल-100 की गाड़ी को ही निर्देश जारी करने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ ही थानाध्यक्ष को भी, सर्किल के डिप्टी एस0पी0 को भी और साथ ही साथ उस जनपद के एस0पी0 और एस0एस0पी0 को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी और वह एक पूरी व्यवस्था के साथ जवाबदेही बना दिया जाएगा। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए डायल-100 सिस्टम हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 296.40 करोड़

रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें 1600 जो मोटरसाइकिल खरीदी जानी है, जिससे टाइम पीरियड और कम किया जा सके। किसी भी फरियादी और किसी भी शिकायतकर्ता के द्वारा कॉल किये जाने के उपरांत कम समय में वहॉं पर उपस्थिति हो सके इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है।

एकीकृत प्रबन्धन प्रणाली हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 26.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सी0टी0, सर्विलांस सिस्टम हेतु वर्ष 2017-18 में 51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पुलिस विभाग में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था तथा निर्माणाधीन पुलिस भवन हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण क्रय के लिए 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग में अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था। नवसृजित जनपदों में पुलिस आवासीय और अनआवासीय भवनों के निर्माण हेतु 18.48 करोड़ रुपये की व्यवस्था, सी0सी0टी0एन0एस0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ की व्यवस्था, अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था और प्रदेश में आने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए एन0डी0आर0एफ0 की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एस0डी0आर0एफ0 का भी गठन हो सके इस दृष्टि से प्रदेश के अंदर 34.68 करोड़ रूपये की व्यवस्था यहॉं पर गृह विभाग के इस अनुदान मॉंगों में बजट के माध्यम से की गई है। महोदय, हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश की सरकार की मंशा साफ है और नीयत भी स्पष्ट है इसलिए सच्चाई सामने न आ जाय, मुझे कभी कभी एक युक्ति याद आती है कि ''चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है''। और यह स्थिति, मुझे लगता है कि उन लोगो को भी अच्छी नहीं लग रही है जो इस सरकार की कार्यपद्धति से सकपका से गये हैं वह पहले ही अपनी हार मान चुके हैं यद्यपि जनता उनको पहले ही सबक सिखा चुकी है। महोदय, उनकी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने इतनी गलतियां कर दी हैं कि अब उसमें सुधार की गुजाइश तो नहीं रही है और इसीलिए उनके द्वारा बार-बार उन बातों का उल्लेख किया जाता है । मैं तो यह समझ नहीं पाता हूँ कि हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य आखिर किन मुद्दों को उठाना चाहते हैं । वह हर उस गलत कार्य का समर्थन करते हैं अगर कहीं पर बालिकाओं के साथ, बेटी और बहनों के साथ उनकी सुरक्षा के सामने कोई खतरा है और उसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार एन्टी रोमियो स्क्वाएड का गठन करती है तो उनको इस पर भी आपत्ति है।

प्रदेश में अगर एनजीटी और सुप्रीमकोर्ट के आदेश के आलोक में पूर्ववर्ती सरकार जिन आदेशों का पालन नहीं करवा पाई थी अगर इस नवगठित सरकार ने 24 घन्टे के अन्दर प्रदेश के अन्दर तमाम अवैध बूचड़खानों को सख्ती के साथ बन्द किया तो उनको उस पर भी आपत्ति थी कि क्यों बन्द कर दिया लेकिन उनकी कुछ भी नहीं चल पाई क्योंकि जनता ने कोई सहयोग नहीं दिया हम लोगों ने तो यह भी कहा चुनाव के पहले भी कहा, चुनाव के बाद भी कहा हम लोग उन मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं उस पर पूरी सख्ती के साथ जनता के हित में आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के हित में लोक हित में, प्रदेश के गांव गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं व्यापारियों इन सबकी सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है लेकिन हमारे सहयोगियों को इस पर भी आपत्ति है कि हम कार्रवाई क्यों कर रहें हैं। एन्टी रोमियों स्क्वाएड में 22 मार्च से ले करके 22 जुलाई तक कुल 3 लाख 43 हजार 345 स्थलों में चेकिंग की कार्रवाई हुई है और इसमें जिन लोगों को चेक किया गया है, जिस प्रकार के लोग थे उसमें 11 लाख 21 हजार 338 लोगों को उस

दौरान चेक किया गया, उनकी गतिविधियों को चेक किया गया, 763 अभियोग पंजीकृत हुए, 1 हजार 580 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी और 4 लाख 69 हजार 144 लोगों को सचेत करते हुए उनके परिजनों को भी सौंपा गया कि आगे से यह इस प्रकार की गतिविधि न करने पायें इसके बारे में भी सचेत किया गया। महोदय, हम सबके लिए चिन्ता का विषय रहा है प्रदेश के अन्दर कि राजनैतिक संरक्षण में जो अवैध रूप से जमीनों पर, सरकारी भूमि पर ग्राम समाज की भूमि पर, धर्मस्थलों की भूमि पर कब्जे की जो शिकायते आती थी पहले प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता था क्योंकि सत्ता का संरक्षण ऐसे तत्वों को प्राप्त होता था। हम लोगो ने प्रदेश के अन्दर एन्टी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया और एन्टी भूमाफिया टास्क फोर्स प्रदेश के अन्दर पूरी सक्रियता के साथ कार्य करना प्रारम्भ किया है और उसने पहले चरण में जो भूमि चिन्हित की है मुझे इस सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राम समाज की भूमि पर जो अवैध कब्जे थे इनमें से 17 हजार 97.839 हेक्टेयर लैण्ड, यह चिन्हित हुई है। इसमें राज्य में धारा 67 राजस्व संहिता में दर्ज कुल वादों की संख्या 14,453 है और अब तक अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जो भूमि है यह 5773.765 हेक्टेयर लैन्ड अब तक अवैध कब्जे से मुक्त भी कराई गयी है । इस सरकार के आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सत्ता के संरक्षण में पलते फलते थे लेकिन उनको पता लगा कि अब भाजपा आ गयी है तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही जमीन के कब्जे छोड़ने शुरू कर दिये और मुझे लगता है कि दो महीने के बाद जब यह अभियान चलेगा तो बाकी लोग कब्जा छोड़ेंगे भी और उसके बाद उस भूमि को खाली कराने में जो खर्चा आयेगा, इसकी रिकवरी भी हम उन लोगों से करने वाले हैं ।

इसी प्रकार से शासकीय भूमि जिस पर अवैध कब्जा था, 30 जून तक जो स्थिति है इसमें 5395.805 हेक्टेयर लैन्ड अवैध कब्जे में चिन्हित की गयी है इस पर अभी तक हम लोगों ने 1020.744 हेक्टेयर लैन्ड अवैध कब्जे से मुक्त करवाई है और शेष भूमि भी मुक्त कराने की कार्यवाही आगे चलने जा रही है। महोदय, जो चिन्हित भूमाफिया हैं 1035 ऐसे भूमाफिया हैं, जिनमें अब तक 42 पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही हुई है, 17 पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है और 371 जिन पर अन्य आपराधिक कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है । इसके अलावा इन भूमाफियाओं के कब्जे में तमाम प्रकार की जो भूमि है चाहे वह ग्राम समाज की हो या शासन सरकारी हो, इन सबको मुक्त करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है । यह लोग कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं और बार-बार इस बात को कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी है। एक सरकार जिसने चार महीने का कार्यकाल पूरा किया हो, उस सरकार को कठघरे में खड़ा करते हैं यह लोग । जिन लोगों ने 12-15 वर्षो तक पूरे प्रदेश को एक चरागाह बना दिया था । जिन लोगों ने प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया, जिन लोगों ने प्रदेश में अपराधियों का राजनीतिकरण किया और जिन लोगों ने अपने स्वार्थो के लिये प्रदेश के अंदर दंगों की आग में प्रदेश को झोंका है। कल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के उन आकंड़ों को आप देंखे तो अकेले उत्तर प्रदेश में इस सरकार के आने के पहले विगत तीन वर्ष के दौरान 450 से अधिक दंगे हुये हैं और मैं कह सकता हूँ कि इस सरकार के आने के बाद चार महीने में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। हत्या में 5.16 प्रतिशत की कमी इस सरकार के आने के बाद आयी है। दहेज मृत्यु दर में .24 प्रतिशत की कमी है । अनुसूचित जाति जनजाति की हत्याओं में 16.67 प्रतिशत की कमी आयी है और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से

जुड़े हुये लोगों के ऊपर जो उनके खिलाफ अमानवीय अत्याचार होते थे उसमें भी 13.33 प्रतिशत की कमी आई है इस सरकार के बनने के बाद ।

महोदय, इस दौरान विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनायें प्रदेश के अंदर घटित हुई । इसमें जहॉ भी इससे पहले प्रदेश में चाहे वह सपा की सरकार रही हो, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, एफ0आई0आर0 दर्ज ही नहीं होता था । अपराध के आकड़ों को छुपा करके यह लोग वाहवाही लूटने का कार्य करते थे । यह सरकार आई, हम लोगों ने कहा कि एक फरियादी के साथ थानों में सही व्यवहार होना चाहिये । शिष्टता के साथ पेश आना चाहिये दूसरा, शत प्रतिशत एफ0आई0आर0 दर्ज की जानी चाहिये । पहले हत्या और गैंग रेप जैसी घटनाओं पर भी पूर्ववर्ती सरकारों में मंत्रियों के कितने गैरजिम्मेदाराना और शर्मनाक बयान आया करते थे । दंगों के घोषित अपराधियों को कैसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था कि घोषित दंगाइयों को स्टेट प्लेन से लाकर लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास में उनका महिमामंडन होता था। किस प्रकार से मुजफ्फरनगर के दंगों में पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों की संलिप्तता थी, यह जगजाहिर है लेकिन इस सरकार ने पहले ही कहा है कि अगर चुनाव के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ''सबका साथ सबका विकास'' की बात कही तो सबका साथ सबके विकास का नारा सार्थक होता हुआ तब दिखाई देता है जब बिना भेदभाव के प्रदेश के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है और उस दिशा में हम लोगों ने जो प्रयास किया है उस दिशा में इस दौरान जो आपराधिक घटनाएं घटित भी हुईं उन आपराधिक घटनाओं को हम लोगों ने पूरी तरह से वर्कआउट करने का प्रयास किया है। पुलिस ने अच्छा कार्य किया है उसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं और उस परिणाम के अन्तर्गत डकैती, लूट, हत्या जैसे गम्भीर अपराधों में लिप्त जो अपराधी थे उनके विरुद्ध 87 प्रतिशत डकैती में उनको वर्कआउट किया गया 87.42 प्रतिशत, जो लूट की घटनाओं को वर्कआउट किया गया और हत्या जैसे जघन्य मामलों में भी 73.60 प्रतिशत कार्रवाई करते हुए वर्कआउट करके लूट और डकैती में जो सम्पत्तियॉ ले गये थे उन सबकी बरामदगी यहॉ पर पुलिस ने प्रदेश के अन्दर किया है। महोदय, यह एक स्थापित तथ्य है और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की चतुर्थ रिपोर्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में भी स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि ऑकड़ों के माध्यम से हम पुलिस कार्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकते लेकिन ऑकड़ों को दबा करके हम आमजन की शिकायतों को ही थाने में दर्ज न करें इस प्रकार का पाप पूर्ववर्ती सरकारों में होता रहा है और इस कारण से प्रदेश में जंगलराज जैसी स्थिति पैदा हुई है लेकिन सत्ता संभालते ही सरकार ने इस बात का संकल्प लिया कि प्रत्येक फरियादी की एफ0आई0आर0 दर्ज होगी और फिर दोषी अपराधियों के खिलाफ बिना भेदभाव के कार्रवाई सरकार करेगी और इस तर्ज पर हम लोग प्रदेश के अन्दर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है, हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि आमजन को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।

हम लोगों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज कराने के लिए लास्ट आर्टिकल ऐप और लास्ट आर्टिकल ऐप वर्जन को भी हम लोग अधिकाधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं। जन सामान्य अपने मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0 के माध्यम से अपनी सूचना का पंजीकरण करा सकते हैं और किसी सामान के खोने या गुमशुदगी की जानकारी देने में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि घटनाएं प्रदेश के अन्दर जो घटित भी हुईं, हमारे विपक्ष के मित्रों

को आपत्ति किस बात की है, उन्हें आपत्ति इस बात की है कि पुलिस इन अपराधों में वर्कआउट क्यों कर रही है। आपने कल पूर्व मुख्यमंत्री का बयान भी पढ़ा होगा कि पुलिस जल्दीबाजी में कर दे रही है यानी उनके लिए सपना है कि पुलिस ऐसे भी कार्रवाई कर सकती है और यह सपना उनके लिए इसलिए है क्योंकि उन्होंने पुलिस की कार्यपद्धति को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। पुलिस और प्रशासन की कार्यपद्धति को इन लोगों ने अवरुद्ध करने का प्रयास किया था, ये लोग नहीं चाहते थे कि एक अच्छी पुलिसिंग हो, पुलिस का व्यवहार सामान्य पब्लिक के साथ फ्रैन्डली हो, पुलिस का व्यवहार आमजन के प्रति दोस्ताना हो, यह पूर्ववर्ती सरकार नहीं चाहती थी। पुलिस उनके राजनैतिक हथियार के रूप में कैसे कार्य कर सके जब मंशा यह हो तो उस दूषित मंशा से आप प्रदेश के अन्दर कानून का राज स्थापित नहीं कर सकते और पूर्ववर्ती सरकार ने यह पाप किया था, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान भी इस मामले में आता है कि पुलिस जो वर्कआउट कर रही है वह जल्दीबाजी में कर दे रही है। मुझे आश्चर्य होता है मान्यवर, पिछले एक सप्ताह के अन्दर दो बड़ी कामयाबियाँ उत्तर प्रदेश को मिली हैं, एक जेवर की घटना का। जेवर में गैंगरेप की घटना घटित हुई थी। गैंगरेप की घटना के तत्काल बाद आपने पीड़ितों के बयान को भी देखा होगा, उसमें एक बयान यह भी आया था कि उन्होंने अपने एक पड़ोसी पर भी आरोप लगाया था। मैंने स्वयं अपने मा0 विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी के माध्यम से पीड़ित परिवार से सम्पर्क किया था, फिर मैंने पीड़ित परिवार को स्वयं भी यहाँ बुलवाया था और मैंने उनसे कहा कि देखो, हम यह चाहते हैं कि सही अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो। यह अपराधी कोई भी हो, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए और सख्ती से ऐसे अपराधियों के साथ निपटा जाना चाहिए। (मेजें थपथपायी गयी।) इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस मामले में सही बयान दें। आप लोगों के साथ जो घटना घटित हुई है, हमारी पूरी संवेदना आपके साथ है। अगर उन बयानों के आधार पर या उस समय कही गयी बातों के आधार पर हम लोग कार्रवाई करते तो दूसरे दिन ही, क्योंकि नाम जो बोले जा रहे थे उसके आधार पर हम कार्रवाई करते तो सही अपराधी नहीं पकड़े जाते। महोदय, जेवर की घटना का अभी पिछले सप्ताह ही हमारी पुलिस ने और एस0टी0एफ0 ने उसको वर्कआउट किया है।

पिछली सरकार के कार्यकाल में दो वर्ष के दौरान जेवर में इस प्रकार की 15 घटनायें घटित हुई हैं और उन 15 घटनाओं में इन्होंने झूठे आंकड़े दे करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कार्य किया है। आज घटना का वर्कआउट पूरी तरह से हुई है, सही अपराधी जेल में गये हैं, उन अपराधियों को पीड़ितों ने भी पहचाना है और आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसमें आगे की कार्यवाही भी करने जा रहे हैं। बहुत सख्त कार्रवाई इस मामले में होगी, जेवर की घटना आपके सामने है। (मेजें थपथपायी गयी।) इसी प्रकार से झाँसी में दो व्यापारियों का अपहरण हुआ था, अपहरण की वारदात होती है और फिर उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस और एस0टी0एफ0 ने कार्यवाही प्रारम्भ की और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूँगा पीड़ित परिवार को और वहाँ के व्यापारियों को, नागरिकों को, जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ पुलिस पर विश्वास करते हुए एस0टी0एफ0 की कार्रवाई पर विश्वास करते हुए धैर्य रखा। हम लोग उन दोनों व्यापारियों को सकुशल उन अपराधियों, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा चुके हैं और अब उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीमें लगायी गयी हैं। हम लोगों ने इस बात को तय कर दिया है कि प्रदेश के अन्दर अपराध कोई भी करेगा उसको हम बखसेंगे नहीं, कानून के दायरे में ला करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। जेवर की

घटना ने, झाँसी की घटना ने इस बात को साबित कर दिया है। लेकिन हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए साथियों को आपत्ति इस बात की है कि आजमगढ़ की घटना में सही अभियुक्त को क्यों गिरफ्तार कर लिया? आखिर आजमगढ़ में 21 लोग जहरीली शराब पीने से मरे और ये घटनायें इससे पहले भी घटित हो चुकी थी क्योंकि वह अपराधी एक राजनैतिक दल का संरक्षण प्राप्त करता था और सरेआम अपनी गतिविधियों को वहाँ पर अंजाम देता था। 2009 और 2013 में भी 10 और 40 लोगों की मौत उसी आजमगढ़ जनपद में हुई थी।

इस बार प्रभावी कार्रवाई हुई है और प्रभावी कार्रवाई करने पर विपक्ष में बैठे हुए हमारे साथियों को आपत्ति थी कि कार्रवाई क्यों हो रही है ? या अगर हम कार्रवाई कर ही दे रहे हैं तो उन अपराधियों का नाम क्यों बता रहे हैं? यानी उन अपराधियों का नाम नहीं बताया जाना चाहिए। उन अपराधियों का किस राजनीतिक दल से सम्बन्ध है ये भी नहीं बताया जाना चाहिए। अभी एक अपराधी अम्बेड़करनगर से गिरफ्तार हुआ है, बहुत शातिर अपराधी गिरफ्तार हुआ है। इसको भी यू0पी0 एस0टी0एफ0 ने गिरफ्तार किया है, कार्रवाई की है। वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्रक्रिया में था। अगर मैं उसके राजनीतिक सम्बन्धों का खुलासा करूँगा तो बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जायेंगे और वह समाज के सामने चेहरे दिखाने के लायक नहीं होंगे। यानी राजनीतिक संरक्षण में प्रदेश के अन्दर अपराध फल-फूल रहा है। आजमगढ़ इसका उदाहरण है, सीतापुर की घटना इसका उदाहरण है, अम्बेड़करनगर के अंदर पकड़ा गया वह अपराधी इसका उदाहरण है और अन्य तमाम घटनाओं को, जिन्हें पुलिस ने वर्कआउट किया है ये सब घटनायें इसके उदाहरण हैं कि कैसे इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण में पाला-पोसा गया और फिर ये लोग अपनी गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाते रहे, ये घटनायें इस बात को साबित करती हैं। महोदय, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतर घटनाओं में चाहे वह सीतापुर, रायबरेली या फिर मथुरा की घटना रही हो इन सबको सफलतापूर्वक पुलिस ने इन सबका पर्दाफाश किया है। महोदय, इन चार महीनों में पुलिस ने प्रदेश के अन्दर तमाम दुर्दान्त आतंकवादियों को भी और अपराधियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इनामी अपराधी भी थे। इसमें नोएडा में 50 हजार का एक इनामी अपराधी, अलीगढ़ में भी 50 हजार का इनामी अपराधी यूनुस आलम के नाम पर, गाजियाबाद में हैदर खान 50 हजार का इनामी अपराधी था और इसके साथ ही एक लाख का इनामी अपराधी सागर उर्फ भीम सी0बी0आई0 द्वारा 2015 के बहुचर्चित अंकित चौहान हत्याकांड का अपराधी और जिस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था, उसको भी यू0पी0 पुलिस और एस0टी0एफ0 की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया है।(मेजों की थपथपाहट)महोदय, इस दौरान जो उत्तर प्रदेश के अंदर ए0टी0एस0 ने और एस0टी0एफ0 ने यू0पी0 पुलिस के साथ जो संयुक्त कार्यवाही हुई है इसमें कानपुर में 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। उसमें एक मारा भी गया था। बिजनौर में 4 आतंकी गिरफ्तार किये गये जिसमें 4 राज्यों की पुलिस ने केन्द्रीय एजेन्सियों के साथ संयुक्त आपरेशन के माध्यम से उन 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था।

अभी 8 जुलाई को कबीर नामक एक आतंकवादी को बिजनौर से गुजरात पुलिस की संयुक्त आपरेशन के साथ यू0पी0ए0टी0एस0 ने गिरफ्तार किया है। और इसी प्रकार से लश्कर-ए-तैय्यबा का जो आतंकी है मुस्लिम खान, यह मुम्बई एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। महोदय, यह जो लश्कर-ए-तैय्यबा का आतंकी है, यह एक हार्ड कोर आतंकी है और पाकिस्तान में

एक साल तक आतंकी प्रशिक्षण भी ले चुका है। इस दौरान आई0एस0आई0 यानि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सी से जुड़े हुए 4 अन्य ऐसे गुप्तचरों को जो आई0एस0आई0 से जुड़े थे उनको भी यू0पी0ए0टी0एस0 ने गिरफ्तार किया है। पासपोर्ट कार्यालयों में जो धोखाधड़ी की घटनाएं हैं, उनका भंडाफोड़ भी यू0पी0एस0टी0एफ0 ने किया। 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है।(मेजों की थपथपाहट) साथ-साथ प्रदेश के अंदर पैट्रोल पम्पों में जो चोरी होती थी। दो वर्षों से चोरी हो रही है और दो वर्ष की चोरी में पर लीटर लगभग 6 से 8 रूपये की चपत प्रत्येक ग्राहक, प्रत्येक जो भी उपभोक्ता है, उसको लगता था पर लीटर पर। और यू0पी0एस0टी0एफ0 की कार्यवाही में इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस पर कार्यवाही हुई है और इसमें अब तक प्रदेश के अंदर 6745 कुल पैट्रोल पम्प हैं। इनमें से सभी का निरीक्षण किया गया जिनमें से 345 में घटतौली पाई गई, 194 में टैम्परिंग हुआ, यानि चिप उसमें पाई गई है और 539 ऐसे पैट्रोल पम्प थे जिसमें कम पैट्रोल देने की बात सामने आई थी। इसमें 45 पैट्रोल पम्प अब तक सील हुए हैं और यह कार्यवाही अभी आगे चल रही है, सघन कार्यवाही इसमें हो रही है पूरे देश के अंदर। यू0पी0एस0टी0एफ0 की यह बड़ी कार्रवाई है।(मेजों की थपथपाहट) मैं माननीय सदन से इस बारे में भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती है, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। हम लोगों ने कई बार इस बारे में बैठक की है, सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए प्रदेश के सभी मंत्रालयों के साथ भी हम बैठे हैं। डी0जी0 ट्रैफिक के साथ भी बैठकर हम लोगों ने विस्तृत वार्ता की है, बैठक की है और मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सड़क दुर्घटना में 10, 15, 20, 25 लोगों की मौत के समाचार न आते हों। छोटी-छोटी बातों को अगर हम ध्यान देना शुरू करें और मुझे लगता है केवल सरकार के भरोसे यह नहीं हो सकता है। माननीय जनप्रतिनिधि भी इस मामले में थोड़ा प्रयास अपने स्तर पर प्रारम्भ करें। थोड़ी कार्यवाही प्रारम्भ करवा दें और उन ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की दिशा में एक प्रयास प्रारम्भ हो तो हम बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। इस मामले में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों से भी कहा है साथ ही ट्रैफिक के यू0पी0 के जो ए0डी0जी0 हैं उनसे भी इस बारे में स्पष्ट कहा गया है कि इस बात को सुनिश्चित करें बाइक पर चलने वाले कोई भी हों, बाइक सवारों से यह आग्रह किया जाए, इस बात को उनके लिए बाध्यकारी बनाया जाए कि हैलमेट पहनकर ही चलें बिना हैलमेट के न चलें। जब बाइक पर बैठे हों या रेलवे ट्रैक पार कर रहे हों तो इयर फोन कान पर न लगायें।

आप देखते होंगे अधिकतर दुर्घटनाओं का कारण क्या है? पता लगा रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं और कान में इयर फोन है और उसके बाद वह रेल की चपेट में आते हैं या बाइक से चल रहे हैं कान पर इयर फोन है पीछे से कौन हार्न बजा रहा है उनको सुनाई नहीं देता है । उनको तो जो इयर फोन में सुन रहे हैं वही सुनाई देता है। और उसका परिणाम होता है कि बहुत बार झगड़ा होता है, विवाद होता है और फिर बड़ी घटनायें घटित हो जाती हैं या फिर पीछे वाला वाहन उन पर ठोकर मार देता है वह लोग उससे सचेत नहीं हो पाते हैं तो एक जनजागरण हो, अगर हम लोग नहीं करेंगे, वह नौजवान हैं उनको हम लोग नहीं बतायेंगे तो कौन बतायेगा? हमारी शिक्षा पद्धति की यह विसंगति है कि हमने पाठ्यक्रम से इन सब सामग्रियों को हटा दिया है कि ट्रैफिक सेन्स जो होना चाहिए लोगों में, यह सब चीजें उसका हिस्सा नहीं रहीं, और बहुत बार आप देखते होंगे आप अपनी साइड चल रहे हैं आप गाड़ी चलाकर चल रहे हैं और किसी ने बीच में आकर जबर्दस्ती सड़क काट दिया, अगर

आपका ड्राइवर या आप स्वंय सचेत न हों तो दुर्घटना हो जाएगी। उसके बाद माननीय मंत्री या माननीय विधायक अपराधी हो जाएंगे कि देखिए साहब यह किसी को भी ठोकर मारकर चल रहे हैं। लोगों को इस बारे में बताना पड़ेगा तो मेरा आग्रह होगा कि दोपहिया वाहन में चलने वाले प्रत्येक जो भी सवार है उससे कहा जाए कि हैलमेट का इस्तेमाल करें। और वाहन चलाते समय, जब घर में बैठें तब इयरफोन भले ही सुन लें लेकिन वाहन चलाते समय या बाइक चलाते समय इयर फोन न सुनें, तब इयर फोन का इस्तेमाल न करें, इसके बारे में एक व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए।

वाहनों के बारे में, हमारे फोर व्हीलर्स हैं, उसमें दो चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं मैं सभी माननीय विधायकों से भी इस बात को कहूँगा कि एक तो वाहनों से हूटर हम लोग उतारें, और लोगों से भी उतरवायें, बोलें, पुलिस को कहें, कि भई सभी लोगों से आग्रह करके इसको उतरवाने की व्यवस्था करें। काली फिल्म वाहनों से उतारें, काली फिल्म भी उतारने की कार्यवाही हो, जो मोटरसाइकिल से स्टंट करते हैं इन लोगों पर भी सख्ती से लगाम लगाए जाने की आवश्यकता है। स्टंट करते हुए स्वयं तो मरे और दूसरों को भी मारते हैं इसको भी रोके जाने की आवश्यकता है। इस पर एक सघन अभियान उत्तर प्रदेश के अन्दर चलाने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर एक व्यवस्था प्रारम्भ की है जन समस्याओं के निस्तारण के लिए, मुख्य मंत्री कार्यालय में एक पोर्टल काम कर रहा है लेकिन साथ ही साथ एक व्यवस्था और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्लाक दिवस, थाना दिवस, तहसील दिवस, के माध्यम से जन समस्याओं के निस्तारण को एक समय सीमा के अन्दर समाधान करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ हो। (मेजें थपथपाई गईं) अगर हमें विकास की योजनाओं को देखना है या आम जन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करना है तो सबसे छोटी इकाई ब्लाक हो सकती है जिसके माध्यम से इसकी मानीटरिंग की जा सकती है और ब्लाक दिवस को एक प्रभावी कार्यरूप प्रदान करने का प्रयास हो रहा है । थाना दिवस के अन्दर भी इस बात का प्रयास हो रहा है कि थाना दिवस के अन्दर उस थाना से जुड़े चाहे आपराधिक मामले हों या फिर जो भी राजस्व से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान एक साथ बैठकर वहां समाधान हो, थाना दिवस के दिन थानाध्यक्ष के साथ-साथ उस थाने से जुड़े सभी लेखपाल उपस्थित हों और उन समस्याओं को समाधान करें। उस दिन नहीं हो सकता, समय लें एक दिन,दो दिन, तीन दिन, लेकिन एक समय सीमा के अन्दर इन समस्याओं का समाधान हो। तहसील दिवस के अन्दर,तहसील दिवस को सम्पूर्ण समाधान दिवस के रूप में हम मनायें। तहसील दिवस के दिन जनता से जुड़ी उन हर समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देना चाहिए जनता से जुड़ी हुई हर समस्याओं का समाधान वहाँ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। जिसके लिए जनता को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। यह चीजें न देखने को मिलें इसलिए इसको प्रभावी बनाने का प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है और शीघ्र ही इसके परिणाम भी सामने आएंगे ।

महोदय हम सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है वह है पुलिस बल में जन शक्ति का अभाव लगभग डेढ़ लाख पुलिस के पद प्रदेश में खाली हैं । यह डेढ़ लाख जो पद खाली हैं यह इसलिए खाली हैं क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार की नीयत साफ नहीं थी । उन्होंने प्रत्येक भर्ती को विवादित बना दिया था प्रत्येक नियुक्ति की प्रक्रिया को इतना विवादित बना दिया था कि माननीय न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ी थी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती पर माननीय उच्चतम न्यायालय को रोक लगानी पड़ी थी। हम लोग नए तर्कों के साथ माननीय न्यायालय के सामने गए हैं और माननीय

उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश के अन्दर पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को नए सिरे से प्रारम्भ करने व उसकी नयी नियमावली तैयार करने के लिए कहा है और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारम्भ किया है जिसमें 3307 सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर की 600 महिला और 2400 पुरुष अभ्यर्थियों सहित 3 हजार उप निरीक्षक व 210 प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 और 97 फायर सर्विस सेकेण्ड अफसर जो सम्मिलित हैं इनकी भर्ती की प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारम्भ किया है इसके साथ ही हम लोगों का प्रयास है कि आगामी 3 वर्ष के दौरान प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल के पद खाली पड़े हैं हम इनको भी भरेंगे इस दिशा में इस वर्ष हम लोग लगभग 30 हजार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने जा रहे है। इस संख्या को हम लोग आगे आने वाले वर्ष में बढ़ाएंगे। इस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारम्भ कर दिया है । इस पर पूरी तत्परता के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। यू0पी0100 जो एक विवादास्पद सेवा बन चुकी थी जिसको पिछली सरकार के समय यह कहा जाता था कि सरकार ने इसको अपनी वसूली का जरिया बनाया है तो उसके लिए हमने पहले कहा कि हम लोग एक नया साफ्टवेयर लाने जा रहे हैं उसके माध्यम से उस पर प्रभावी नियंत्रण हो अवैध वसूली की प्रक्रिया पर पूरी तरह लगाम लगाकर व ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की ही जाएगी साथ-साथ यू0पी0100 सेवा को हम 108 एम्बुलेंस सेवा के साथ भी इसको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं साथ-साथ यू0पी0100 को हम लोग अग्निशमन सेवा के साथ भी उसका एकीकरण कर रहे हैं अगर किसी को कहीं पर फायरबिग्रेड के लिए भी सूचना देनी हो अगर यू0पी0100 पर भी डायल करेंगे तो यू0पी0100 से भी यह जानकारी उस जिले और कौन सा वह क्षेत्र है जहॉ पर आपको फायर टेंडर की आवश्यकता है वहॉ पर भी हम इसका उपयोग कर पाएंगे इसके साथ उसको जोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ हो रही है इसके अलावा हम लोगों ने एक प्रयास प्रारम्भ किया है कि प्रत्येक जनपद में एक माडल थाना का निर्माण हो मुझे लगता है कि वैसे माननीय सदस्यों में से ज्यादातर लोग थाना अपने यहॉ स्वीकार नहीं करते होंगे बहुत कम लोग होंगे जो कहते होंगे कि हमारे यहॉ थाने का निर्माण हो ।

(सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा हॉ कहने पर)

मुझे खुशी है कि आप लोग हॉ कह रहे हैं आप लोग सत्तापक्ष के हैं इसलिए स्वीकार करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष के लोग तो स्वीकार नहीं करते, उनको किसी भी अच्छे कार्य की आवश्यकता नहीं है लेकिन हम लोग हर जनपद में यह देने जा रहे हैं। इसके लिए कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। इसके अलावा 75 जनपदों में क्राइम ब्रांच की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण वाहन उपकरण और संचार साधन आदि की व्यवस्था इसमें हम लोग कार्यवाही प्रारम्भ करने जा रहे हैं। 6 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण का कार्य हम लोग इस साल करने जा रहे हैं और जो 8 विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए जो आवश्यक धनराशि होगी वह धनराशि हम लोग इस समय प्रदान कर रहे हैं पुलिसकर्मियों की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए भी श्रेणी ए व बी0 के 350 आवासों के निर्माण की कार्यवाही हम लोग करने जा रहे हैं इस वर्ष 10 तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन केन्द्र के निर्माण के कार्य के लिए भी इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने धन का प्राविधान किया है जिससे फायर टेंडर उसकी बिल्डिंग उसके लिए वाहन इन सब की कार्यवाही हम लोग करने जा रहे हैं । महोदय अलीगढ़ परिक्षेत्र में पुलिस उप महानिरीक्षक के आवास का निर्माण आगरा जोन में अपर पुलिस महानिदेशक जोन के प्रशासनिक भवन का निर्माण और 04 नवसृजित जनपदों में पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों को भी इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का प्राविधान हम लोगों

ने इस बजट में किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्दर किसी भी प्रकार की आतंकी घटना से निपटने के लिये उत्तर प्रदेश के अन्दर ए0टी0एस0 के सुदृढ़ीकरण के लिये हम लोगों ने एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। साथ ही एस0टी0एफ0 जो प्रदेश के अन्दर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिये कार्य कर रही है, एस0टी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण के लिये भी यहाँ पर कार्य प्रारम्भ हो रहा है।

पुलिस आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत भी हम लोगों ने बजट में इसका प्राविधान किया है। तीन जनपदों में ट्रांजिट हास्टल के निर्माण की कार्यवाही जिसमें निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की विवेचना आदि की व्यवस्था हेतु एक अस्थाई निवास की व्यवस्था के लिये भी कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाने के लिये हम लोग पुलिस रिकार्ड का डिजिटलीकरण करने जा रहे हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ-साथ प्रदेश में कुल 1525 थाने हैं, 75 जनपद हैं, 26 जोन और परिक्षेत्र हैं, 06 पुलिस अधीक्षक रेलवे और रेलवे मुख्यालय हैं। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, तकनीकी सेवायें मुख्यालय तथा सी0सी0टी0एन0एस0 डाटा सेन्टर आदि की जो पारस्परिक डाटा कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिये भी हम लोगों ने बजट में प्राविधान किया है, जिससे प्रदेश के अन्दर किसी भी कोने में घटित होने वाली किसी भी घटना के संबंध में पूरी जानकारी सबके पास एक साथ पहुँच सके, इस दृष्टि से हम लोग एक साथ यह कार्य करने जा रहे हैं। महोदय, इसके साथ ही पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये, उन्हें आधुनिक शस्त्रों, आयुधों और वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और जनशक्ति की कमी को भी पूरा किया जा सके, इस वर्ष सरकार इस पर पूरे प्रभावी तरीके से कार्य प्रारम्भ करने जा रही है। महोदय, इलाहाबाद में वर्ष 2019 में अर्द्धकुम्भ का आयोजन भी है और अर्द्धकुम्भ के आयोजन की दृष्टि से भी प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी तैयारी प्रारम्भ कर दी है। स्वाभाविक रूप से करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी सुरक्षा इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उस दृष्टि से हम लोगों ने जो कार्य प्रारम्भ किया है, उसमें अन्य जो वहाँ पर निर्माण के कार्य होने हैं, आधारभूत ढाँचे के विकास के साथ-साथ जनसुविधाओं के विकास और संगम में जो लोग स्नान करते हैं, श्रद्धालुजन स्नान करते हैं, उनको वहाँ पर उस प्रकार का वातावरण दे सकें, इसके लिये जहाँ कार्य होगा, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने सुविधा और सुरक्षा हेतु जल पुलिस, अग्नि सेवाएं, पुलिस दूरसंचार, मेले के दौरान बड़ी संख्या में स्थापित किये जाने वाले पुलिस बल की आवासीय सुविधाओं हेतु बैरकों के निर्माण आदि की अवस्थापना सुविधाओं के लिये भी अर्द्धकुम्भ की दृष्टि से प्रयागराज कुम्भ के लिये हम लोग अलग से 60 करोड़ की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

महोदय, प्रदेश सरकार की मंशा साफ है और उस दृष्टि से जो बातें सामने आई हैं वह तथ्य मैं पहले ही यहाँ पर माननीय सदन के सामने रख चुका हूं। मैं सदन को इस बात के लिये आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रदेश के अन्दर आम जनमानस बदलाव को महसूस कर रहा है। हमें इसे और प्रभावी बनाना है। आम जन के प्रति पुलिस की संवेदना, एक संवेदनशील पुलिस आम जन के प्रति बने, लेकिन उतनी ही कठोर वह अपराधियों और घोषित अपराधियों के प्रति बने, इस दृष्टि से हम लोग पुलिस बल को आधुनिकीकरण की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के अन्दर आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, प्रदेश के अन्दर कानून का राज स्थापित हो यह हमारी प्रतिबद्धता है

और हम इस प्रतिबद्धता के साथ पूरी तरह जुड़े हुये हैं। मान्यवर, प्रदेश सरकार के गृह विभाग की अनुदान मांगों से जो जुड़े हुये प्रस्ताव थे वह इस प्रकार थे। अब मैं सामान्य प्रशासन से जुड़ी हुई जो कार्य योजनायें हैं उनका भी विवरण माननीय सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। सामान्य प्रशासन से जुड़े हुये जो प्रस्ताव थे और उसमें सामान्य प्रशासन से जुड़ी हुई जो कुल मांगे थी उनके लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 76.50 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है, बजट व्यवस्था गत वर्ष की तुलना में लगभग चार गुना अधिक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सहायता अनुदान देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5.50 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई, जो पिछले वर्ष से 50 लाख रूपये से अधिक है। गाजियाबाद में पहली बार हम लोग कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करने जा रहे हैं जिसके लिए हम लोगों ने बजट में 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने हेतु हम लोगों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 करोड़ रुपये अधिक है। चित्रकूट में भजन सन्ध्या एवं परिक्रमा स्थल के विकास तथा निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 8.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अयोध्या की बात कर रहे हैं, लेकिन चित्रकूट की बात नहीं कर रहे हैं तो वो भी व्यवस्था इसमें कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, अयोध्या में रामलीला और भजन सन्ध्या स्थल के निर्माण हेतु हम लोगों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 9.78 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और काशी में एक बौद्धिक शोध संस्थान की स्थापना के लिए इस वर्ष बजट में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था हम लोगो ने की है। इसके अलावा अन्य तमाम प्राविधान है जिसमें अशोक चक्र श्रृंखला के अंतर्गत उल्लिखित पुरस्कारों में विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को जो नकद पुरस्कार की राशि है इसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है। इनसे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारे जो सैनिक या पुलिस के जवान को सम्मानित होते हैं उनके लिए एकमुश्त राशि और वार्षिकी राशि भी इसमें प्रदान की जाती है जिसमें 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। साथ-साथ वार्षिकी के रूप में भी 1.20 लाख, 1.00 लाख और 50 हजार की राशि का इसमें प्राविधान कर रखा है। रामलीला के मंचन, मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध के लिए आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी को जो अनुदान मिलता है उसकी व्यवस्था हम लोगो ने इस बजट में की है। महारानी अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार दिया जाता है ऐसे नागरिकों को जिन्होंने वीरता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया हो और उनकी वीरता के लिए जिला स्तर से संस्तुति हो, उस आधार पर उन्हें पॉच लाख रूपये की मदद राशि प्रदान की जाती है और अन्य कार्यों के लिए इस संबंध में प्रदेश सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। महोदय, यह सामान्य बजट से जुड़े हुये प्रस्ताव थे जिन्हें माननीय सदन के समक्ष मुझे रखना था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको हम लोग पहले भी बजट में उन सबका उल्लेख हो चुका है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने अपने प्रस्तावना भाषण में भी उसका उल्लेख किया है। मैं इस अवसर पर माननीय सदन से चाहूँगा कि गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी हुई अनुदान मांगों को पारित करें और इस सरकार के प्रदेश के सबका साथ, सबका विकास के अभियान में हम सहभागी बनकर विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाकर भाषण का स्वागत किया गया)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान
सं0-84-सामान्य प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84- सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,91,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(विपक्ष की अनुपस्थिति में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,91,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान
संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,10,00,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,10,00,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक-2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

---

† दिनांक 17/08/2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राजेश अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 को पुरः स्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को बांट दी जायें।

श्री राजेश अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2017 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2018 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2017-2018 के लिए 417256,94,58,000 रुपये का निकाला जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–34 सन् 2016) की अनुसूची के स्तम्भ–3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 417256,94,58,000 (रुपये चार लाख सत्रह हजार दो सौ छप्पन करोड़ चौरानवे लाख अट्ठावन हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	20207.32	*20.00*	20227.00
		पूंजी :	69.87	. . .	69.87
02	आवास विभाग	राजस्व :	83795.34	*91.78*	83887.12
		पूंजी :	42254.00	*244.04*	42498.04
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	20116.02	*6.00*	20122.02
		पूंजी :	2600.01	. . .	2600.01
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	3719.36	. . .	3719.36
		पूंजी :	309.00	. . .	309.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	9770.27	. . .	9770.27
		पूंजी :	. . .	. . .	. . .
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	21879.45	. . .	21879.45
		पूंजी :	562.00	. . .	562.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	113300.92	. . .	113300.92
		पूंजी :	185947.11	. . .	185947.11
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन- सामग्री)	राजस्व :	17678.18	. . .	17678.18
		पूंजी :	906.52	. . .	906.52
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	712605.21	*466823.35*	1179428.56
		पूंजी :	589586.09	*3816.00*	593402.09
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	40256.23	*176.21*	40432.44
		पूंजी :	1541.17	*0.50*	1541.67
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	3604229.17	*15.25*	3604244.42
		पूंजी :	61043.28	. . .	61043.28
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	31455.64	. . .	31455.64
		पूंजी :	. . .	. . .	0

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	277508.46	*7.50*	277515.96
		पूंजी :	1304622.01	. . .	1304622.01
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	1205477.38	. . .	1205477.38
		पूंजी :	22333.67	. . .	22333.67
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	129745.78	*13.79*	129759.57
		पूंजी :	13731.10	. . .	13731.10
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	7441.08	. . .	7441.08
		पूंजी :	19480.51	. . .	19480.51
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	11693.53	*4.50*	11698.03
		पूंजी :	. . .	. . .	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	33092.60	*1269.66*	34362.26
		पूंजी :	1600.01	*1522.01*	3122.02
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1019.85	. . .	1019.85
		पूंजी :	. . .	. . .	*0*
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	3490.35	*6334.10*	9824.45
		पूंजी :	...	*10.00*	10.00
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	43326.25	3.50	43329.75
		पूंजी :	1201600.00	*0.50*	1201600.50
22	खेल विभाग	राजस्व :	9114.78	...	9114.78
		पूंजी	13226.54	...	13226.54
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	45556.66	*2.00*	45558.66
		पूंजी :	12000.00	...	12000.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	7916.19	...	7916.19
		पूंजी :	69110.26	...	69110.26
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	66757.36	*10.00*	66767.36
		पूंजी :	23597.40	...	23597.40

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	1541902.00	*156.71*	1542058.71
		पूंजी :	69616.63	...	69616.63
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	2036.77	...	2036.77
		पूंजी :	...	...	0
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	28435.98	...	28435.98
		पूंजी :	30.00	...	30.00
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	…	*1635.80*	1635.80
		पूंजी :	…	...	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	560.79	...	560.79
		पूंजी :	…	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	237639.94	...	237639.94
		पूंजी :	114904.86	...	114904.86
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	583864.69	*20.00*	583884.69
		पूंजी :	67800.93	...	67800.93
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	97975.37	...	97975.37
		पूंजी :	2058.20	...	2058.20
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	39227.80	...	39227.80
		पूंजी :	1317.83	...	1317.83
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	488704.12	*26.00*	488730.12
		पूंजी :	16761.95	...	16761.95
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	66706.48	*2.00*	66708.48
		पूंजी :	1063.00	...	1063.00
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	1174351.31	...	1174351.31
		पूंजी :	144550.03	...	144550.03
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	5060.21	...	5060.21
		पूंजी :	42200.00	...	42200.00

* भारित विनियोग में सम्बन्धित क्रम-संख्या

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
39	भाषा विभाग	राजस्व	2833.66	...	2833.66
		पूंजी :	…	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व	42437.13	...	42437.13
		पूंजी :	93410.00	...	93410.00
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	22753.78	...	22753.78
		पूंजी :	100.00	...	100.00
42	न्याय विभाग	राजस्व	198173.45	*37041.86*	235215.31
		पूंजी :	136777.98	*500.00*	137277.98
43	परिवहन विभाग	राजस्व	26479.96	*0.01*	26479.97
		पूंजी :	13004.78	...	13004.78
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	3462.84	...	3462.84
		पूंजी :	243099.78	...	243099.78
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	628.28	...	628.28
				...	
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	1769.34	...	1769.34
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	38432.45	...	38432.45
		पूंजी :	23860.00	...	23860.00
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	212788.37	*1.80*	212790.17
		पूंजी :	34771.19	...	34771.19
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	615745.23	*10.00*	615755.23
		पूंजी :	19601.00	...	19601.00
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	93225.34	*17.00.*	93242.34
		पूंजी :	31715.36	...	31715.36
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	156478.77	...	156478.77
		पूंजी :	2250.00	...	2250.00

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	340334.19	*22.50*	340356.69
		पूंजी :	5508.00	*12.88*	5520.88
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	168.90	...	168.90
				.	
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	233272.75	*4.00*	233276.75
		पूंजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	9280.41	*421.96*	9702.37
		पूंजी :	4281.07	*170.00*	4451.07
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व	...	...	0
		पूंजी :	34000.00	...	34000.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	राजस्व	7500.00	...	7500.00
		पूंजी :	42257.50	...	42257.50
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन- सड़कें)	राजस्व	486792.09	*5.00*	486797.09
		पूंजी :	1057175.00	*500.00*	1057675.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	20933.66	...	20933.66
		पूंजी :	27060.24	...	27060.24
60	वन विभाग	राजस्व	74613.65	*13.70*	74627.35
		पूंजी :	23400.90	...	23400.90
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1159058.62	*4044189.12*	5203247.74
		पूंजी :	113600.02	*2190907.71*	2304507.73
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	3483572.63	*3094.80*	3486667.43
		पूंजी :	10,000.00	...	10,000.00
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	29121.08	...	29121.08
		पूंजी :	200.00	...	200.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व	29857.79	...	29857.79
		पूंजी :	5.00	...	5.00

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	2014.65	*22766.96.*	24781.61
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	5712.58	*98.55*	5811.13
		पूंजी :	804.00	...	804.00
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	18657.05	*143.20*	18800.25
		पूंजी :	286.72	...	286.72
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व	68729.92	...	68729.92
		पूंजी :	19295.00	...	19295.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	28247.03	...	28247.03
		पूंजी :	4728.69	...	4728.69
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	4978857.99	...	4978857.99
		पूंजी :	35341.52	...	35341.52
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	909794.42	*0.50*	909794.92
		पूंजी :	28949.21	...	28949.21
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	241261.02	...	241261.02
		पूंजी :	24319.49	...	24319.49
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व	77122.06	...	77122.06
		पूंजी :	2205.37	...	2205.37
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	15729.34	...	15729.34
		पूंजी :	825.00	...	825.00
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	32518.72	...	32518.72
		पूंजी :	25.00	...	25.00
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	9694.81	...	9694.81
		पूंजी :	96.83	...	96.83
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	96432.26	...	96432.26
		पूंजी :	3275.10	...	3275.10

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	197059.24	...	197059.24
		पूंजी :	20365.30	...	20365.30
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	433450.93	...	433450.93
		पूंजी :	136.51	...	136.51
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	26184.37	...	26184.37
		पूंजी :	7376.41	...	7376.41
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	5266.52	*570.74*	5837.26
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व	1709490.60	...	1709490.60
		पूंजी :	557017.61	...	557017.61
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	2347.09	...	2347.09
		पूंजी :	5303.14	...	5303.14
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	625.01	...	625.01
86	सूचना विभाग	राजस्व	35431.20	...	35431.20
		पूंजी :	2500.00	...	2500.00
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	6901.38	...	6901.38
		पूंजी :	214.00	...	214.00
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	72228.78	...	72228.78
		पूंजी	410.00	...	410.00
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व	81410.39	*6545.02*	87955.41
		पूंजी :	3240.80	...	3240.80
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	4881.86	...	4881.86

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	30528.02	*0.03*	30528.05
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	7553.39	*0.05*	7553.44
		पूंजी :	5973.00	...	5973.00
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	320910.73	...	320910.73
		पूंजी :	371070.84	*500.00*	371570.84
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	403260.08	*50.00*	403310.08
		पूंजी :	...	...	0
	योग :	**राजस्व :**	**27899634.65**	***4591614.95***	**32491249.60**
		पूंजी :	**7036261.34**	***2198183.64***	**9234444.98**
	महायोग :		**34935895.99**	***6789798.59***	**41725694.58**

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अतः खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गये।

श्री राजेश अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन प्रतिवेदन सं0-04, वर्ष 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्धन पर निष्पादन लेखा

† छापा नहीं गया।

परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन प्रतिवेदन संख्या 04, वर्ष 2017 को संविधान के अनुच्छेद-151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 एवं 9 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-10।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 जुलाई, 2017 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 27 जुलाई, 2017 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

1-दिनांक 26 जुलाई, 2017 को पुरः स्थापित समस्त विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें दिनांक 27 जुलाई, 2017 को ली जाय।

<u>जुलाई, 2017</u>

27 गुरुवार 1-वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अनुदान संख्या-84 एवं अनुदान संख्या-26 की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-दिनांक 26 जुलाई, 2017 को पुरः स्थापित विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन एवं बिहार में श्री नीतीश कुमार के पुनः मुख्यमंत्री एवं श्री सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई प्रस्ताव

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मद संख्या-11 में मा0 मुख्यमंत्री जी नियम-110 में एक बधाई का प्रस्ताव रखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्य नाथ)-

(मेजें थपथपाई गईं)

अध्यक्ष जी, मैं एक बधाई प्रस्ताव मा0 सदन के सम्मुख रख रहा हूं। यह सदन महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम का जो शानदार और जानदार प्रदर्शन हुआ है, उसके लिए भारतीय महिला टीम के सलेक्शन कमेटी के चेयर पर्सन सहित समस्त सदस्यों को बधाई देता है। भारत की बेटियों द्वारा विश्व कप टूर्नामेंट में प्रथम मैच से फाइनल मैच तक पहुँचने के संघर्ष और चुनौतीपूर्ण सफर ने प्रत्येक भारतवासी का मस्तक गर्व से ऊँचा किया है। यद्यपि फाइनल मैच को जीत न सकने से भारतीय टीम विश्व चैम्पियन बनने से चूक गयी, फिर भी उन्होंने जिस कड़े संघर्ष से इंग्लैंड की टीम को चुनौती दी, इसके लिए इतना ही कहा जा सकता है कि ''खूब लड़ी मर्दानी वह तो भारत क्रिकेट की खिलाड़िनी थी' इस सदन को इस बात पर भी गर्व है कि आज भारतीय महिला टीम की सलेक्शन कमेटी की चेयर पर्सन हेमलता काला सहित दो खिलाड़ी दीप्ति शर्मा और पूनम यादव अपने ही प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बेटियाँ हैं। (मेजें थपथपाई गईं)

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से यह सदन पूरी भारतीय टीम को विशेष कर सुश्री हेमलता काला और खिलाड़ी सुश्री दीप्ति शर्मा और सुश्री पूनम यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता है और प्रदेश सरकार इन सभी खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित भी करेगी, मैं इस बात की घोषणा भी इस माननीय सदन के माध्यम से कर रहा हूं।

अध्यक्ष जी, साथ ही मैं एक और बात के लिए बधाई देना चाहूँगा, वह हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में परिवर्तन के लिए भी। (मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) माननीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार में पुनः मुख्य मंत्री बनने पर और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुशील मोदी के उप मुख्य मंत्री बनने पर मैं पूरे सदन की ओर से उन्हें बधाई देता हूं। बिहार की जनता जिस सुशासन की अपेक्षा रखती थी, हमें विश्वास है कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में बिहार उस सुशासन की ओर बढ़ेगा और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सम्बन्धों को देखते हुए, बिहार में परिवर्तन मुझे लगता है कि अत्यन्त आवश्यक था। उत्तर प्रदेश को इससे काफी सम्भावनाएँ हैं और आने वाले समय में हम सब मिल करके आगे बढ़ पायेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं एक बार पुनः श्री नीतीश कुमार जी को भी इस अवसर पर बधाई देता हूं। (मेजें पुनः थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता सदन और सम्पूर्ण सदन की भावनाएं, शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश की विधान सभा की तरफ से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और समस्त इस प्रसंग से जुड़े महानुभाव, मंत्रि-परिषद, उसको पहुचा देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पहला प्रस्ताव महिला क्रिकेट टीम के सम्बन्ध में है और दूसरा प्रस्ताव श्री नीतीश कुमार जी के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मा0 मुख्यमंत्री जी ने यहां इस आदरणीय सदन में खेल से जुड़ा और बिहार राज्य से जुड़ा यहां प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

माननीय सदस्यों को सूचना विभाग की डायरी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री पंकज गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपको क्या बोलना है ?

श्री पंकज गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद् कि आपने अवसर दिया इस व्यवस्था के प्रश्न के लिए। मान्यवर, हम लोगों को प्रत्येक वर्ष सूचना विभाग की एक डायरेक्ट्री प्राप्त हुआ करती थी, जिसमें समस्त विधायकों के, सांसदों के नम्बर हुआ करते थे, जिले के अधिकारियों के, शासन और प्रशासन के नाम-पते हुआ करते थे, इस वर्ष दुर्भाग्य से वह हम लोगों को किसी को नहीं मिली और अभी हम लोग जब लॉबी में चर्चा कर रहे थे, तब कई सम्मानित विधायकों ने यह भी बताया कि सदन के बाहर वह डायरियां उपलब्ध हैं वहां पर बेची जा रही हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि इस पर व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष-

सौभाग्य से वह जल्दी ही मिल जायेंगीं। इस पर कोई व्यवस्था नहीं है, डायरी आपको चाहिए, आप सहित सबको मिल जायेगी, आपकी इस व्यवस्था से। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी मिल जायेगी न डायरी ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, डायरी सभी को मिल जायेगी।

विधायी एवं न्याय राज्य मंत्री (श्री नीलकण्ठ तिवारी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके आदेश पर मैं पूरे मा0 सदन को आश्वस्त करता हूं कि आज ही सूचना विभाग की डायरी आप सबको मिल जायेगी।

***श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह हम सबका सौभाग्य है कि मा0 मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, वह गोरक्ष-पीठाधीश्वर हैं, न केवल मुख्यमंत्री हैं और आप सदन में हम सबके संरक्षक हैं और वह प्रदेश के संरक्षक हैं। हमारे ये सारे साथी जब मैं लॉबी में जाता हूं, तो वह मुझको घेरते हैं और कहते हैं कि आप सीनियर हैं आप तो कुछ कहें, हम लोगों को कुछ सुविधायें मिलें। मैं केवल अपने सभी साथियों की ओर से, मैं याचना कह लूं या जो भी, जिन शब्दों में आप इसको लिखवाना चाहें, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे सभी साथियों को और यह पहले से परम्परा भी रही है कि बजट के अन्त में कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी सदस्यों को देते रहे हैं। आज मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरक्ष पीठाधीश्वर से, मैं तो गोरखपुर जाता रहता हूं, बिना प्रसाद लिये वहां से कभी नहीं लौटा, चाहे वह भस्म के रूप में ही मिली हो, उसको मैं अपने पास रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रसाद कभी छोड़ना भी नहीं, लीलावती, कलावती का बड़ा नुकसान हो गया था।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

आज मैं सारे अपने ये युवा साथी जो बड़ी इच्छा के साथ यहां पर बैठे हैं और कुछ प्रसाद चाहते हैं मा0 मुख्य मंत्री जी से, मेरा निवेदन है कि कम से कम इनको डेढ़ सौ हैण्डपम्प और पांच किलोमीटर या सात किलोमीटर सड़कें इन लोगों को दिये जाने का कष्ट करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, श्रीवास्तव जी बड़े सीनियर सदस्य हैं और हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लखनऊ में होने के नाते उनको आम सभी सदस्यों को खिलाना चाहिये था, लेकिन मैं अपने मण्डी समिति और कृषि से जुड़े हुए मा0 मंत्री से आग्रह करूँगा कि पहले सदस्यों के यहां आम जरूर भिजवा देना, क्योंकि श्रीवास्तव जी ने तो आम खायें हैं, लेकिन गुठली दूसरों की तरफ फेंकी है। सदस्यों ने जो बात कही है यहां पर बहुत उचित है यद्यपि हम लोगों ने बजट में इतना प्राविधान कर दिया है कि आप लोग अगले सत्र तक क्या एक वर्ष तक का पूरा कार्य हम दे चुके हैं। अभी आप लोग जायेंगे, यूनिफार्म बाटेंगे उसके बाद जूते, मोजे बच्चों को बांटिये उसके बाद कृषि मोचन का फार्म बांटिये उसके उपरान्त आवासीय जो सुविधा दी जा रही है उसको भी वितरित करने की व्यवस्था आपके सामने होगी लेकिन माननीय सदस्यों ने कुछ ने इस बात की जिज्ञाया जताई है और उनकी जिज्ञासा स्वाभाविक भी है प्रत्येक सदस्य को हम पहले चरण में 50-50 हैण्डपम्प देंगे।

(अनेक सदस्यों के 100-100 हैण्डपम्प दिये जाने की मांग करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहे, शोर में यह नहीं जाने मिल रहा है कि आप खुश हैं कि मांग कर रहे हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

देखिये आपकी आवाज ऐसी सुनाई पड़ रही है कि जैसे आप छः कह रहे हैं। चूंकि यह माननीय सदस्यों की जनहित से जुड़ी हुई मांग है और प्रत्येक सदस्य को हम लोग 100-100 हैण्डपम्प उपलब्ध कराएंगे। शहरी क्षेत्र में इस बात को देखेंगे कि अगर हैण्डपम्प की उपादेयता नहीं होगी तो वहां वैकल्पिक क्या व्यवस्था हो सकती है ? माननीय सदस्य शहरी क्षेत्र वाले भी तय कर लेंगे उनके बारे में भी एक व्यवस्था होगी। समरसेबिल हो या क्या हो सकता है इसके बारे में अध्ययन करवा लेंगे, उनको भी देंगे। इसके अलावा मैं इस बात का भी आग्रह करूंगा कि प्रत्येक माननीय सदस्य अपनी-अपनी विधान सभा में दो-दो गांव पण्डित दीन दयाल उपाध्याय आदर्श गांव के रूप में चयनित करके उनके विकास की रूपरेखा भी तैयार करें। ये बड़ा अच्छा कार्य होगा और शहरी क्षेत्र में जो प्रत्येक विधान सभा मे एक नगर पंचायत हो वे लोग आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार करें। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत के रूप में उसको विकसित करने के

लिए उनके वार्डों को आप दीजिए, अच्छा रहेगा, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ायेंगे। नगर निगम के क्षेत्र में वहां पर कम से कम दो-दो वार्ड आप लीजिए। उन वार्डों के विकास की जो कार्य योजना तैयार करें और सरकार इस मामले में उनका पूरा सहयोग करेगी अध्यक्ष जी एक तो मुझे यह प्रस्ताव करना था और दूसरा मुझे एक प्रस्ताव देना था कि माननीय सदन के सफल संचालन के लिए विधान मण्डल से जुड़े हुए हमारे जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारी हैं इनका सहयोग सराहनीय रहा है और मंहगाई को देखते हुए विगत वर्ष की भांति जो उनको राशि प्रदान की जाती थी इस वर्ष हम लोग आठ हजार पांच सौ रुपये धनराशि पुरुस्कार के रूप में यहां प्रदान करने की भी घोषणा कर रहे हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने के मध्य एक सदस्य ने विधायक निधि पर पुनर्विचार कर उसको भी बढ़ाने का अनुरोध किया)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठे। उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 18 सितम्बर, 2013 के उपवेशन में प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-56 के अन्तर्गत तत्कालीन नेता विरोधी दल तथा कतिपय अन्य माननीय सदस्यों द्वारा मुजफफरनगर में हुए दंगों के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी। चर्चा के दौरान आज तक तथा कतिपय अन्य इलेक्ट्रानिक चैनलों पर प्रसारित स्टिंग आपरेशन में प्रदेश विधान सभा के एक वरिष्ठ सदस्य और तत्कालीन माननीय मंत्री पर लगाये गये गम्भीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन माननीय अध्यक्ष विधानसभा द्वारा स्टिंग आपरेशन की सत्यता की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित की गयी थी। समिति ने जॉच और विवेचना के उपरान्त अपना प्रतिवेदन 16 फरवरी, 2016 को सदन में दिया। सदन ने 23 फरवरी, 2016 को यह निर्णय लिया था कि समिति की संस्तुतियों के विषय में सदन द्वारा अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व प्रतिवेदन में इंगित प्रथम दृष्टया दोषी व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तदनुसार समिति के प्रतिवेदन में वर्णित टी0वी0 टुडे नेटवर्क के समस्त पदाधिकारियों को सदन में उपस्थित होने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2016 को इस मामले में आगे की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। उक्त प्रकरण अभी भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह प्रकरण सोलहवीं विधान सभा का है जिसका विघटन हो चुका है। प्राप्त सूचना के अनुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 01 अगस्त, 2017 निर्धारित की गई है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही के सम्बन्ध में इस नव गठित विधान सभा के सदन का मत स्थिर किया जाना अपेक्षित है जिसके अनुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया जा सके।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपने सदन के समक्ष जो विषय रखा है इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि लोकतन्त्र में मीडिया चौथा स्तम्भ है। आजादी से लेकर आज तक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मान्यवर, जिस समय जॉच समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया था। उस समय अन्य दलीय नेताओं के साथ मैंने भी भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता के रूप में चर्चा में भाग लिया था। मैंने इस समिति के गठन की प्रक्रिया, सुनवाई के तरीके और उसकी संस्तुतियों से

असहमति व्यक्त की थी एवं मैंने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन भी किया था। मान्यवर, यह कार्यवाही में है। मान्यवर, प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया था। इस सम्बन्ध में मेरा सुनिश्चित मत है कि सदन अपनी कार्यवाही संचालित एवं सम्पादित करने हेतु पूर्णतया स्वतन्त्र है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाना संवैधानिक योजना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में संविधान का अनुच्छेद-212 सुसंगत है जिसमें कि यह प्राविधानित है कि न्यायालयों द्वारा विधान मण्डल की कार्यवाहियों की जॉच नहीं की जाएगी। इस सम्बन्ध में तत्समय ही मेरे द्वारा असहमति दर्शायी गई थी परन्तु जहॉ तक इस प्रतिवेदन की बात है। मान्यवर, प्रारम्भ से ही इस समिति के गठन की प्रक्रिया और जो सुनवाई हुई उसमें समग्रता से पूरा विचार नहीं किया गया। पूरी गहराई से उसकी छानबीन भी नहीं की गई। यह प्रकरण सोलहवीं विधान सभा का था जिसका विघटन हो चुका है। मेरा यह सुनिश्चित मत है कि इस प्रकरण में आगे कोई कार्रवाई करने का औचित्य अथवा आधार नहीं है। अतः मैं निम्न प्रस्ताव पारित किए जाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि प्रथम दृष्टया मेरे विचार से इस मामले में अवमानना अथवा विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मान्यवर, अब मैं प्रस्ताव कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

मुजफ्फरनगर दंगों पर गठित जांच समिति की संस्तुति के सन्दर्भ में अग्रेतर कार्यवाही न किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सम्बन्ध में 'आज तक' तथा 'हेड लाइन्स टुडे' चैनलों द्वारा प्रसारित 'स्टिंग ऑपरेशन' की सत्यता की जॉच के लिए गठित जॉच समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में आगे कोई कार्यवाही न की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सम्बन्ध में 'आज तक' तथा 'हेड लाइन्स टुडे' चैनलों द्वारा प्रसारित 'स्टिंग ऑपरेशन' की सत्यता की जॉच के लिए गठित जॉच समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में आगे कोई कार्यवाही न की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री बृजेश पाठक)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-3 में, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

(क) उपधारा (8) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य इस रूप में निम्नलिखित आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा :-

(क) अध्यक्ष के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु और

(ख) उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के मामले में बासठ वर्ष की आयु।''

(ख) उपधारा (8-ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''(8-ग) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम 2017 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (8) के उपबंध, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने पर पदधारण करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य पर भी लागू होंगे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इव विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बृजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त)

(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बंध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : -

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या-30 सन् 1979 की धारा-9 का संशोधन

2-अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-9 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

''(4) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात् एक दिन के भीतर ऐसी रीति से जो राज्य सरकार निर्धारित करें रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा या मंजूर करने से इंकार करेगा और उक्त अवधि की समाप्ति पर रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया माना जायेगा।

आवेदक अपना आवेदन-पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों व फीस संदाय के साथ प्रस्तुत कर सकता है ऐसी दशा में यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो वेब पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण अकृत और शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।''

अधिनियम संख्या-30 सन् 1979 की धारा 27-क का बढ़ाया जाना।

3- मूल अधिनियम की धारा-27 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः-

''27-क इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का शमन जो जुर्माना से या छः मास तक कारावास से या दोनो से दण्डनीय हो, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे अपराध के लिए विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप 50 प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात्, किया जायेगा :

अपराधों का शमन

परन्तु शमन हेतु उपचार, केवल प्रथम बार अपराध के लिए उपलब्ध होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिश्ट प्रत्येक अधिकारी, किसी अपराध का शमन करने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।

(3) किसी अपराध का शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और, रीति से किया जायेगा ।

(4) जहॉ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहॉ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके सम्बन्ध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित हैं और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 20 सन् 1946 में धारा 13-ग का बढ़ाया जाना

2–औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा–13-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

''13–ग (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, राज्य

अपराधों का शमन

सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे अपराध के लिए विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप 50 प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात्, किया जायेगा :

परन्तु शमन हेतु उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध का शमन किए जाने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।

(3) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके सम्बन्ध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहां किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित हो, और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाए?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अधिनियम संख्या 4 सन् 1936 की धारा 6 का संशोधन

2–मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा&6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''6–औद्योगिक या किसी अन्य अधिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता, अपने कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान, बैंक चेक या नेशनल इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर या इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस सिस्टम के माध्यम से उनके बैंक खातों में करेगा :

परन्तु, यदि किसी नियोजित व्यक्ति का कार्य अस्थायी/आकस्मिक/नियत कालिक प्रकृति का हो और वह अपने अर्जित मजदूरी के नगद भुगतान का अनुरोध लिखित रूप में करता है और अपने स्वप्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करता है तो संबंधित नियोक्ता तीन माह की अवधि के दौरान अनधिक पाँच हजार रुपये की देय मजदूरी का नकद भुगतान संबंधित कर्मचारी को कर सकता है।

धारा 20 का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

''20–क (1) इस अधिनियम के अधीन दिये गये ऐसे किसी अपराध का शमन, जो जुर्माना से या छः मास तक कारावास से या दोनों से दण्डनीय हो, सक्षम अधिकारी द्वारा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् ऐसे अपराध के लिये यथा विहित रीति से उपबन्धित अधिकतम जुर्माना की 50 प्रतिशत धनराशि के साथ, किया जायेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन अपराधों का शमन केवल प्रथम बार अपराध कारित किये जाने पर उपलब्ध होगा ।

अपराधों का शमन

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, किसी अपराध का शमन करने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा ।

(3) किसी अपराध के शमन किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा ।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा ।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जायेगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित है और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध, इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो उन्मोचित कर दिया जायेगा ।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

कारखाना अधिनियम, 1948 का उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

अधिनियम संख्या 63 सन् 1948 की धारा–2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ड) में;

(एक) उप–खण्ड (एक) में, शब्द "दस या अधिक" के स्थान पर शब्द "बीस या अधिक" रख दिये जायेंगे।

(दो) उप–खण्ड (दो) में, शब्द "बीस या अधिक" के स्थान पर शब्द "चालीस या अधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा–64 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 64 मे उप-धारा (4) में, खण्ड (चार) में, शब्द "पचास" के स्थान पर शब्द "एक सौ" रख दिये जायेंगे।

धारा–65 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 65 में, उप-धारा (3) में खण्ड (चार) में, शब्द "पचहत्तर" के स्थान पर शब्द "एक सौ पन्द्रह" रख दिये जायेंगे।

धारा–66 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 66 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ख) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु राज्य सरकार किसी कारखाने या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों के संबंध में, इस खण्ड में अधिकथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है और ऐसे फेरफार से सायं 7 बजे और अगले दिन प्रातः 6 बजे के बीच के घंटों में किसी स्त्री को नियोजन के लिये यह उल्लिखित करते हुये प्राधिकृत किया जा सकता है कि स्त्री की सुरक्षा एवं सुविधाओं के लिए आवश्यक उपबंध किये जायं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–26 सन् 1962 की धारा–4 ख का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4–ख में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''(1) ऐसे दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान का प्रत्येक स्वामी ऐसे कारवार के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर अथवा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपनी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए निरीक्षक को आवेदन करेगा और यदि उसका आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो, तो उस दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण यथाविहित रीति से आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से एक दिन से भीतर प्रदान किया जायेगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्वीकृत करता है या स्वीकृत करने से अस्वीकार करता है या स्वीकृति करने के लिए आपत्ति करता है या संशोधन आदेश पारित करता है तो रजिस्ट्रीकरण, इस उपधारा के अधीन उल्लिखित समय से पश्चात् स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

1(क) आवेदक अपना आवेदन–पत्र आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, यदि आवेदन–पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो तो वेब पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ई–मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगाः

परन्तु यह है कि यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण, अकृत एवं शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगीः

परन्तु यह और कि स्वीकृत किये गये रजिस्ट्रीकरण पर विचार, दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के स्वामित्व के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा।''

धारा–4 ग का संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 4 ग, उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित की जायेगी और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, नियमानुसार दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान के नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् एक दिन के भीतर किया जायेगाः

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्वीकृत करने में विफल रहता है या स्वीकृत करने से अस्वीकार करता है या नवीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए आपत्ति प्रकट करता है या संशोधन आदेश पारित करता है तो नवीकरण, इस उपधारा के अधीन उल्लिखित समय के पश्चात् स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

(3) आवेदक अपना आवेदन–पत्र आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, यदि आवेदन–पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो, वेबपोर्टल द्वारा स्वतः नवीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा नवीकरण प्रमाण–पत्र अपने ई–मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगाः

परन्तु यह है कि, यदि प्रमाण–पत्र, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा प्रमाण–पत्र, अकृत और शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।''

धारा 6 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 6 में, द्वितीय परन्तुक में, शब्द ''पचास'' के स्थान पर शब्द ''एक सौ पच्चीस'' रख दिये जायेंगे।

धारा–22 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा–22 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''22– यदि किसी नियोजक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में आश्रय, विश्राम कक्ष, रात्रि शिशु सदन, महिला प्रसाधन, उनकी सुरक्षा का पर्याप्त संरक्षण तथा दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान से उनके निवास तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, तो वह स्त्री कर्मकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उसे रात्रि 9.00 बजे और प्रातः 6.00 बजे के मध्य कार्य करने दे सकता है।''

धारा–25 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''25–गर्भावस्था की दशा में कोई स्त्री कर्मचारी, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा और प्रसूति अवकाश के लिए हकदार होगी।''

नई धारा 28क का बढ़ाया जाना

7–मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

''28–क(1) प्रत्येक नियोजक को दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में नियोजित

कल्याणकारी उपबन्ध

समस्त व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक उपयुक्त स्थलों पर स्वास्थ्यप्रद पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति का उपबंध करने और उसे अनुरक्षित करने के लिये प्रभावी व्यवस्था करना होगा।

(2) प्रत्येक नियोक्ता को पुरूष और महिला के लिए पृथक–पृथक शौचालय और मूत्रालय की यथाविहित रूप में व्यवस्था करना होगा जो इस प्रकार से सुविधाजनक रूप में अवस्थित होंगे, जो दुकान या अधिष्ठान में नियोजित कर्मकारों की पहुँच में हों:

परन्तु उस दशा में, जब स्थान की कमी या अन्यथा कारण से

किसी दुकान या अधिष्ठान में ऐसा करना संभव न हो, तो कतिपय नियोक्ता सामूहिक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं।

(3) ऐसी प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें बीस या उससे अधिक स्त्री कर्मकार सामान्यतया नियोजित हों, ऐसी स्त्री कर्मकारों के बालकों के उपयोग के लिए शिशु सदन के रूप में उपयुक्त कक्ष उपलब्ध कराये जाएंगे और उनका अनुरक्षण किया जायेगाः

परन्तु यदि दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान समूह एक किलोमीटर के घेरे के भीतर सामूहिक शिशु सदन उपलब्ध कराने का विनिश्चय करता है तो उसकी अनुमति निरीक्षक द्वारा किसी आदेश के माध्यम से उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जायेगी।

(4) प्रत्येक नियोक्ता को कार्यस्थल पर यथाविहित रूप में प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।

(5) राज्य सरकार नियोक्ता से ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें 250 से अन्यून कर्मकार नियोजित हों या सामान्यतया नियोजित हों, उन कर्मकारों के उपयोग के लिए कैन्टीन की व्यवस्था करने और उसे अनुरक्षित करने की अपेक्षा करेगीः

परन्तु यदि कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान समूह सामूहिक कैंटीन की व्यवस्था करने का विनिश्चय करता है तो उसे निरीक्षक द्वारा किसी आदेश के माध्यम से उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन अनुमति प्रदान की जायेगी।

(6) प्रत्येक नियोक्ता को कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा (जिसमें स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, संवातन और अग्नि सुरक्षा सम्मिलित है) से सम्बंधित ऐसे समस्त उपाय करना होगा, जो आवश्यक हों।''

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजना मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन)

(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा ।

अधिनियम संख्या 27 सन् 1996 की धारा 22 का संशोधन

2–भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–22 में, खण्ड (ग) में, शब्द ''ऋण और अग्रिम'' के स्थान पर शब्द ''ऋण, अग्रिम और वित्तीय सहायता'' रख दिये जायेंगे ।

अधिनियम संख्या–27 सन् 1996 की धारा 49-क का बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा-49 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''49–क (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी ऐसे अपराध का शमन, जो अधिकतम छः मास के कारावास से या जुर्माना सहित अधिकतम छः मास के कारावास से दण्डनीय हो,

किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने से पूर्व या पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर किसी अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, यथा विहित रीति से ऐसे अपराध के लिये उपबन्धित अधिकतम जुर्मानें की 50 प्रतिशत राशि के साथ, किया जायेगा । परन्तु, इस धारा के उपबन्ध केवल प्रथम अपराध के लिये उपलब्ध होंगे ।

(2) किसी अपराध का शमन किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, किसी अपराध का शमन किये जाने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया हो, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जायेगा, जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित हो और इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध, इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा ।''

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा-शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजना मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा-शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा-शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बंध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या–11 सन् 1976 की धारा 10–क का बढ़ाया जाना

2– विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

अपराधों का शमन

"10 क (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध का शमन,

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे अपराध के लिए विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप 50 प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात्, किया जायेगा :

परन्तु शमन हेतु उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध का शमन किए जाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार के निदेश नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।

(3) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके सम्बन्ध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाता है वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित है और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।''

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017

संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम

2–संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा–2-क के अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे :– संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 28 सन् 1947 की धारा–2-क का संशोधन

''परन्तु उस कर्मकार और उसके नियोक्ता के बीच ऐसे उन्मोचन, पदच्युति, छटनी या पर्यावसान से संबंधित या उसके कारण उठने वाला ऐसा विवाद या मतभेद, औद्योगिक विवाद नहीं समझा जायेगा, यदि ऐसा विवाद ऐसे उन्मोचन, पदच्युति, छटनी या पर्यावसान के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर सुलह कार्यवाही में न उठाया गया हो :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट कोई प्राधिकारी उक्त एक वर्ष की अवधि को बढ़ाने के लिये तब विचार कर सकेगा, जब कर्मकार के आवेदन से उस प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उसके पास उस विवाद को एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं उठाने का पर्याप्त कारण था।''

3–मूल अधिनियम की धारा–6-ञ में, शब्द ''पचास से कम मजदूर'' के स्थान पर शब्द ''सौ से कम मजदूर'' रख दिये जायेंगे । धारा–6-ञ का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा–6-ढ़ में, खण्ड (ख) में, शब्द ''पन्द्रह दिन के औसत वेतन'' के स्थान पर शब्द ''एक माह के औसत वेतन'' रख दिये जायेंगे । धारा–6-ढ़ का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा–6-ब में, उप धारा (8) में, शब्द ''पन्द्रह दिन के औसत वेतन'' के स्थान पर शब्द ''एक माह के औसत वेतन'' रख दिये जायेंगे । धारा–6-ब का संशोधन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियमसंख्या 25 सन् 1976 की धारा 11-क का बढ़ाया जाना

2–समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

अपराधों का शमन

''11–क(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय ऐसे किसी अपराध का शमन, जो केवल जुर्माना से या एक मास तक कारावास से या दोनों से, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे अपराध के लिए विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप 50 प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात्, किया जायेगाः

परन्तु शमन हेतु उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, किसी अपराध का शमन करने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।

(3) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथाविहित प्रपत्र में और ऐसी रीति से किया जायेगा।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके सम्बन्ध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित है और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 27 सन् 1961 की धारा–3 का संशोधन

2–मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–3 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्ः–

"(4) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात् एक दिन के भीतर ऐसी रीति से जो राज्य सरकार निर्धारित करे, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा या मंजूर करने से इंकार करेगा और उक्त अवधि की समाप्ति पर रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया माना जाएगा।

आवेदक अपना आवेदन पत्र विभागीय वेबपोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों व फीस संदाय के साथ प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो वेबपोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ई–मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगाः

प्रतिबंध यह है कि यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण अकृत और शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।"

धारा–34-क का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा–34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्ः–

"34–क (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय ऐसे किसी अपराध का शमन, जो

अपराधों का शमन

केवल जुर्माना से या तीन मास तक कारावास से या दोनों से राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में

अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे अपराध के लिए विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप 50 प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात्, किया जायेगाः

परन्तु शमन हेतु उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, किसी अपराध का शमन करने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।

(3) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके सम्बन्ध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित है और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1 (1) यह अधिनियम न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 11 सन् 1948 की धारा–11 का संशोधन

2–न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 11 में, उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

(1) औद्योगिक या अन्य अधिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता/स्वामी अपने कर्मचारी को मजदूरी का संदाय, चेक या एन0ई0एफ0टी0, ई0सी0एस0 या अन्य बैंककारी समाधानों के माध्यम से करेगा।

परन्तु यदि नियोजित व्यक्ति का कार्य, अस्थायी/ आकस्मिक या नियत अवधि का है तो उसके द्वारा लिखित सहमति और स्व प्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत किये जाने पर उक्त नियोक्ता तीन माह में एक बार अनधिक पाँच हजार रूपये की मजदूरी का नकद भुगतान करेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 37 सन् 1970 की धारा 1 का संशोधन

2–ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी :–

(4) यह –

(क) ऐसे प्रत्येक अधिष्ठान के लिए लागू होता है जिसमें पचास (50) या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे ;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार के लिये लागू होता है जो पचास (50) या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसमें पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किए थे :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात, इस अधिनियम के उपबन्ध, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी अधिष्ठान या ठेकेदार के लिए लागू कर सकती है जो पचास (50) से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

धारा 7 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) के पश्चात्

निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(3) सभी प्रकार से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन–पत्र यथा विहित रीति से प्रस्ततु किये जाने के दिनांक से एक दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा या मंजूर करने से इन्कार करेगा या मंजूर करने से आपत्ति करेगा। उक्त अवधि के समाप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया समझा जायेगा।

आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय के साथ विभागीय वेब–पोर्टल पर अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हों और आवेदक पात्र हो तो उसे वेब–पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपा कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण अकृत और शून्य माना जाएगा और उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है तथा आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।''

धारा 13 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

''(4) यदि अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हों और अनुज्ञापन अधिकारी तीस दिन की अवधि के भीतर कोई आदेश करने में विफल रहता है तो यह माना जाएगा कि उसे अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी गई है।"

नयी धारा 25 क का बढ़ाया जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:–

''25 क (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये ऐसे किसी अपराध का शमन जो जुर्माना या कारावास जो 6 माह तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय हो, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात अभियुक्त के आवेदन पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें यथा विहित रीति से ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित अधिकतम जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि के साथ किया जा सकता है :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन शमन की व्यवस्था केवल प्रथम बार अपराध कारित करने पर ही सुलभ होगी।

(2) किसी अपराध का शमन किये जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(3) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्तुति किये

जाने के पूर्व किया जाता है वहॉ ऐसे अपराधी के विरूद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया हो, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(4) जहाँ किसी भी अपराध का शमन, किसी अभियोजन कि संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जायेगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित हो और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 के खण्ड-4 द्वारा बढ़ायी जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) में शब्द ''30 दिन की अवधि के भीतर'' के स्थान पर शब्द ''एक दिन की अवधि के भीतर'' रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 के खण्ड-4 द्वारा बढ़ायी जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) में ''30 दिन की अवधि के भीतर'' के स्थान पर शब्द ''एक दिन की अवधि के भीतर'' रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 संशोशन सहित पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 संशोधन सहित पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017

महिला कल्याण परिवार एवं पर्यटन मंत्री (श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2015 में साधारण संशोधन

2– उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम,2015 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में,-

(क) शीर्षक एवं दीर्घ शीर्षक के साथ शब्द "नियोजन और विकास बोर्ड" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "तीर्थ विकास परिषद्" रख दिये जायेंगे;

(ख) पार्श्व शीर्षक के साथ शब्द "बोर्ड" जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "परिषद्" रख दिया जायेगा;

(ग) पार्श्व शीर्षक के साथ शब्द "कौन्सिल" जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायेगा;

(घ) पार्श्व शीर्षक के साथ शब्द "अध्यक्ष" जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष/अध्यक्षा" रख दिया जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 2 में खण्ड "(ण)" के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(त) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा पूर्णकालिक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है ।"

धारा 3 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप-धारा (3) में,–

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात् :-

"(ख) उपाध्यक्ष।"

(ख) खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

"(त) ब्रज क्षेत्र की विरासत के संरक्षण हेतु प्रयत्नों के सम्बन्ध में ज्ञान, अनुभव, अभिज्ञता और ट्रैक रिकार्ड रखने वाले पॉच विख्यात व्यक्तियों को अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव/ सचिव, संस्कृति और प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।"

5–मूल अधिनियम की धारा 4 में उप-धारा (3) में शब्द "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी" रख दिये जायेंगे। **धारा 4 का संशोधन**

6–मूल अधिनियम की धारा 6 में खण्ड (2) (क) एवं (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएगें; अर्थात्:- **धारा 6 का संशोधन**

"(क) जिला मजिस्ट्रेट, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा।"

7—मूल अधिनियम की धारा 10 में शब्द " एक कैलेंडर वर्ष की तिमाही" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जाएंगे। **धारा 10 का संशोधन**

8–मूल अधिनियम की धारा 27 को उसकी उप-धारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं बढा दी जाएंगी, अर्थात्:- **धारा 27 का संशोधन**

"(2) उपाध्यक्ष ऐसे विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव जो परिषद् के सदस्य हों, के परामर्श से एक तकनीकी दल का गठन करेगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। उक्त दल समय-समय पर परिषद् द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

(3) विधिक मामलों में परिषद् को सलाह देने के लिए एक विधि सलाहकार भी होगा, जो राज्य सरकार के न्याय विभाग के परामर्श से नियुक्त किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27-7-2017 को कुल 71 सूचनायें प्राप्त हुई, सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी।

पहली श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल की वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर 07 एवं 08 के अर्धनिर्मित सड़क का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव में पर्यटन विभाग से सौन्दर्यीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की बुलन्दशहर नगर में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से खोली गयी मीट की दुकानों को तत्काल बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शूरवीर राजा नरपति सिंह की कर्मभूमि, शौर्यभूमि रुइया गढ़ी परिसर माधौगंज हरदोई को पर्यटन स्थल घोषित कर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी श्रीमती कमल रानी की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में बारिश के पानी के निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठवीं श्री श्याम धनी की जनपद सिद्धार्थनगर के उस्का सिद्धार्थनगर मुख्यमार्ग की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं श्री विजय कुमार कश्यप की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के कतिपय ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के जमुना बाजार का ट्यूबवेल की मशीन की मरम्मत एवं रिबोर कराये जाने के सम्बन्ध में है, नववीं डॉ0 अरुण कुमार की जनपद बरेली में सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में है, दसवीं श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के केराकत तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में खैर सोमना रोड से ग्राम देवपुर तक सम्पर्क मार्ग पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत चौकी बाजार के बभनजोत विकास खण्ड में महिला अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं श्री रमाशंकर पटेल की जनपद मिर्जापुर की बरही नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं श्री पंकज गुप्ता तथा श्री कुलदीप सिंह सेंगर की गलत ढंग संचालित मे0 उन्नाव डिस्टलरी रोड ब्रेवरीज लि0 शेखपुर, उन्नाव पर कार्यवाही के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र घनौरा के वाहा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के ब्लाक शिवपुर के अन्तर्गत आने वाले मन्दिरों को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज अन्तर्गत कतिपय ग्रामसभाओं में पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल की बलिया विधान सभा क्षेत्र के समस्त निवासियों को सरफेस वाटर स्कीम के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं श्री मनीष असीजा की नगर फिरोजाबाद में 400 के0 वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं श्री राम प्रताप सिंह की दुपहिया वाहनों पर चालक के साथ बैठने वाले दूसरे व्यक्ति को भी हेलमेट अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं श्री विपिन कुमार डेविड की

जनपद एटा में मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में है, बाइसवीं डा0 डी0 सी0 वर्मा की जनपद बरेली में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में है, तेइसवीं श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय बस्तियों को मुजफ्फरनगर नगर पालिका में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है, चौबसवीं श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के कतिपय सड़क तथा पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर शहीद श्री जयद्रथ सिंह निवासी ग्राम भगवानपुर के ग्राम का मुख्यद्वार को शहीद जयद्रथ का नाम दिये एवं उनकी प्रतिमा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं डा0 संगीता बलवन्त की गोताखोरों को स्थायी नियुक्ति एवं उचित मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन में कौंच से माधौगढ़ तक मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बल्देव में लो0नि0वि0 द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं श्रीमती सुनीता सिंह की जनपद गाजीपुर के जमानियां में इण्टर कालेज में साइन्स की पढ़ाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं श्री शैलेश कुमार सिंह 'शैलू' की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में कई वर्षों से मार्गों का निर्माण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के पुलिस स्टेशन भुता के जर्जर भवन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं श्री केसर सिंह की जनपद बरेली में ओसवाल चीनी मिल के बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेतीसवीं श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत नवेरी में चीनी मिल खोले जाने के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में पचनंदा परियोजना को जल्द प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में रिंग मार्ग बीसलपुर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छतीसवीं श्री कैलाश नाथ शुक्ल की प्रदेश में शिक्षा मित्रों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैतीसवीं श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के गांव पचगाई, चचोई, बहोराबाद एवं अगराई को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चोल में शामिल करते हुये थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं श्रीमती निर्मला संखवार की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में पानी की टंकी का निर्माण कराकर पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं श्रीमती रजनी तिवारी की जनपद हरदोई के तहसील शाहाबाद में निर्मित मुन्सिफ कोर्ट को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालिसवीं श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालिसवीं डा0 मंजू शिवाज की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के सभी रजवहों में पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं श्री तेजेन्द्र निर्वाल की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र शामली के गांव लिसाढ़ में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैतालिसवी श्रीमती कमलेश सैनी की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है, चौवलिसवीं श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'' की प्रदेश के नगर निगमों में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैतालिसवीं श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के थाना तितरों के कतिपय गांवों को थाना गंगोह में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवी श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर में स्वामी

कल्याण देव चिकित्सालय व आयुर्वेदिक कालेज में घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैतालिसवीं श्री रमेश चन्द्र दिवाकर की जनपद औरैया में बारात घर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं चौ0 उदयभान सिंह की जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्टेडियम निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा उत्तर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं श्री जन्मेजय सिंह की प्रदेश के जिला पंचायतों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्यालय स्तर पर कोष्ठक का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं श्री रामपाल वर्मा की जनपद हरदोई के सण्डीला बेनीगंज मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं कुं0 माधवेन्द्र प्रताप की जनपद हरदोई में सवायजपुर तहसील मुख्यालय पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं श्री वीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के ब्लाक हाथरस में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय को लखनऊ मेट्रो रेल सेवा से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं श्री सुरेश कुमार की श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के बुद्धेश्वर मन्दिर में सीता कुण्ड को पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में है, छपनवीं श्री राजेश गौतम की प्रदेश में दैनिक वेतन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं श्री सुरेश्वर सिंह की जनपद बहराइच में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं डा0 अनीता लोधी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं श्री कमल सिंह मलिक की जनपद कानपुर में प्राकृतिक झील को भू-माफियाओं से मुक्त कर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं श्री रवीन्द्र जायसवाल की वाराणसी शहर के गौदोलिया सहित अन्य सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में है, इक्सठवीं श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं श्री संजय कुमार की जनपद कौशाम्बी के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में पाइप लाइन से जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ में ग्राम बरावन कला में सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में कोल/निर्बल आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पैसठवीं श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में बाबा बाजार को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छियासठवीं श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं श्री विजेन्द्र सिंह की खुर्जा नगर में बाई पास बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की प्रदेश के विद्यालय/महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है, उन्हत्तरवीं डा0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं बाबा गोरखनाथ की जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा इकहत्तरवीं श्री राम नरेश रावत की जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र बछरांवा अन्तर्गत नहरों, रजवाहों की सफाई के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयी)

वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर-07 एवं 08 के अर्धनिर्मित सड़क का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

[मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है, उदाहरणतः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर 07 एवं 08 के मध्य ग्राम चिरैयाबाग से उतरेठिया स्टेशन तक लगभग 3347.25 मी0 की लम्बाई में सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना था, जिसमें से 3267.45 मी0 की लम्बाई में सड़क कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, अवशेष 80.00 मी0 लम्बी सड़क का निर्माण कार्य आज भी अवशेष है। उक्त 80.00 मी0 के निर्माण कार्य न होने से स्थानीय निवासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण उनमें रोष व्याप्त है।

अतएव उक्त 80.00 मी0 सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद-उन्नाव में पर्यटन विभाग से सौन्दर्यीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान लोक महत्व के इस विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारा जनपद साहित्यकारों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर पुरुषों से भरा हुआ है। जनपद उन्नाव के बांगरमऊ में जनपद उन्नाव के प्रथम संसद सदस्य श्री विसम्भर दयाल त्रिपाठी जी के स्मारक का सौन्दर्यीकरण व उच्चीकरण गुलाब सिंह लोधी जी के स्मारक का सौन्दर्यीकरण व उच्चीकरण वीर पुरुष श्री जसा सिंह स्मारक को बनवाये जाने, द्वार बनवाये जाने, व स्मारक को सौन्दर्यीकरण कराने, महराजा सातन पासी किला का सौन्दर्यीकरण व उच्चीकरण कराने, राजा राव राम बक्स सिंह के स्मारक का सौन्दर्यीकरण व उच्चीकरण कराना व कांस्य की 21 फुट ऊंची मूर्ति छतरी व मार्बल सहित लगवाने, चन्द्रशेखर आजाद जी के स्मारक का वृहद स्तर पर उच्चीकरण व सौन्दर्यीकरण हो जाने से पर्यटन के रूप में जनपद उन्नाव में लाखों लोगों को सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। जनपद उन्नाव की जनता सरकार को जीवन भर धन्यवाद देगी। इस प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतएव इस लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बुलन्दशहर नगर में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से खोली गयी मीट की दुकानों को तत्काल बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर नगर में मीट बिक्री हेतु एक भी दुकान का लाइसेंस जारी नहीं किया गया है परन्तु मीट की बिक्री अवैध रूप से दुकाने खोल कर की जा रही है। जगह-जगह खुले में मीट की बिक्री हो रही है परन्तु जिला प्रशासन आंखे मूंदे हुये है। जबकि वर्तमान में सरकार द्वारा बिना लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानों को बन्द करने के निर्देश जारी किये गये है। इसके विपरीत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बुलन्दशहर नगर में बिना लाइसेंस के सैकड़ों मीट की दुकाने संचालित की जा रही है। इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बुलन्दशहर नगर में बिना लाइसेंस के सैकड़ों मीट की संचालित दुकानों को बन्द कराये जाने की मांग करता हूं।]

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शूरवीर राजा नरपति सिंह की कर्मभूमि, शौर्यभूमि, रूइयागढ़ी परिसर माधौगंज, हरदोई को पर्यटन स्थल घोषित कर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

[मान्यवर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजा नरपति सिंह ने सर्वप्रथम 8 जून, 1857 को अंग्रेजी जिला मुख्यालय नष्ट कर पूरे जनपद पर अधिपत्य जमा लिया था और लगभग डेढ़ वर्ष तक शासन किया था। गजेटियर के अनुसार 15 अप्रैल, 1857 को एक विशाल अंग्रेजी सेना के आक्रमण को विफल करते हुये अपने पराक्रम से ब्रिगेडियर ऐड्रियन होप, 5 लेफ्टीनेन्ट्स एवं 55 सैनिकों को मार डाला था। उक्त ऐतिहासिक भूमि हरदोई-कानपुर मार्ग पर माधौगंज कस्बा से 3 कि0मी0 दूर उत्तर में 50.9 हे0 भूमि पर सुन्दर झील से घिरी हुई है वहीं पर भग्नावशेष किला पुरानी शौर्य गाथा दर्शा रहा है। राजा की आदमकाय भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ उनका भव्य स्मारक बना हुआ है जहां पर लाखों यात्री पर्यटक एवं विद्यार्थी प्रतिवर्ष आकर प्रेरणा पाते हैं।

आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर विकसित करने हेतु, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद-कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में बारिश के पानी के निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कमल रानी-

[मान्यवर, जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत घाटमपुर टाउन एरिया में बारिश का पानी एवं गन्दे पानी की निकासी हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिससे बहुत कम बारिश में ही घाटमपुर टाउन पूर्णरूप से जलमग्न हो जाता है जिससे पानी भर जाने के कारण वहां के निवासी तथा व्यापारी, दुकानदारों का लाखों का नुकसान प्रति वर्ष होता रहता है और वहां का जन-जीवन भी प्रभावित रहता है। जल भराव के कारण बीमारी भी बहुत तेजी से फैलती है तथा आवागमन भी बाधित रहता है। इस विकराल समस्या के समाधान हेतु हमीरपुर-सागर मार्ग एन0एच0-86 में स्थित गुजेला ग्राम नोन नदी तक नाला निर्माण कराकर जल निकासी का रास्ता बनाना जनहित में अति आवश्यक है।

आपके माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त नाले का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-सिद्धार्थनगर के उस्का-सिद्धार्थनगर मुख्य मार्ग की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम धनी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सिद्धार्थनगर के उस्का-सिद्धार्थनगर मुख्य मार्ग से होकर ग्राम सभा चौरी महुलानी-सीयरापार जाने वाली सड़क बेहद ही जर्जर हो चुकी है। आये दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है जिसके कारण कई लोक घायल भी हो चुके है। आमजन मजबूर एवं बेबस है उक्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के कतिपय ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार कश्यप-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आने वाले बूढ़ा खेड़ा, छिमाऊ, कसौली न्यामू, मथुरा, चौकड़ा, सिकन्दरपुर एवं पीपलशाह, जसोई, नसीरपुर, धनसैनी, तितावी, ढोलबी, बुढ़ीनाकलां, नूनाखेड़ा, लखान, ढिढावली, कुत्बा-कूतबी समेत लगभग 25 ग्रामों में पीने के पानी की बहुत ही गम्भीर समस्या है। हिंडन नदी के पानी में जहरीले तत्व घुले होने के कारण अपने आस-पास के गांवों के पानी को भी दूषित कर रही है। इस पानी को पीने के कारण ग्रामीणों को कैंसर एवं पीलिया जैसी भयंकर बीमारियां हो रही है। इस समस्या के निराकरण हेतु सौर पम्प, आर0ओ0 एवं कहीं दूर से पानी लाकर ओवरहेड टंकी द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के जमुवां बाजार का ट्यूबवेल की मशीन की मरम्मत एवं रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र संख्या (397) मझवां के मझवां ब्लाक में जमुवां बाजार का ट्यूबवेल का मशीन व रि-बोर दोनों ही ध्वस्त है। जिससे विगत 15 वर्षों से 20 से 25 गांव प्रभावित हो रहे है। अतः जनहित में इनकी मरम्मत कराकर संचालन प्रारम्भ कराने की व्यवस्था की जायें।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-बरेली में सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, बरेली जिले की आबादी लगभग 35 लाख के ज्यादा है। कमिश्नरी का मुख्यालय है। यहां पर कोई सरकारी मेडिकल कालेज नहीं है। बड़ी संख्या में मरीजों को ज्यादा बीमार होने पर लखनऊ या दिल्ली जाना पड़ता है, जिसमें काफी खर्चा एवं कठिनाई होती है। सरकारी मेडिकल कालेज के लिये यहां पर आवश्यक बेड एवं जमीन भी उपलब्ध है। जनहित में सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-जौनपुर के केराकत तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 372-केराकत, जनपद जौनपुर के केराकत तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना होना अनिवार्य है क्योंकि क्षेत्रवासियों को छोटे-छोटे न्याय के लिये लगभग 50 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है। आम जनमानस के हित को देखते हुये केराकत तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-अलीगढ़ में खैर सोमना रोड से ग्राम देवपुर तक सम्पर्क मार्ग पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[जनपद अलीगढ़ में खैर सोमना रोड से ग्राम सोमना से होते हुये ग्राम देवपुर से होते हुये गोरना सम्पर्क मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यह सम्पर्क मार्ग कई ग्रामों को आपस में जोड़ता है। छात्र-छात्रायें व किसान आदि मुख्य रूप से इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण जनता को काफी कठिनाई होती है। इस मार्ग की शीघ्र मरम्मत जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत चौकी बाजार के बभनजोत विकास खण्ड में महिला अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र गौरा काफी पिछड़ा है और महिला अस्पताल नहीं है। महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जिला मुख्यालय 100 किमी0 की दूरी पर स्थित है। आजादी से आज तक इस क्षेत्र पर अन्याय होता रहा जहां पर महिला अस्पताल न हो। यह दिक्कत काफी समय से क्षेत्रों में है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये गौरा चौकी बाजार के बभनजोत विकास खण्ड में महिला अस्पताल बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-मिर्जापुर की बहरी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर पटेल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान जनपद मिर्जापुर बहरी नदी पर एवं जरगो नदी पर पुल का निर्माण न होने से आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। क्षेत्र की जनता द्वारा काफी समय से जरगो नदी पर जमहार वनियाबाद गांव के पास तथा बहरी नदी पर एक पुल का निर्माण कराये जाने की मांग की जा रही है। जनहित उक्त दोनों नदियों पर पुल का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये बहरी एवं जरगो नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गलत ढंग से संचालित मे0 उन्नाव डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0, शेखपुर, उन्नाव पर कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता एवं श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद उन्नाव के शेखपुर में मे0 उन्नाव डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 का नियम विरुद्ध संचालन किया जा रहा है। जिसके सन्दर्भ में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पत्रांक 25215 दिनांक 21 मार्च, 2017 द्वारा 12 बिन्दुओं पर आपत्ति जताते हुये इकाई के सम्पूर्ण बन्दी के निर्देश दिये गये इसके साथ ही अधिशासी अभियन्ता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को विद्युत कटौती के निर्देश दिये गये परन्तु न तो विद्युत कटौती करायी गयी और न ही इकाई की सम्पूर्ण बन्दी करायी गयी जिसके चलते यह स्पष्ट होता है कि प्रदूषण विभाग द्वारा उक्त उद्योग को प्रदूषण फैलाने के लिये मदद की जा रही है जो मानवहित के विरुद्ध है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के वाह नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा अन्तर्गत वाह नदी पर चकनवाला व शीशोवाली एवं झुनपुरा व चादरा फार्म के मध्य नदी पर पुल न होने से क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पुल का निर्माण न कराये जाने से या तो छोटी नावों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अथवा बहुत दूरी तय करके दूसरी तरफ आना-जाना पड़ता है। काफी समय से इन स्थानों पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग की जा रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुये चकनवाल व चकनवाला व शीशोवाली एवं झुनपुरा व चादरा फार्म के मध्य नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के ब्लाक शिवपुर के अन्तर्गत आने वाले मन्दिरों को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 283 नानपारा के ब्लाक शिवपुर के अन्तर्गत श्री सिद्धपीठ बाबा बूढ़ेश्वरनाथ (बूढ़वा बाबा) तथा सिद्धपीठ बाबा जगलीनाथ मन्दिर स्थापित है। इन दोनों मन्दिर कजरीतीज व सत्तू अमावस्या के दिन भव्य मेला लगता है जिसमें लगभग 20-25 हजार श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है एवं कांवरियों का भी जत्था आता है। सावन मास के प्रत्येक सोमवार व पूरे महीने श्रद्धालुओं एवं कांवरियों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। इस मेले में बहराइच लखीपुर व दूर-दराज के भक्तगण आते है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये इन दोनों मन्दिरों का सौन्दर्यीकरण कराये और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये ब्लाक शिवपुर के अन्तर्गत श्री सिद्धपीठ बाबा बूढ़ेश्वरनाथ (बूढ़वा बाबा) तथा सिद्धपीठ बाबा जगलीनाथ मन्दिर का सौन्दर्यीकरण करके पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

[मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज विकास के मामले में अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। यहां तक कि केवल कुछ ग्राम सभाओं में पंचायत भवन निर्मित है वो भी अत्यन्त जीर्णशीर्ण अवस्था में है। ग्राम सभा-करनपुर कौड़ीकोल, खुटहना, डमरूआ जंगल, पढ़नी, खौपुरा, सुकरौली में समाज कल्याण के माध्यम से पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज जनपद बस्ती के अन्तर्गत उक्त ग्राम सभाओं में पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बलिया विधान सभा क्षेत्र के समस्त निवासियों को सरफेस वाटर स्कीम के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बलिया जो गंगा एवं घाघरा नदियों से घिरा हुआ है। आज भू-जल के आर्सेनिक व आयरनयुक्त होने के कारण बलिया वासियों को अनेक असाध्य रोगों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रति एक लीटर पानी में 10 माइक्रो ग्राम आर्सेनिक की मात्रा भी जीवन के लिये हानिकारक है किन्तु दुखद है कि बलिया के सैकड़ों गांवों के भू-जल में औसत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1000-1200 माइक्रों ग्राम आर्सेनिक की मात्रा पायी जा रही है। इसके समाधान के लिये आवश्यक है कि गंगा नदी से ''सरफेस वाटर स्कीम'' के तहत पानी लाकर बलिया वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

नगर फिरोजाबाद में 400 के0 वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[मान्यवर, नगर फिरोजाबाद अपने कांच/चूड़ी उद्योग के लिये पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व में प्रसिद्ध है। नगर फिरोजाबाद विश्व प्रसिद्ध हेरीटेज स्मारक ताजमहल की त्रिज्या में आने के कारण टी0 टी0 जोन में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में टी0टी0 जोन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अबाध रूप से संचालित करने के आदेश है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद फिरोजाबाद में विद्युत वितरण के आधारभूत ढांचागत कमी के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। वहीं औद्योगिक नगरी होने के कारण वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन के लिये बड़ी संख्या में जनरेटर चलते हैं जिससे विश्व संरक्षित ताजमहल को नुकसान पहुंचता है।

उपरोक्त के क्रम में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन द्वारा फिरोजाबाद नगर में 400 के0 वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र निर्माण का कार्य कैबनेट द्वारा पास हो गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल प्रभाव से निविदा कराकर बिजली घर का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

दुपहिया वाहनों पर चालक के साथ बैठने वाले दूसरे व्यक्ति को भी हेलमेट अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप सिंह-

[महोदय, प्रदेश में एक्सिडेंट में होने वाली मृत्यु का 70 प्रतिशत कारण सिर की चोट के कारण होती है। दुपहिया वाहनों पर हेलमेट चालक तथा साथ में बैठने वाले को लगाना आवश्यक है जिससे कि दुर्घटना होने पर मृत्यु दर में कमी आ सकें। इस समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि दुपहिया वाहनों पर हेलमेट की अनिवार्यता को सख्ती से लागू कराने हेतु सम्बन्धित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-एटा में मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन कुमार डेविड-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि लगभग 16 लाख की जनसंख्या का जनपद एटा अत्यन्त ही पिछड़ा जिला है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर यहां एक राजकीय जिला चिकित्सालय है जिसमें

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपकरणों एवं डाक्टरों की भारी कमी के कारण जनमानस को बहुत ही असुविधा होती है। गम्भीर बीमारियों के इलाज हेतु लोगों को दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ एवं सैफई तक जाना पड़ता है। जनमानस को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये एटा जनपद में एक मेडिकल कालेज की स्थापना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-बरेली में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

[मान्यवर, रूहेलखण्ड, बरेली परिक्षेत्र कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। किसानों को कृषि के सम्बन्धी विषयों पर तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता है। इससे उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी। अतः किसानों की समस्याओं एवं शिक्षा के विकास हेतु जनपद बरेली में कृषि विश्वविद्यालय की जनहित में अत्यन्त टी आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-मुजफ्फरनगर में कतिपय बस्तियों को मुजफ्फरनगर नगर पालिका में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिल देव अग्रवाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के नगर पालिका क्षेत्र मुजफ्फरनगर की आबादी लगभग 3.50 लाख है। 45 वार्ड है तथा प्रदेश की सबसे बड़ी पालिकाओं में से एक है। शहरी क्षेत्र में बहुत घनी आबादियां होने के कारण अतिक्रमण एवं भीड़-भाड़ बहुत अधिक हो गई है किन्तु शहर का विस्तार नहीं हो पा रहा है। साथ ही नगर के बाहरी क्षेत्र में बसी बस्तियां व गांव अवस्थापना की सुविधाओं पानी, बिजली, सड़क, सफाई, सीवर, ड्रेनेज आदि न होने के कारण उनका जीवन दूभर हो गया है। इस समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि जनहित में बस्तियों व कालोनियों को नगर पालिका क्षेत्र में लेकर पालिका का विस्तार कर दिया जाय तो उन बस्ती वासियों को नारकीय जीवन से उबारा जा सकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के कतिपय सड़क तथा पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[मान्यवर, जनपद मेरठ के विधान सभा 46-किठौर के अन्तर्गत पसवाड़ा के पास रजवाहे की पुलिया का निर्माण एवं खरखौंदा में खासपुर मार्ग को श्मसान घाट तक पानी निकासी व सड़क एवं नाले के निर्माण व ग्राम कैली, ब्लाक खरखौंदा में भी पानी निकासी तथा नाले का निर्माण न होने के कारण उक्त तीनों स्थानों पर जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा पानी के रुकने से बीमारी महामारी की तरह फैल रही है। जनहित में इन समस्याओं का समाधान अति आवश्यक है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। आज यह समस्या क्षेत्र में विकराल रूप धारण किये हुये है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-सहारनपुर शहीद श्री जयद्रथ सिंह निवासी भगवानपुर के ग्राम के मुख्य द्वार को शहीद जयद्रथ का नाम दिये एवं उनकी प्रतिमा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि दिनांक 21 जुलाई, 2017 को कश्मीर में पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हुए श्री जयद्रथ सिंह निवासी-गांव भगवानपुर, पोस्ट अम्बेहटा चांद, जिला सहारनपुर के शहीद हो गये थे। पूरे जनपद की मांग है कि उनके गांव के मुख्य द्वार को शहीद जयद्रथ सिंह के नाम से बनाया जाये और उनकी एक प्रतिमा गांव में स्थापित की जाये तथा गांव भगवानपुर, हिण्डन नदी पर जो पुल बनाया जाये, उसका नाम अमर शहीद जयद्रथ के नाम पर रखा जाये, जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गोताखोरों की स्थायी नियुक्ति एवं उचित मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 संगीता बलवंत-

[मान्यवर, बाढ़ के दिनों में बाढ़ प्रभावित जिलों में एवं नदियों में डूबते हुए लोगों को अपनी जान की परवाह किये बिना बचाने वाले एवं मृत शरीर को निकालने वाले गोताखोर जो जिला प्रशासन द्वारा बिना किसी मानेदय के केवल निम्न धनराशि/पारिश्रमिक पर नियुक्त गये हैं। इन गोताखोरों को जोखिमपूर्ण कार्य करने के बाद भी केवल दैनिक और निम्न स्तर की धनराशि देकर कार्य लिया जाता है। यह गोताखोर किसी प्रकार अपना जीवन यापन करते है। जनहित में जोखिपूर्ण कार्य करने वाले गोताखोरों स्थायी नियुक्ति/अस्थायी या उचित मानदेय दिया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गोताखोर को स्थायी/अस्थायी नियुक्ति या उचित मानदेय दिये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद-जालौन में कौंच से माधौगढ़ तक मुख्य सड़क को पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूलचन्द्र सिंह -

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा 219-माधौगढ़, जालौन में कौंच से माधौगढ़ मुख्य सड़क पूरी तरह जीर्ण-क्षीर्ण हो चुकी है जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित रहता है। यहां से स्कूल के छात्र-छात्रायें, किसानों एवं व्यापारियों का भी आवागमन रहता है। यह मुख्य सड़क मार्ग है इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में जाया जा सकता है। जिस कारण यहां की जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस सड़क का निर्माण आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बल्देव में लो0नि0वि0 द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्देव जनपद मथुरा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड प्रथम मथुरा द्वारा गौशाला (गोकुल) से सादाबाद रोड तक अभी तीन महीने पूर्व सड़क का नवीनीकरण कराया गया था। इस सड़क पर मानक के विपरीत तथा अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता एवं जूनियर अभियन्ताओं की मिलीभगत से सड़क के नवीनीकरण मे हद दर्जे की अनियमिततायें की गयी। जिसके कारण उपरोक्त सड़क पुनः पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिसके कारण आवागमन भी अवरुद्ध हो रहा है। इसी तरह इसी प्रखण्ड से मरम्मत कराया गया मार्ग मथुरा-राया-इग्लास मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व मार्ग की पुनः मरम्मत कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-गाजीपुर के जमानिया में इण्टर कालेज में साइन्स की पढ़ाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सुनीता-

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र 379-जमानिया में इण्टर कालेज में साइन्स की पढ़ाई नहीं होती है जिससे यहां के छात्र-छात्राओं को साइन्स की शिक्षा के लिये दूर-दराज जाना पड़ता है जिससे यहां के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सरकार की भी पहली प्राथमिकता है कि सभी को शिक्षा मिले।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

जनपद-बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में कई वर्षों से मार्गों का निर्माण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेश कुमार सिंह 'शैलू'-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में विगत कई वर्षों से विकास कार्य नहीं हुआ है सड़कों का नव निर्माण काफी समय से न होने के कारण इनकी हालत जीर्ण-शीर्ण हो गयी है जिससे आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। जैसे-मधवानर खादर नदी बांध से धंधिया नाला पुल तक, कटैया भारी मेन रोड से अरा नाला हेतु हुये सदुवा नगर गांव तक, गौरा भारी गांव श्मशान स्थल तक, लैबुडवां खादर उदयराज मौर्य के घर से तिलकहवा डी भगवानपुर घाट तक, हाटी धनखरपुर से सदुवा नगर तीरथ कहार के घर हाही गांव तक, शंकरपुर खुर्द से बडगौ तक, बेल भरिया गांव के पूरब पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से मजगवां खुर्द आंगन बाड़ी केन्द्र तक, पकडी जीत पुर प्राथमिक विद्यालय से अमौली कब्रिस्तान तक, लालपुर के लोकई डीह से रन्नू डीह गैसड़ी पचपेडवा तक गैसड़ी में जीरो से लेपन स्तर तक, विकास खण्ड पचपेडवा तथा लालपुर में लोकईडीह गांव डामर रोड से आर0ई0सी0 पुल होते हुये भोजपुर सम्पर्क मार्ग तक मार्ग का नव निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों के निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-बरेली में पुलिस स्टेशन भुता के जर्जर भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर जनपद बरेली में पुलिस स्टेशन भुता का भवन जर्जर अवस्था में था जो अब पूरी तरह गिर चुका है। पुरानी दीवारों से सांप निकलते हैं। भुता में तैनात पुलिस कर्मचारियों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कार्यालय एवं आवासीय व्यवस्था के समुचित अभाव में पुलिस स्टेशन भुता क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सही से नहीं सुन पा रहे है। पुलिस स्टेशन भुता के भवन एवं आवास का निर्माण तत्काल कराये जाने की जनहित में अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-बरेली में ओसवाल चीनी मिल के बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केसर सिंह-

[मान्यवर, जनपद बरेली के नवाबगंज विधान सभा में ओसवाल चीनी मिल स्थापित है। उक्त चीनी मिल के ऊपर गन्ना किसानों का लगभग 21 करोड़ 82 लाख की धनराशि बकाया है। इसी प्रकार पीलीभीत की विधान सभा बरखेड़ा में स्थित बजाज शुगर मिल के ऊपर गन्ना किसानों का लगभग 8 करोड़ की धनराशि बकाया है। वर्तमान सरकार की स्पष्ट नीति है तथा चीनी मिलों को निर्देश है कि गन्ना किसानों की बकाया धनराशि उन्हें तत्काल भुगतान की जाये।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में सत्ताधारी गन्ना समिति अध्यक्ष द्वारा गन्ना माफियाओं का संरक्षण देकर गरीब गन्ना किसानों के गन्ने का उचित मूल्य न देकर उसे औने-पौने दामों में नगद खरीदकर वास्तविक सट्टेधारकों की आपूर्ति व्यवस्था को भंग किया जा रहा है जिससे गरीब गन्ना किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत नवेरी में चीनी मिल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनीता-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र आलालापुर जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत काफी दूर तक कोई चीनी मिल नहीं है, जनपद अम्बेडकरनगर का यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। किसानों के हित को देखते हुए जनपद अम्बेडकरनगर की आलापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नेवरी में काफी भूमि चीनी मिल हेतु उपलब्ध है। यहां पर चीनी मिल खोल दिये जाने से जहां एक ओर किसानों को सुविधा मिलेगी वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद अम्बेडकरनगर विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत नेवरी में चीनी मिल खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद-इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में पचनंदा परियोजना को जल्द प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र भरथना जनपद इटावा के चकरनगर क्षेत्र में जहां पर पांच-पांच नदियों का संगम है जैसे कि चम्बल, क्वांरी, सिन्ध, यमुना और पहुंच और साथ ही ऐतिहासिक मन्दिर भालेश्वर, कालेश्वर, सिद्धेश्वर और खेडेश्वर जैसे देवों का स्थान भी है। जिनका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यह क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। यहां पर पंचनांदा डैम बनने की परियोजना पास हुई थी जिससे बिजली की पैदावारी होगी। कई जिलों को इससे लाभ मिलेगा और पर्यटन स्थल भी बनेगा जिससे बाहर से विदेशी पर्यटक आयेंगे और लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा व क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन हरी-भरी रहेगी। वाटर लेवल ऊपर आ जायेगा साथ ही उद्योग भी स्थापित होंगे।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कई वर्षों से रुकी हुई इस पंचनंदा परियोजना के जल्द से जल्द प्रारम्भ कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद-पीलीभीत में रिंग मार्ग बीसलपुर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, जनपद पीलीभीत का नगर बीसलपुर एक ऐसा केन्द्रीय स्थल है। जहां से जनपद मुख्यालय पीलीभीत लगभग 39 किमी0 उत्तर की ओर, जनपद मुख्यालय बरेली लगभग 43 किमी0 पश्चिमी की ओर, जनपद मुख्यालय शाहजहांपुर लगभग 47 किमी0 दक्षिण की ओर एवं जनपद मुख्यालय लखीमपुर का गोला नगर लगभग 65 किमी0 पूरब की ओर है। पर्यटन स्थल होने के कारण भी भारी आवागमन रहता है, परन्तु नगर बीसलपुर के अन्तर्गत कोई भी रिंग मार्ग नहीं है, जिसके अभाव में भारी असुविधायें हो रही है। रिंग मार्ग बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0 बीसलपुर के पास रेलवे क्रासिंग से उत्तर की ओर बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग तक तत्पश्चात् मण्डी, मिनी उद्योग होते हुये चौसरा रेलवे क्रासिंग होकर राजकीय परिवहन बस अड्डे तक यहां से सीधे पश्चिम की ओर रामलीला मैदान पर बीसलपुर-दियोरिया कला मार्ग तक फिर रामलीला से एल0वी0 मार्ग तक है। यहां से रम्पुरा चौराहा रेलवे होते हुए सावेपुर-रजवाहा तक तत्पश्चात् सावेपुर रजबाहा पर बारह पत्थर मार्ग तक फिर बारह पत्थर मार्ग पर मुख्य बरेली मार्ग तक यहां से गांव सितारगंज नवदिया होकर बीसलपुर बरेली बाईपास मार्ग तक लम्बाई लगभग 8 किमी0 जिसमें 1 किमी0 पक्का मार्ग है। इस प्रकार यह रिंग मार्ग बहुत ही उपयोगी है तथा नगर बीसलपुर को विकास की ओर अग्रसर करेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये तथा उपरोक्त रिंग मार्ग के निर्माण की भी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में शिक्षा मित्रों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ शुक्ल-

[मान्यवर, दिनांक 25 जुलाई, 2017 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों के मुकदमें पारित आदेश के प्रभाव से जहां प्रदेश के लगभग 172000 शिक्षा मित्रों एवं उनके ऊपर आश्रित परिवार के समक्ष गम्भीर प्रश्न चिन्ह लग गया है वहीं प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के पठन-पाठन का कार्य भी प्रभावित हो सकता है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी कोई व्यवस्था बनायें जिससे प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों का भविष्य न हो तो प्राथमिक विद्यालयों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के गांव पचगाई, चचोई, बहोराबास एवं अगराई को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चोला में शामिल करते हुये थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के गांव पचगाई, चचोई, बहोराबास तथा अगराई थाना खुर्जा देहात के अन्तर्गत आते हैं। इन गांवों से रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चोला नजदीक पड़ती है तथा तहसील सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत ही आती है। जबकि थाना खुर्जा देहात दूर होने से साथ-साथ तहसील खुर्जा में पड़ता है, जिसके कारण इन गांवों के निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चोला के अन्तर्गत काफी बड़ा क्षेत्र आता है तथा यहां पर औद्योगिक क्षेत्र की भी स्थापना हो रही है। जनहित में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चोला का परिसीमन करते हुए इसको थाना बनाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद-कानपुर के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में पानी की टंकी का निर्माण कराकर पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती निर्मला संखवार-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत विकास खण्ड रसूलाबाद में ग्राम फतेहपुर लकोटिया वकोटिया के गडरियनपुरवा में खारे पानी के कारण 50-60 ग्राम प्रभावित है। खारे पानी की समस्या का निराकरण करने हेतु पानी की टंकी बनाकर जलापूर्ति किये जाने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हेतु प्रयास किये गये परन्तु कर्मचारियों की उदासीनता के कारण अभी तक समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। जनहित में पानी की टंकी बनाकर जलापूर्ति करके समस्या का निदान किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विकास खण्ड रसूलाबाद में खारे पानी की समस्या के निदान हेतु पानी की टंकी बनाकर जलापूर्ति किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद-हरदोई के तहसील शाहाबाद में निर्मित मुंसिफ कोर्ट आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रजनी तिवारी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद जनपद हरदोई में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु भवन बनकर तैयार है परन्तु अभी तक उस भवन में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्र के निवासियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु नवनिर्मित भवन में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नवनिर्मित भवन में मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद-फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर के विधान सभा खागा अन्तर्गत निम्न मार्गों के निर्मित न होने के कारण जनमानस को आवागमन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे क्षेत्र में जन आक्रोश व्याप्त है।

1-विकास खण्ड ऐरॉया अन्तर्गत ग्राम कल्लनपुर से दवन्ना होकर बदलुआपुर तक मिट्टी से लेकर डामरीकरण स्तर तक अ0लं0 5 कि0मी0।

2-विकास खण्ड ऐरॉया अन्तर्गत ग्राम सुकुरूपुर से टिकुरी गांव काही तक मिट्टी से लेकर डामरीकरण स्तर तक अ0लं0 4 कि0मी0।

3-विकास खण्ड विजयीपुर अन्तर्गत चन्दापुर गढ़ा से लोहंगपुर, बरियाछे होकर संगौलीपुर तक मिट्टी से लेकर डामरीकरण स्तर तक अ0लं0 5 कि0मी0।

4-किशनपुर नगर पंचायत से पहाड़पुर तक मिट्टी से लेकर डामरीकरण स्तर तक अ0लं0 4 कि0मी0।

5-विकास खण्ड विजयीपुर अन्तर्गत चन्दापुर गडहा से वलवन्तपुर बरार तक मिट्टी से लेकर डामरीकरण स्तर तक अ0 लं0 3.50 कि0मी0।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के सभी रजवहों में पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 मंजू शिवाज-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद समेत पूरे प्रदेश में इस समय किसानों के खेतों में धान की बुआई चल रही है। जिसके लिये खेतों में अनुकूल सिंचाई की आवश्यकता है। लेकिन सिंचाई के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिसके कारण फसल को नुकसान होने की पूर्ण सम्भावना है क्योंकि मोदीनगर क्षेत्र जिला-गाजियाबाद में नहर से जो रजवाहे निकले हुये है उनसे छोटी-छोटी माइनर रजवाहे भी निकले हुये है उनमें जो पानी रजवाहों से छोड़ा जाता है वह किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे शिप्रा उजेड़ा माइनर, भनेड़ा माइनर, शेरपुर माइनर, भोजपुर ब्लाक में गदाना माइनर एवं भड़जन भदोला माइनर आदि। भोजपुर ब्लाक इस समय डार्क जोन में आता है। जनहित में उक्त सभी रजवाहों में पानी उपलब्ध कराना अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र शामली के गांव लिसाड़ में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजेन्द्र निर्वाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र शामली जनपद-शामली में सितम्बर, 2013 में साम्प्रदायिक दंगा हुआ था, जिसमें विगत सरकार ने जनपद-शामली के लाख, लिसाड़, बहावड़ी आदि गांवों के लगभग बहुत सारे निर्दोष लोगों एवं युवाओं को झूठे मुकदमें में फंसा दिया गया था, जिसके कारण वहां के युवाओं को भविष्य बर्बादी के कगार पर है। इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा का कोई समुचित केन्द्र नहीं है जिस कारण इन दंगों से यह क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ गया है। ऐसी परिस्थितियों में जनहित में जनपद-शामली के उक्त गांवों के मध्य स्थित गांव लिसाढ में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-बिजनौर के विधान सभा चांदपुर में महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कमलेश सैनी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बिजनौर की मेरे विधान सभा क्षेत्र 23, चांदपुर में छात्राओं को इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु काफी दूर जाना पड़ता है जिससे छात्राओं व उनके अभिभावकों को काफी परेशानी होती है। मैंने व क्षेत्रीय जनता ने चांदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक महिला महाविद्यालय खोलने हेतु पूर्व में कई जिले स्तर पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन स्तर से मांग कर चुकी हूं परन्तु आज तक उक्त मांग की पूर्ति नहीं हो पाई हैं जिससे छात्राओं व उनके अभिभावकों में रोष व्याप्त है।

अतः नियम-301, के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करती हूं।]

प्रदेश के नगर निगमों में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले''-

[मान्यवर, प्रदेश के सभी नगर-निगमों एवं नगर-पालिकाओं में विभिन्न विकास कार्य/निर्माण कार्य हैण्डपम्प स्थापना पेयजल हेतु ट्यूबवेल का संचालन एवं विभिन्न पटलों पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर एवं सफाई व्यवस्था के उपकरण एवं गाड़ी खरीदने हेतु टेण्डर कर विभिन्न ठेकेदारों को कार्य दिये जाते हैं जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता है। वर्तमान सरकार द्वारा ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था की गयी है, जिससे भ्रष्टाचार पर कुछ प्रतिशत अंकुश लगा है लेकिन विभिन्न नगर-निगमों में बैठे नगर आयुक्त, मुख्य अभियन्ता अब भी सरकार की योजना को विफल करने में लगे हुए है। इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि टेण्डर प्रक्रिया आमंत्रित करने से कुछ दिन पूर्व निविदा डालने वाले ठेकेदारों से मिलीभगत कर विशेष शर्तें जोड़ दी जाती है, जिसके कारण अधिकारियों के नजदीकी ठेकेदार ही पुल बनाकर टेण्डर डाल पाते हैं जिससे कम संख्या में टेण्डर आने से प्रतिस्पर्द्धा नहीं हो पाती है इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये शासन को नियम बनाना चाहिए, जिसका सभी नगर-पालिका एवं नगर निगमों में पालन हो। कोई विशेष शर्त टेण्डर में जोड़ने का अधिकार जिले में बैठे अधिकारियों को न हो। मेरा सुझाव है कि 10-25 लाख तक, 26-50 लाख तक, 51 लाख से 1 करोड़ तक के विभिन्न स्टेब बनाकर किन-किन कागजों व शर्तों के आधार पर टेण्डर डालने का अधिकार होगा, यह निश्चित किया जाय, जिससे नगर-निगम, नगर पालिकाओं में अधिकारियों की मनमानी को समाप्त किया जा सके एवं भ्रष्टाचार दूर हो।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-सहारनपुर के थाना-तितरों के कतिपय गांवों को थाना गंगोह में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार-

[महोदय, जनपद सहारनपुर के थाना-तितरों के अन्तर्गत पड़ने वाले गांव हैदरपुर, मंहगी, कल्सी और बाल्लू जिनकी दूरी काफी पड़ जाती है और आवागमन का सीधा साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाता, जिस कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो गंगोह से काफी करीब पड़ते है और गंगोह थाने पर आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए थाना-तितरों से हटाकर थाना-गंगोह में परिवर्तित किया जाना जनहित से आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-मुजफ्फरनगर में स्वामी कल्याण देव चिकित्सालय व आयुर्वेदिक कालेज में घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत स्वामी कल्याण देव चिकित्सालय व आयुर्वेदिक कालेज है। पिछले चार साल से वहां के प्राचार्य डी0 आर0 दिनेश सैनी जी द्वारा कई घोटाले किये जा रहे है। इस पूरे विषय की जांच किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-औरैया में बारात घर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र दिवाकर-

[मान्यवर, जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र 204-सदर औरैया के बेटियों के शादी हेतु पहले सरकारी स्कूल मिल जाते थे लेकिन यह व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार ने खत्म कर दी थी। ऐसी स्थिति में गांव के गरीब किसान और गरीब की बेटियों के शादी के लिये कोई विवाह स्थल नहीं होने से उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में बारात घर का निर्माण आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-आगरा की तहसील किरावली में स्टेडियम निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयभान सिंह चौधरी-

[मान्यवर, जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील किरावली में निवर्तमान मुख्य मंत्री के घोषणानुसार लाखों रुपये की स्वीकृति किरावली स्थित नगर पंचायत क्षेत्र में स्टेडियम स्वीकृत किया गया था। स्टेडियम के निर्माण के नाम पर जनता के लाखों रुपया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। आज मौके पर बहुत थोड़ा काम करके जनता की गाड़ी कमाई की भारी भरकम रकम का बन्दर बांट कर लिया गया है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा उत्तर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र आगरा उत्तर के अन्तर्गत नेहरु नगर पुलिस चौकी से नेहरु नगर पेट्रेल पम्प तक की सड़क बहुत ही खस्ताहाल व जर्जर हो चुकी है। एम0जी0 रोड पर जाम होने के कारण लोग आवागमन के लिये इस रोड का सहारा लेते है परन्तु इस सड़क के जर्जर होने के कारण हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता है। इस हेतु जनसुविधाओं की पूर्ति के लिये जनहित में इस सड़क का जीणोद्वार अत्यन्त ही आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के जिला पंचायतों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्यालय स्तर पर कोष्ठक का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जन्मेजय सिंह-

[मान्यवर, नियम-301 के अन्तर्गत सादर अवगत कराना है कि पंचायती राज विभाग में जिला पंचायतों को रु0 1600.00 करोड़ से अधिक की धनराशि का निर्माण कार्यों को कराने के लिये धन आवंटित किया जाता है। इसकी समुचित देख-रेख नहीं हो पा रही है। पंचायती राज विभाग में मुख्यालय स्तर पर केवल जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक के लिये सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव फरवरी, 2007 में आया था जिसमें वित्त विभाग के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक में संयुक्त निदेशक (अधीक्षण अभियन्ता समकक्ष), सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार, कम्प्यूटर आपरेटर एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के द्वारा तत्कालीन प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा दिनांक 22-02-2007 को पदों के सृजन के लिये अनुमोदन दे दिया था, किन्तु गत सरकारों द्वारा इस पर अमल नहीं किया गया। जिस पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, इसी के क्रम में अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के जिला पंचायतों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये मुख्यालय स्तर पर कोष्ठक का सुदृढ़ीकरण करना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिला पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर मैं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद-हरदोई के सण्डीला बेनीगंज मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[मान्यवर, सानुरोध अवगत करना है कि, जनपद हरदोई के अन्तर्गत सण्डीला-बेनीगंज मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य लो0नि0वि0 द्वारा लगभग दिसम्बर, 2016 से प्रारम्भ हुआ था कुछ दिनों तक किनारे की पट्टी चौड़ीकरण का कार्य हुआ तथा आधा-अधूरा कार्य काफी दिनों से बन्द पड़ा है मार्ग अवरुध हो रहा है जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी असावधानी होती है उक्त मार्ग सीतापुर, हरदोई, कानपुर जिलों को जोड़ता है तथा पवित्र तीर्थ स्थल नैमिष व मिश्रिख से इस मार्ग का सीधा सम्बन्ध में है।

कृपया लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।]

जनपद-हरदोई में सवायजपुर तहसील मुख्यालय पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर माधवेन्द्र प्रताप -

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर, जनपद-हरदोई में तहसील मुख्यालय सवायजपुर में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु कोई भी अच्छा अस्पताल नहीं है जबकि विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर का अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण व बाढ़ ग्रस्त है इससे यहां के ग्रामीणों को इलाज हेतु निकटवर्ती जनपद शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद या जनपद मुख्यालय हरदोई को जाना पड़ता है। पूर्व में मा0 गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में तहसील मुख्यालय सवायजपुर,

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-हरदोई में एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय बनाने हेतु घोषणा की गयी थी। इस सम्बन्ध में कई बार शासन व प्रशासन स्तर पर पत्राचार भी किया गया परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आयुर्वेदिक महाविद्यालय बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के ब्लाक हाथरस में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

[मान्यवर, जनपद हाथरस में मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के हाथरस ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले गांव मिर्जापुर, विधीपुर, बाबली, नहरई नगला सामंत, श्याम नगरिया, केशोपुरा, ग्वारऊ एवं बरबाना आदि लगभग 30 गांवों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। यहां का पानी अत्यन्त ही खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। पशु भी इस पानी को नहीं पीते है। इन गांवों की ग्रामीण महिलायें 3-4 किमी0 दूर से पीने योग्य पानी लेकर आती है। शुद्ध पेयजल सबका अधिकार है। इस समस्या के निराकरण हेतु जनहित में शीघ्र शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाने हेतु कार्यवाही अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-लखनऊ के ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्व विद्यालय को लखनऊ मेट्रो रेल सेवा से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नीरज बोरा-

[मान्यवर, लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में सुगम यातायात हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा मेट्रो सेवा आरम्भ की जाने वाली है। मेट्रो के प्रस्तावित रूट में कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्र छूटे हुये है। लखनऊ उत्तरी क्षेत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय का नया परिसर, आई0आई0एम0, अरबी फारसी विश्वविद्यालय व अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय सहित अनेक राजकीय व निजी शैक्षिक उपक्रम संचालित है। छात्र-छात्राओं की सुगमता हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराना परिसर से नया परिसर होते हुये एकेटीयू जानकीपुरम् विस्तार तक मेट्रों रेल सेवा का विस्तार किया जाना व्यापक लोकहित में है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-लखनऊ के बुद्धेश्वर मन्दिर में सीताकुण्ड को पुनजीर्वित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[महोदय, आज जो महादेव जी के मन्दिर हमारे देश में हर छोटे बड़े गांव-नगर में बहुतायत से मिल जाते हैं और इनकी महिमा का गुणगान भी खूब होता है और हो भी क्यों न, आखित हमारे आराध्य भोले-भण्डारी तो कृपा लुटाने और भक्तों का कल्याण करने के लिये जाने जाते हैं। पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में बुद्धेश्वर महादेव जी का मन्दिर लखनऊ नगर की सीमा पर मोहान रोड पर स्थित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है और यातायात के अनेक साधनों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। पुराने ग्रन्थों के अनुसार मान्यता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी भगवान राम की आज्ञानुसार माता सीता को वन में छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में गुजरते वक्त वह बेहद भावुक थे और यहां पर उन्होंने शंकर जी की पूजा की थी और संयोग से वह दिन बुद्धवार का था। यहां पर भगवान शंकर का ऐतिहासिक मन्दिर बना हुआ है जहां पर श्रावण के महीने में बुद्धवार के दिन लाखों व्यक्ति दूर-दूर से भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिये आते हैं। इन लोगों की आस्था है कि श्रावण महीने के बुद्धवार के दिन पूजा करने से इनकी सभी मनोकामनायें सिद्ध हो जाती है। यहां पर रात्रि विश्राम के समय सीता जी ने स्थान भी किया था और उसी स्थान पर सीता कुण्ड भी बना हुआ है किन्तु वर्तमान समय में उसका जल भी सूख गया है और पूरी तरीके से जीर्ण-शीर्ण अवस्था को प्राप्त है। इस स्थान को भव्यता प्रदान करने और सीता कुण्ड को पुनजीर्वित करने की आवश्यकता है। यह विषय लाखो-लाख हिन्दुओं की भावना से जुड़ा हुआ है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस मन्दिर को भव्यता प्रदान करने और सीता कुण्ड को पुनजीर्वित करते हुए पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में दैनिक वेतन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश गौतम-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत कराना चाहता हूं कि शासनादेश सं0 1/2013/जी0-2-23/दस-2015-301/85 टी0सी0, दिनांक 16 फरवरी, 2015 द्वारा प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को रुपये 200/-प्रतिदिन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रुपये 170/-प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सावतें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद एवं बेहतहाशा महंगाई बढ़ने के दृष्टिगत उक्त श्रेणी-ग एवं घ के दैनिक वेतनभोगियों को दी जाने वाली दैनिक मजदूरी क्रमशः 200/-एवं रुपये 170- बहुत ही कम है। जिससे उनके परिवार के रोटी, कपड़ा, मकान एवं बच्चों की शिक्षा-दीक्षा आदि का संचालन अत्यन्त कठिन हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करता हूं कि उक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को दी जाने वाली दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कम से कम रुपये 10,000-/ प्रतिमाह एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को रुपये 15,000-/ प्रतिमाह दिलाने की व्यवस्था की जाय।]

जनपद-बहराइच में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश्वर सिंह-

[मान्यवर, जनपद बहराइच में रमपुरवा चौकी से बेहड़ा खौरीघाट तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनाई गई थी जो अब लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बहराइच को स्थानान्तरित हो गई है, जिसमें महराजगंज, महसी, राजी चौराहा एवं बेहड़ा (खैरीघाट) बड़े गांव एवं बाजार पड़ते

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं। इन गांवों में पत्थर की सोलिंग लगाई गयी थी कि पानी भरने से मार्ग क्षतिग्रस्त न हो, किन्तु वर्तमान समय में उक्त सारी सोलिंग क्षतिग्रस्त होकर जगह-जगह गड्ढे में तब्दील हो गई जिससे पैदल चलना दूभर हो गया है।

अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर उक्त कस्बों/गांवों में आर0सी0सी0 रोड एवं नाली बनाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समुचित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनीता लोधी राजपूत-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना चाहती हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-डिबाई जनपद बुलन्दशहर कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। जिसके कारण काफी छात्राओं को समस्या होती है। मेरी विधान सभा क्षेत्र से लगभग 50 कि0मी0 दूरी पर राजकीय महाविद्यालय होने के कारण छात्राओं को काफी जाने-आने में कठिनाइयां होती है। जिसके कारण छात्राओं का भविष्य संकट में है। राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद-कानपुर के प्राकृतिक झील को भू-माफियाओं से मुक्त कर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमल सिंह मलिक-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोथला में 1500 एकड़ में प्राकृतिक झील फैली है जिस पर क्षेत्र के प्रभावशाली भू-माफियाओं का कब्जा है तथा पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा झील की सौन्दर्यीकरण की योजना भी प्रस्तावित है परन्तु पूर्ववर्ती सरकारों में संरक्षण प्राप्त भू-माफियाओं के उक्त प्राकृतिक झील से कब्जा न हटाने के कारण उक्त प्राकृतिक झील के सौन्दर्यीकरण की योजना अधर में लटकी हुई है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए क्षेत्र के विकास के लिये उक्त प्राकृतिक झील को कब्जा मुक्त कराकर पर्यावरण की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

वाराणसी शहर के गौदोलिया सहित अन्य सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि वाराणसी शहर एक धार्मिक केन्द्र है तथा सावन मास में लाखों दर्शनार्थी बाबा विश्वनाथ के दर्शनार्थ आ रहे हैं काशी विश्वनाथ मन्दिर से 100 मीटर की दूरी पर गौदोलिया चौराहा जो कि भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है विगत मंगलवार को यह मार्ग लगभग 30X40 के क्षेत्रफल में ध्वस्त हो गया है तथा बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया है। संयोगवश दुर्घटना होने से बची है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रोड न बनने से आवागमन पूरी तरह ठप्प है और दूसरी बगल की रोड को बैरीकैटिंग लगाकर रोक दिया गया है इसी क्रम में महावीर मन्दिर, टकटकपुर, मीरापुर बसही, पंचकोशी रोड भी पूरी तरह बरसात में गड्ढे में तब्दील होकर पानी से लबालब भरे हुए हैं इस कारण दर्शनार्थी एवं जनता दुर्घटना की शिकार हो रही है।]

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करते हुए उक्त मार्गों का तत्काल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रूधौली जनपद बस्ती के विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से ध्वस्त है। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे तथा तहसील स्तरीय ग्रमों को 20 घण्टे की विद्युत आपूर्ति के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी विद्युत आपूर्ति में कोई प्रभाव नहीं हो पा रहा है। न तो विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति भी कोई समय सारणी निश्चित किया गया है। जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की जनता में आक्रोश है तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधियों एवं सरकार को आपत्तिजनक शब्दों से नवाज रही है जिससे प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है। टोलफ्री नं0 1912 पर शिकायतों की बाढ़ आ गयी है। हाल ही में मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश पर पावर कार्पोरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री विशाल चौहान, बस्ती आये थे उन्होंने जले हुये ट्रान्सफार्मरों को 48 घण्टे में बदलकर विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ किये जाने के आदेश दिये थे। बस्ती जोन में 230 ट्रान्सफार्मरों जून के प्रथम सप्ताह में जले, आज तक नहीं बदले जा सके। विभाग का कहना है कि 10-25 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर स्टोर में है ही नहीं पावर कार्पोरेशन यह नहीं तय कर पा रहा है कि सब-स्टेशनों के ट्रान्सफार्मरों पर कितना लोड है। इस परिस्थिति में कहीं-कहीं 10-25 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर लगते ही फुंक जा रहे हैं। विभाग का यह भी कहना है कि डिमाण्ड के अनुसार ट्रान्सफार्मर न मिलने के कारण ट्रान्सफार्मर नहीं बदले जा सके। स्थानीय प्रतिनिधियों ग्रामीण/शहरी विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा बार-बार विभागीय अधिकारियों एवं शासन से गुहार लगायी गयी लेकिन सुधार की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती ग्रामीण क्षेत्रों में न तो बिजली आने का कोई समय है और न ही बिजली जाने का ही कोई समय है। अघोषित विद्युत कटौती, लो-वोल्टेज आदि की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् सहित तमाम सामाजिक संगठन आन्दोलित है। घेराव एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा ग्रामीण क्षेत्र के लिये महज दिवा स्वपन सावित हो रही है।

कार्पोरेशन/विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के इन कृत्यों से आभास होता है कि सरकार की छवि खराब करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से इस तरह के कार्य किये जा रहे हैं।

ऐसी परिस्थिति में अनुरोध है कि भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित 18 घंटे के बजाय 12 घंटे ही विद्युत आपूर्ति हो परन्तु समय-सारिणी निर्धारित कर लो-वोल्टेज की समस्या से निजात

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिलाते हुए आपूर्ति किया जाय। जिससे ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति के समय की जानकारी प्राप्त हो सके। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-कौशाम्बी के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में पाइप लाइन से जलपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद कौशाम्बी के तहसील एवं ब्लाक सिराथू के ग्राम असकरनपुर, मंगरोहनी में पेयजल की समस्या विकराल रूप ले चुकी है जिसके सन्दर्भ में वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण वहां की जनता अत्यधिक परेशान है व अत्यधिक रोष व्याप्त है।

अतः मैं सदन के माध्यम से जनपद कौशाम्बी के तहसील एवं ब्लाक सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में पाइप लाइन के द्वारा पेयजल की आपूर्ति कराये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-लखनऊ में ग्राम बरावन कला में सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि जनपद लखनऊ स्थित ग्राम बरावन कला 5 फरवरी, 1987 को नगर निगम की सीमा में सम्मिलित किया गया था, परन्तु तीन दशक बीत जाने के बाद आज तक सीवर लाइन न होने के कारण वहां के निवासी खुले में शौच के लिये जाने के लिये मजबूर है।

अतः मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया जनहित में सीवर लाइन जैसी मूलभूत समस्या का निराकरण किये जाने हेतु माननीय पीठ से सरकार को प्रभावी निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में कोल/निर्बल आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद मिर्जापुर की विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत विकास खण्ड-लालगंज व हलिया में कोल आदिवासी बहुसंख्यक है, बहुत ही गरीब है, जंगल व वन पर आधारित कार्य करने, पत्ता तोड़ाई आदि खेती मजदूरी कार्य करते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। यह क्षेत्र अति पिछड़ा पहाड़ी वन क्षेत्र है, यहां पर स्थानीय नदी नाले भी है, यह क्षेत्र मुख्यालय से काफी दूरी पर स्थित है। जंगल व वन क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवर इनकी बस्तियों में आते-जाते रहते है। जिससे कभी-कभी जानवरों के यह शिकार भी हो जाते है। यहां के कोल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदिवासी गरीबी के कारण झोपड़ी व मिट्टी का मकान बनाकर जीवन यापन करते है। कोल, गरीब, वनवासी को निवास करने के लिये पक्के आवास की आवश्यकता है।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद-फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में बाबा बाजार को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत थाना मवई में जनता की मांग पर बाबा बाजार को थाना बनाये जाने का प्रस्ताव तैयार कर पत्र संख्या-124/13 दिनांक 16/03/2015 द्वारा विशेष वाहक के माध्यम से उ0प्र0 पु0 मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है। परन्तु अभी तक नये थाने की स्वीकृति नहीं हो पा रही है। जबकि शासनादेश दिनांक 03/09/2008 में उल्लिखित 13 बिन्दु की सूचनाओं का समावेश करते हुए व्यय भार का विवरण जनशक्ति उपकरण/संसाधन सहित तीन वर्षीय तुलनात्मक अपराधिक आंकड़े पूर्व में अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। बाबा बाजार के चारों तरफ जनता की सुरक्षा हेतु नये थाने का सृजन किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, जनपद-शाहजहांपुर की 133, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के0वि0ख0 निगोही के अन्तर्गत एल0वी0 मार्ग से डेलखेड़ा होते हुए खुदागंज तक मार्ग व एल0वी0 मार्ग से सण्डाखास खेरा सण्ड़ा होते हुये डेलखेड़ा वाली मोड़ तक प्रधान मंत्री सड़क योजना से बनी रोड अत्यन्त घटिया सामग्री लगाकर भारी अनियमिततायें बरती गयी है। उक्त सड़क मानक के अनुरूप नहीं है यह सड़क बनते ही उखड़ गयी है और उबड़ खाबड़ हो गयी है व गड्ढों में पानी होने के कारण क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दोषी अधिकारियों/ठेकेदारों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए रिकवरी कराकर दुबारा सड़क बनवाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

खुर्जा नगर में बाई-पास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर में एक बाईपास नेशनल हाई-वे 91 से जक्शन रोड तक बनाने की बहुत आवश्यकता है जिससे कि खुर्जा को जाम से मुक्त किया जा सके। ये बाई-पास खुर्जा विकास प्राधिकरण की महा योजना, 2021 में प्रस्तावित भी है। इस बाई-पास की लम्बाई लगभग 5 कि0मी0 है। इस बाईपास से नेशनल हाई-वे 91 से जक्शन सेतु जुड़ जायेगा जो कि पलवल हरियाणा को जोड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए खुर्जा नगर बाई-पास बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश के विद्यालय/महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

[मान्यवर, प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त है जिसके कारण न केवल अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य बाधित हो रहा है बल्कि बड़ी संख्या में नेट और पी0एच0डी0 डिग्री धारक नौजवान बेरोजगारी का दंश झेलते हुए दर-दर की ठोकरें भी खा रहे है। जनहित में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर अविलम्ब नियुक्ति हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 के0 वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ की विधान सभा विश्वनाथगंज नदी नालों से आच्छादित विधान सभा क्षेत्र है। ग्रामीण सम्पर्क मार्ग व अन्य जिला मार्गों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गये हैं। मार्ग सकरा होने से प्रायः दुर्घटना होती रहती है और आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। कई बार विभागीय-पत्र लिखने के बावजूद निम्नलिखित मार्गों की स्थिति में सुधार नहीं हो सका। जिससे जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

1-लक्ष्मीगंज-सराय आनादेव मार्ग का।

2-साहबगंज से सड़वा सोमवंशियान गौराडांड होकर छतरपुर शिवाला तक का।

3-रायबरेली प्रतापगढ़ मार्ग पर मोहनगंज देवघाट मझिलहा ईशीपुर होकर गायघाट मार्ग तक का।

4-सगासुन्दरपुर से गंगापुत्री घाट मार्ग का।

5-प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह मार्ग पर कैलाकला-बुआपुर से खुशिहालगंज तक विश्वनाथगंज मानधाता को जोड़ने वाले मार्ग का।

6-प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह मार्ग पर गौरा से तरौल तक के मार्ग का।

7-जेठवारा मानधाता मार्ग पर सराय हरि नारायण चौराहे से प्रतापगढ़ रजवाहा की पक्की पटरी का रामपुर मुस्तर्का तक प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग का।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः महोदय जी जनहित को ध्यान में रखते हुए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उपरोक्त मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद-फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबा गोरखनाथ-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में कोई भी राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है। इस कारण पूरे क्षेत्र की छात्राओं को दूर फैजाबाद शिक्षा के लिये जाना पड़ता है अथवा अपनी पढ़ाई को बीच में ही बन्द करना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि विकासखण्ड मिल्कीपुर के ग्राम परसवां में उ0प्र0 राजकीय नि0नि0 की इकाई सूडा-1 के अन्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय महिला महाविद्यालय के लिये अवशेष धनराशि को जनहित में अवमुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद-रायबरेली विधान सभा क्षेत्र बछरावां अन्तर्गत नहरों, रजवाहों की सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश रावत-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां क्षेत्र अन्तर्गत विगत कई वर्षों से नहरों, रजवाहों, अल्पिका, माइनरों आदि की सफाई कागजों पर होने के कारण क्षेत्रीय किसानों की कृषि भूमि की सिंचाई नहरों में पानी न आने के कारण नहीं हो पा रही है। किसानों को अपने-अपने खेतों की सिंचाई सुगमता पूर्वक करने हेतु अपने स्वयं के परिश्रम से/चंदा इकट्ठा करके नहरों की सफाई कराने के उपरान्त की जाती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27-07-2017 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 90 सूचनायें प्राप्त हुई। मैं सारी सूचनाओं को स्वीकार करता हूं। अब वक्तव्य सम्भव नहीं है इसलिये इन सभी सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

पहली श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल की जनपद उन्नाव में ग्राम चन्दनखेड़ा होते हुये ग्राम कटिधार तक पक्के मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्ध में है, तीसरी श्री शीतल पाण्डेय की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में आमी नदी में प्रदूषण फैलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी श्रीमती साधना सिंह की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर से औराई तक के मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं श्री रामानन्द बौद्ध की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला स्थित प्राइवेट डिस्ट्रेलरी को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' की जनपद हरदोई सण्डीला में मेंहदीघाट तक की सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर में काली नदी के दोनों तटों पर मौजूद अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में है, नौवी श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में आई0टी0आई0 प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में है, दसवीं श्री बावन सिंह की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में स्टेट हाई-वे से ग्राम जयरामपुरवा को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में नवसृजित ब्लाक गभाना में प्रशासक के नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं श्री रमाशंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान अन्तर्गत जर्जर सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली में इण्डियन टरपेनटाईम एवं रोजिन फैक्ट्री की खाली जमीन पर उद्योग स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के नानपारा में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं श्री तेजपाल सिंह नागर की नोएडा सेक्टर 137 स्थित पैरामाउंट फलोराबिले में अशोधित पानी की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने हेतु मिट्टी के तेल की उपलब्धता के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं श्री राकेश राठौर की जनपद सीतापुर के नगर पालिका परिषद् की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद लखनऊ में निरालानगर में आफिसर कालोनी की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा स्थित एस0एन0 मेडिकल कालेज में पोस्टमार्टम का समय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं श्री विपिन कुमार डेविड की जनपद एटा से गुजरने वाली ईसन नदी के सूखने के उपरान्त अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं डा0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में पहाड़ी नदियों के द्वारा हो रहे कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बाइसवीं श्री कपिलदेव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कूकड़ा में जौली रोड की पुलिया से जानसेट रोड तक पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरइसवीं कुंवर माधवेन्द्र प्रताप की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर स्थित ग्राम कमालपुर से भसीड़ा होते हुये शाहजहांपुर बार्डर तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबसवीं श्रीमती सुनीता की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां में भट्टों को जी0एस0टी0 ऐक्ट में समाधान योजना लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर अन्तर्गत ब्लाक खरखौदा, रविपुरा के कतिपय ग्रामों में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा डीगरा में बिजली घर का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं डा0 संगीता बलवंत की जनपद गाजीपुर में प्रमुख मार्गों

का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अटठाइसवीं श्री जन्मेजय सिंह की उ0प्र0 शासन, पंचायती राज अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 18 मई, 2017 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनतिसवीं श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधोगढ़ के जगम्मनपुर कन्जौसा को पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में किसानों को सिंचाई हेतु गंगनहर से टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं श्याम बिहारी लाल, डा0 की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में नगर पालिका परिषद् द्वारा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं श्री अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अलालापुर अन्तर्गत चाड़ीपुर को विकसित कर पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, तैतीसवीं श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में नदियों के कटान से बचाव हेतु तटबन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को शुल्क वापसी कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैतीसवीं श्रीमती निर्मला संखवार की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैतीसवीं श्री पल्टूराम की जनपद गोण्डा के कोतवाली करनैलगंज के पुलिस कर्मियों द्वारा प्रशासन को त्रुटिपूर्ण सूचना भेजकर गुमराह किये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं श्री तेजेन्द्र निर्वाल की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र शामली के राजकीय महिला इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनतालिसवीं श्रीमती कमलेश सैनी की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ग्राम सुल्तानपुर में सड़क की मरम्मत एवं जल निकासी की सुविधा कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'' की मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की भूमि का किसानों को मुआवजा दिलाने एवं आवंटियों को प्रतिकर की धनराशि वापस कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालिसवीं श्री महेश कुमार गोयल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड जगनेर में अधूरे बंधे को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं डा0 जी0एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैन्ट में धनौली ड्रनेज सिस्टम के अन्तर्गत नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं श्री किशन लाल राजपूत की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत शेरों एवं चितो द्वारा 15 मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है, चवालिसवीं श्री रमेश चन्द्र दिवाकर की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र के जुहिखा में सिन्धू पहुच, क्वारी, यमुना व चम्बल नदियों पर डैम बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पैतालिसवीं श्री चौधरी उदय भान सिंह की जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहपुर सिकरी के नगर क्षेत्र दरी-गलीचा बुनने की हस्तकला को 'हब' बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ पश्चिम में उद्योगों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैतालिसवीं श्री राम पाल वर्मा की जनपद हरदोई के अन्तर्गत कछौना से गौसगंज जाने वाले सम्पर्क मार्ग को गढ्ढा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं डा0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में मृदा परीक्षण तथा कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है, उनचासवीं श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू की जनपद बलरामपुर के वि0ख0 गैसड़ी पचपेड़वा में हार्ड स्टेटा के कारण डीप बोरिंग के दो सौ हैण्ड पम्प दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं

डा0 कमल सिंह मलिक की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के नयागांव, इनायतपुर, अब्दुल्लापुर, भगवन्तपुर, रहरवा, पूठा, क्रयावली कृषि भूमि के गायब शिजरा को पुर्ननिर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकवायनवीं श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी के उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 1000 विद्युत खम्भें लगाये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में क्षतिग्रस्त एवं जर्जर सड़क का पुर्ननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं श्री महेश चन्द्र गुप्ता, की जनपद कौशाम्बी के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं श्री संजय कुमार की जनपद कौशाम्बी में अपात्र व्यक्तियों को आवंटित शौचालय एवं प्रधानमंत्री आवास की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के तहसील लालगंज स्थित दिधियां व घोरी डैम को बाणसागर नहर से जोड़ने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा खुदागंज से निगोही एल0बी0 मार्ग तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सतावनवीं श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में सहकारी चीनी मिल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समान कार्य के लिये समान वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं डा0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में कतिपय ग्रामों में दूषित पेयजल होने के कारण पाइप पेयजल परियोजना लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं श्री काली प्रसाद की जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज थाना देवगांव कस्बा कटघर लालगंज वार्ड नं0-2 हनुमानगढ़ी में स्थित सार्वजनिक कुंओं की मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं श्री अनिल कुमार मौर्य की कैसरबाग से मलिहाबाद के मध्य उपनगरीय बस चलाये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं कुंवर अजय प्रताप सिंह 'लल्ला भइया' की जनपद गोण्डा के विद्युत वितरण मण्डल में कार्यरत संस्था मेसर्स एस0एम0एम0 इन्फ्रास्टक्चर प्रा0 लि0 उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं डा0 मुकेश वर्मा की जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं श्री श्याम धमी राही की जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम महादेवा के पोस्ट चौरी महुलानी में सिंचाई की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं श्री नीरज बोरा की लखनऊ के फैजुल्लागंज में 300 बेड का सरकारी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पैसठवीं श्री बीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के रतिभानपुर से जरैरा मार्ग पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासठवीं हाजी इरफान सोलंकी की जनपद लखनऊ के थाना कैसरबाग में हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में है, सरसठवीं श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी की जनपद भदोही के विकास खण्ड डीघ के ग्राम बेरवां पहाड़पुर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं श्री अवतार सिंह भड़ाना की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर शहर में बड़ा सरकारी अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं श्री विक्रम सिंह की लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष, 2010 में आयोजित अपर निजी सचिव परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरहवीं श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में तैनात उप निबन्धक द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं श्री छत्रपाल सिंह गंगवार की जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के ग्राम सैदपुर बुजुर्ग में भूमि की अवैध नीलामी कमिश्नर वाणिज्य विभाग द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में, बहत्तरवीं

श्री सुरेश्वर सिंह की जनपद बहराइच स्थित चहलारी घाट मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरहत्तरवीं श्री मनोज कुमार पारस की कार्यालय अधिशासी अभियन्ता मुजफ्फरनगर में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा की गयी अनियमिताओं की जांच करा कर कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं श्री तसलीम अहमद की प्रदेश में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निर्धारित वार्षिक स्थानान्तरण नीति का अनुपालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं श्री कल्पनाथ पासवान की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं श्री अमन मणि त्रिपाठी की प्रदेश में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तहत्तरवीं श्रीमती पिंकी सिंह यादव की जनपद लखनऊ के थाना काकोरी स्थित ग्राम अल्लूपुर के गाटा संख्या-64 पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं श्री धर्मेन्द्र कुमार शाक्य की जनपद लखनऊ के लकड़मण्डी सआदतगंज स्थित खाली पड़े भूखण्ड पर अनियमित ढंग से गृहकर लगाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नयासिवीं श्री संजीव कुमार की वन विभाग द्वारा आदिवासियों को परेशान एवं उनको उजाड़ने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं श्रीमती मनीषा अनुरागी की अवर अभियन्ता देवरिया के विरुद्ध शिकायत एवं जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकयासीवीं श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में कतिपय विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं श्री बाबा गोरखनाथ की जनपद फैजाबाद में निर्माणाधीन 100 बेड के अस्पताल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं मो0 रिजवान की अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड सहारनपुर द्वारा अनियमितायें किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं श्री नाहिद हसन की जनपद बागपत के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में तैनात एन0एम0ए0 को पद मुक्त करने के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कुवानों नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं श्री सुशील कुमार शाक्य की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी के पक्ष में भूखण्ड का निबन्धन न किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में गौरा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं श्री अनूप बाल्मीकि की ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में अवैध नियुक्ति व स्थानान्तरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं श्री राम नरेश रावत जनपद रायबरेली के बछरावां विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में तथा नब्बेवीं श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सभी सूचनायें ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

प्रदेश में बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू कराने तथा उक्त बन्द मिलों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने हेतु कार्य-योजना बनाने विषयक दिनांक 12-07-2017 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-09, नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री सुभाष पासी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-41 में प्रदेश में बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में नियम 49 में आधे घण्टे की चर्चा लगी थी उसके प्रस्तावक अनुपस्थित हैं इसलिए मैं उसे समाप्त करता हूँ।

सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, 11 तारीख से हम लोग इस सदन में बैठे थे बजट सत्र के लिए। आप सहमत होंगे कि कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था कि 28 तारीख तक सदन को हम चलायेंगे। बीच में विपक्ष के द्वारा बिना कोई ठोस आधार के, केवल नेता सदन के वक्तव्य के बाद उन्होंने ऐसा व्यवहार एडॉप्ट किया जो किसी भी दशा में उचित नहीं था। बार-बार सदन के बाहर यह कहा जाता रहा कि हमारा माइक बंद कर दिया गया, हमको बोलने नहीं दिया गया। मान्यवर, कार्यवाही में इंगित किया गया है कि 6 बजकर 20 मिनट से लेकर 6 बजकर 50 मिनट तक तीन बार अपनी सीट से खड़े होकर मैंने भी आपसे आग्रह किया था कि नेता प्रतिपक्ष को केवल स्पष्टीकरण मॉगना चाहिए लेकिन उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जो सदन में कहे जाने के लिए न तो मर्यादित थी और न परम्पराओं के अनुकूल थी। इस प्रकार के दृष्टांत किसी भी प्रकार से उचित नहीं थे जिस प्रकार से नेता विरोधी दल ने कहा। मान्यवर, हमारी यह पूरी कोशिश थी कि सदन को ज्यादा से ज्यादा चलाया जाये। अगर हमारे स्थान पर यह होते, मुझे याद है कि 11 और 12 मार्च, 1990 की जब समाजवादी पार्टी के मुख्य मंत्री यहॉ हुआ करते थे और एक ही दिन में पूरा बजट पास कराया गया था, 11 मार्च, 1990 की बात मैं कर रहा हूँ जब पहली बार सरकार बनी थी। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ स0पा0 ने भी और ब0स0पा0 ने भी एक-एक दिन में बजट पास कराया। लेकिन हम चूँकि इस बात के लिए संकल्पबद्ध थे, माननीय नेता सदन ने, मा0 मुख्यमंत्री जी ने कई बार इस बात को कहा कि वह भी सदन ज्यादा चलाना चाहते हैं, बहस हो, चर्चा हो। जो बात बाहर कही जाए, वह सदन में पहले कही जाए और इसी उद्देश्य से पिछले 22 तारीख से वह यहॉ पर नहीं हैं दो दिन इस हफ्ते से पहले और उसके बाद 24 तारीख को मैं यह उम्मीद करता था कि एक माननीय सदस्य का निधन हुआ है तो कम से कम हम लोग यहॉ पर साथ-साथ बैठकर शोक-संवेदना व्यक्त करेंगे लेकिन मान्यवर, उस मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा गया। इसके ऊपर आप अपनी व्यवस्था भी दे चुके हैं।

मान्यवर, हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा सदन चलाने का है और यह सरकार भी चाहती है। आज कई दिनों से, लगभग एक सप्ताह से विपक्ष यहॉ पर नहीं है लेकिन अगर हम भी इनकी तरह आचरण करते तो हम भी उसी दिन, जिस दिन इन्होंने बहिर्गमन किया था, उसी दिन हम भी पूरा बजट पास कराकर चले जाते। लेकिन हमने सोचा कि अब लौट आयें, अब लौट आयें। कई बार सदन में कानून-व्यवस्था के ऊपर इधर से बात आयी। आपने कृपा-पूर्वक इनकी सूचनाओं के ऊपर ध्यानाकर्षण किया था। हमने आखिर में भी यह कोशिश की कि पूरा बजट पास कराने के बाद भी गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को इसलिए छोड़ दिया कि अगर मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता ब0स0पा0 और मा0 नेता कॉग्रेस अपनी बात यहॉ पर सदन में रखेंगे तो माननीय मुख्य मंत्री जी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसका पूरी तार्किक तरीके से जवाब भी देंगे लेकिन कल मैंने उनसे आग्रह किया, आग्रह इसके पहले भी दो-तीन बार किया। पहले तो उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। जबकि सामान्य परम्परा है मान्यवर, कि अगर कोई कॉमन मैन भी अगर कोई फोन करता है तो उसका रिस्पांस दिया जाता है। नेता विरोधी ने पहले वाले फोन का रिस्पांस भी नहीं दिया। जब 24 तारीख को मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ तो बोले कि हम आपके घर आ जायेंगें और कोई ऐसी बात नहीं है और वह बात नहीं कर पाये, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कल फिर से नेता समाजवादी पार्टी नेता विरोधी दल, नेता बहुजन समाज पार्टी और नेता कॉग्रेस, इन तीनों से मान्यवर, आग्रह किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी भी चाहते थे कि कम से कम हम सदन की अंतिम दिन की कार्यवाही में सभी लोग साथ-साथ बैठें क्योंकि जनता ने 5 साल के लिये चुनकर भेजा है मान्यवर, 4 महीने के लिये चुनकर नहीं भेजा। इस बात का इनको भी एहसास होना चाहिए। तो हमने अनुरोध किया माननीय नेता विरोधी दल से, माननीय नेता बसपा से, माननीय नेता कॉग्रेस से कि यह लोग आज सदन में जरूर उपस्थित हों लेकिन मान्यवर, बसपा ने तो कह दिया कि मैं तो पहले से ही यह तय किये बैठा था कि मै 27 तारीख को नहीं रहूँगा जबकि वह कल यहीं पर थे। नेता विरोधी दल ने कहा कि साहब अब हम अगले सत्र में साथ-साथ बैठेंगें। नेता कॉग्रेस ने कहा कि हम अकेले क्या करेगें?(हँसी) तो मान्यवर, इस सरकार की मंशा चर्चा करने की है विभिन्न मुद्दों पर। हम आलोचना भी सुनने को तैयार हैं मान्यवर और हम सुझाव भी सुनने को तैयार हैं लेकिन जो काम सदन में होना चाहिए था मान्यवर, वह काम कहीं सेन्ट्रल हाल में, कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से कहीं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से किया गया। मान्यवर, हमारी पार्टी की नीति और नीयत दोनों साफ है। हमारी पार्टी का नारा था **'त्याग, तपस्या और बलिदान'** । माननीय योगी जी उसके प्रतीक हैं। त्याग भी है, तपस्या भी है और बलिदान भी है मान्यवर। (मेजों की थपथपाहट) एक सन्यासी जब घर से निकलता है तो उसके घरवाले कभी अभिनन्दन नहीं करते। लेकिन समाज, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिये जिए, जो दूसरे की जिन्दगी को आसान बनाने के लिये जिए, यह समाज सदैव से, आदिकाल से उसका अभिनन्दन करता आया है(मेजो की थपथपाहट) यह हमारी परम्परा रही है कि हम गेरूआ वस्त्र देखकर नतमस्तक होते हैं, गेरूआ वस्त्र को देखकर शीश झुकाते हैं, यह हमारी परम्परा है। हमने उसी परम्परा के तहत मान्यवर, माननीय मोदी जी ने एक बहुत योग्य और एक जनप्रतिनिधि जो गोरखपुर की धरती से 5-5 बार चुनाव जीतकर आये योगी जी, मान्यवर, उनको इस प्रदेश की कमान सौंपी। इनके सामने अपना कोई एजेन्डा नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक केवल एक ही एजेन्डा है कि किस तरीके से प्रदेश की स्थिति में सुधार हो, किस तरीके से आम आदमी की जिन्दगी में बदलाव आये।(मेजों की थपथपाहट) लेकिन इनका काम तो सिर्फ आलोचना करना है। आलोचना करें मान्यवर, इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन सदन से भागने की जो प्रवृत्ति है मान्यवर, यह बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को फिर से अपने आचरण पर एक बार विचार करना चाहिए और आज आना चाहिए था यहाँ पर। कम से कम अपनी बात रखते, स्पष्टीकरण माँगते तो उनका जवाब भी आ जाता। इसीलिये आज के मौके पर जब हम मिलते हैं तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, खुशी होती है लेकिन जब किसी न किसी रूप में डिस्बर्स होते हैं, बिछड़ते हैं तो यह लगता है कि अब महीने भर, दो महीने, तीन महीने बाद कब बैठेंगें सदन में।

मैं उन सभी लोगों को, जिन माननीय सदस्यों ने इस कार्यवाही में हिस्सा लिया, बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बहुत से नये सदस्य हैं जो विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखना चाहते थे, बहुत से लोगों को बोलने का मौका भी मिला। आपने कृपापूर्वक बजट के ऊपर 73 लोगों को मौका दिया, 74वें माननीय मुख्यमंत्री जी थे। मान्यवर, उसके बाद भी कल जब गृह विभाग और सामान्य प्रशासन की चर्चा आई तो भी हमारे कम से कम 20 सदस्यों ने अपनी बात रखी। जो लोग पहली बार सदन में आये हैं उनकी इच्छा भी होती है कि हम लोग यहाँ से अपनी फोटों लें अपने क्षेत्र में छपवाएं जाकर। ज्यादा से ज्यादा सदन चले, हम चाहते थे और हमने अपनी इस बात को पूरा भी किया। हम चाहते थे कि 28 तक सदन चले लेकिन मान्यवर, जब ऑपोजीशन बैंच पर कोई बैठता नहीं तो बाकी हमारी पार्टी के सदस्य लोग हमसे कहते थे कि आखिरकार किसलिये यह सदन चला लेकिन नेता सदन ने यह बात कह रखी थी शुरू से कि हम ज्यादा से ज्यादा सदन चलाना चाहते हैं इसलिये हमने उसको आखिर तक कोशिश की कि विपक्ष अपने रास्ते पर आ जाय लेकिन मान्यवर हमको इस बात का दुख है हम यह जरूर चाहेंगे आपके माध्यम से, और सदन के माध्यम से, हम कहना चाहते हैं कम से कम इनको अपनी जिम्मेदारी एहसास जरूर होना चाहिए।आपने जिस सदाश्यता से सदन का संचालन किया और जिस तरह से आपने हमारे संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, आपको हम व्यक्तिगत रूप से, अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस प्रकार से आपका स्थान है, आपकी ख्याति है पूरे हिन्दुस्तान में, एक लेखक के रूप में, एक विद्वान के रूप में, एक वेदों के ज्ञाता के रूप में, यह अपने आप में प्रशंसनीय है और यह पूरा सदन सौभाग्यशाली है..(मेजें थपथपाई गईं)

जिसने आप जैसे व्यक्ति को यहां पर एक पीठासीन अधिकारी के रूप में आसीन किया । हम आपके एक-एक शब्द का, एक-एक सेन्टेन्स का, महत्व भी समझते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसका समादर हो, सम्मान हो, हम चाहते हैं आप हमेशा इस तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते रहें।हम सभी माननीय सदस्यों का, सभी मीडिया कर्मी का, सभी अधिकारियों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने सदन की कार्यवाही के संचालन में हमारा सहयोग किया, अपने मंत्रिमंडल के भी सभी माननीय साथियों का आभार प्रकट करना चाहते हैं जिस तरह से माननीय मंत्रियों ने पूरा समय देकर इस सदन की कार्यवाही में, संचालन में, और अपने-अपने विभागों का प्रतिनिधित्व करने में अपनी भूमिका निभाई। मान्यवर, हम मार्शल सहित सदन के जितने भी कर्मचारी हैं इन सबका धन्यवाद करना चाहते हैं और अन्त में हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि आज भी भोजन कैफेटैरिया में है। सभी लोग इस अच्छे वातावरण के बाद, जनगण मन के बाद भोजन भी ग्रहण करें। माननीय नेता सदन ने व्यवस्था की है। मैं एक बार फिर सभी के प्रति आभार प्रकट करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्या)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन सहित हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी,और दोनों माननीय उप मुख्य मंत्री के साथ-साथ हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सदस्य गण, मान्यवर, लगातार निर्वाध रूप से, आपके नेतृत्व और निर्देशन में सदन के संचालन के लिए मैं अपने समस्त माननीय सदस्यों की ओर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ ।

(मेजें थपथपाईं गईं)

और भी खुशी होती जब विपक्ष यहां मौजूद होता, देश की आजादी के इतने बड़े अन्तराल में पहली बार किसी सदन में विपक्ष भगोड़ा साबित हुआ है अपनी भूमिका के निर्वहन करने से पलायन कर गया। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं है। अगर लोकतंत्र में विश्वास होता संविधान में विश्वास होता तो इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी समस्त बातों को इस सदन में रखते। मैं भी तीन-तीन बार नेता विरोधी दल रहा हूँ। माननीय नेता सदन ने तो सामान्य सी बात कही थी, अपनी उपलब्धियों को बताते-बताते इस बात का एहसास कराया था कि हमारी संस्कृति कार्य की है,हमारी संस्कृति सबका साथ सबका विकास की है और हम राष्ट्र के निर्माण और प्रदेश के निर्माण में आगे चल रहे हैं। हमारी संस्कृति गुण्डाराज की नहीं है, जंगलराज की नहीं है, केवल इस बात को बताने की कोशिश की थी। लेकिन वाह नेता विरोधी दल, जो इसी विधान मंडल में अपनी नेता विरोधी दल की कुर्सी से इस बात को कहा इस बात को कहा था जो कार्यवाही में भी लिपिबद्ध है कि यदि हम विपक्ष सत्तापक्ष पर भारी नहीं पड़ेंगे तो सदन छोड़कर चले जाएंगे । यह उनकी उक्ति है और सदन छोड़कर चले जाने का कार्य करके इस बात को साबित कर दिया कि सत्तापक्ष के सामने विपक्ष ने पहले से ही अपने को बौना मान लिया । जिस विपक्ष का धर्म था सत्ता पर नकेल लगाने का सरकार पर अंकुश लगाने का सरकार की किसी भी ऐसी बात जो प्रदेश हित में न हो उस पर अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने का वह विपक्ष भगोड़ा साबित हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

वह इस समय हैं नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह विपक्ष का निन्दनीय कृत्य है । आज जहॉ हम आपको बधाई देने और धन्यवाद देने के लिए खड़े हैं वहीं पर विपक्ष के इस कृत्य की निन्दा भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय जी मैं नेता सदन को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने ही कम समय में उत्तर प्रदेश के विकास की जो नीव रखने का काम किया और सभी को साथ लेकर चलने के लिए जो उन्होंने रात दिन एक करके पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार निरन्तर लोगों के बीच में जा-जा करके उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया है स्वाभाविक रूप से उनकी यह मेहनत, उनका परिश्रम, उनका नेतृत्व हम सबका उत्साहवर्धन करेगा और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर प्रशस्त होगा इसके लिए भी हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अभी और बोलेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष महोदय जी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके प्रमुख सचिव सहित उनके सभी अधिकारीगण ।

श्री अध्यक्ष-

आपने हमको नहीं दिया इनको पहले दे दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इनके अधीन सभी कर्मचारीगण को मार्शल और सुरक्षाकर्मी को पत्रकार बन्धुओं को इस निवेदन के साथ कि चूँकि विपक्ष तो आज है नहीं जो निवेदन और बात विपक्ष को करनी चाहिए थी, वह उससे भी भाग गए मैं एक अनुरोध यह करूँगा 8500 रुपए की जो परिपाटी है वह बहुत लम्बे

अरसे से चली आ रही है । हम इसको चाहेंगे कि कम से कम माननीय मुख्य मंत्री जी सदाशयता करते हुए यह सभी कर्मचारी जो रात-दिन एक करके इस विधानमण्डल की कार्यवाही में अपना योगदान देते हैं उनके मानदेय को रु0 8500 से बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपए कर दें।

श्री अध्यक्ष-

इस सम्बंध में आप माननीय मुख्य मंत्री जी से अलग से बात कर लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, लिफ्टमैन जिसकी कोई नहीं सुनता जो माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे लोगों को नीचे से ऊपर ले आते हैं । मान्यवर, मैं पिछली सरकारों के सामने इस बात को करते करते थक गया, लेकिन वह लिफ्टमैन जो 24 घंटे यहाँ कार्य करता है मात्र 7 हजार वेतन पाता है । 20-25, 30 साल की लम्बी सेवा है । माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने हमने इसीलिए अनुरोध किया कि उनका भी संज्ञान लेंगे । उन पर कृपा होगी। और 25-30 साल की सेवा करने वाले लोगों का भी भला हो जाएगा। इसी अनुरोध के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए सभी माननीय सदस्यों की बहुत ही सकारात्मक भूमिका के लिए उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

***श्री नीलरतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदन आज जिस तरीके से गृह विभाग पुलिस बजट पर श्रम विभाग, न्याय विभाग ऐसे तमाम बजट पर जिस तरीके से पारदर्शी बजट इस बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया निश्चित तौर पर हम एन0डी0ए0के घटक दल के रूप में नेता सदन होने के नाते माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सम्मानित सदन की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। निश्चित तौर पर हम लोग इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। हमनें जिस तरीके से देखा कि पुलिस तंत्र जो 15 सालों से अपने आपको लाचार और बेबस महसूस कर रहा था, गुण्डे पुलिस के ऊपर हावी थे, आज पुलिस मैनुअल एक्ट में तमाम परिवर्तन करके बाह्य सुरक्षा के साथ-साथ आन्तरिक सुरक्षा पर जोर देकर के जो 100 नम्बर की गाड़ियाँ पूर्ववर्ती सरकार के लिये धंधा करने का काम करती थीं, इस उत्तर प्रदेश की जनता का शोषण करने का काम करती थीं, उसमें परिवर्तन करके इस सदन ने उत्तर प्रदेश को विश्वास दिलाने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कि यह देश और यह प्रदेश निश्चित तौर पर तभी विश्वगुरू था जब बेटियों का सम्मान होता था, माँओं का सम्मान होता था। आज इस उत्तर प्रदेश की तीन बेटियों ने क्रिकेट के क्षेत्र में इस उत्तर प्रदेश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है और विश्व में उप विजेता बन करके इस उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन बेटियों के सम्मान में उनके अन्दर ऊर्जा का संचार करने के लिये उनको हौसला देने के लिये इस सदन के माध्यम से उनका मान बढ़ाने का काम किया है। हमारा उत्तर प्रदेश जो पड़ोसी राज्य बिहार से सटा हुआ है, जिस राज्य से तमाम चाहे शराब माफिया हों, चाहे गुण्डे हों, चाहे बदमाश हों, इस उत्तर प्रदेश में घटनाओं को अंजाम देकर के बिहार में छिपने का काम करते थे, लेकिन आज माननीय नितीश कुमार जी ने बिहार में जो फैसला लिया है जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एन0डी0ए0 के साथ जुड़कर के बिहार की सरकार बनाने का काम किया है, उसके लिये अपना दल की तरफ से, इस एन0डी0ए0 की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर बिहार का सर्वांगीण विकास होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनन्दन-वंदन करते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अभी इस सदन में एक मा0 सदस्य ने डायरी का मामला उठाया था। मेरे पास प्रमुख सचिव, सूचना की तरफ से सूचना आई है कि सदन का जो पटल है वहाँ पर डायरियाँ रखी हैं तो जब आप मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित भोज का आनन्द लेने के बाद यहाँ से निकलेंगे तो आप अपनी डायरी प्राप्त कर लेंगे। इस आदरणीय सदन में अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस सत्र की लगभग समाप्ति की ओर संकेत करते हुये आप सबके प्रति और जो इस आदरणीय सदन के अनुष्ठान, अधिष्ठान से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और इस सदन में होने वाले वाद-विवाद, उसकी सूचना देश-प्रदेश तक पहुँचाने वाले पत्रकार और इस आदरणीय सदन की कार्यवाही और अनुष्ठान से जुड़े सभी अंगों, उप अंगों को धन्यवाद दिया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पक्ष और विपक्ष से जुड़े भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। चूंकि हम लोग आज इस सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और इसके बाद जो भेंट मुलाकात होगी वह भिन्न प्रकार की होगी। इस प्रकार आदरणीय सदन के रूप में समवेत होने का अवसर आगे फिर कभी आवश्यकतानुसार, अपेक्षानुसार आयेगा।

मुझे इस आदरणीय सदन के एक विनम्र अंग और कार्यकर्ता के रूप में आप सबके साथ इस सत्र में और पीछे वाले सत्र में काम करने का अवसर मिला है। मैं और माननीय खन्ना जी इस सदन से बहुत पहले से जुड़े सदस्य हैं। आपमें से अनेक हैं कोई छह बार का है, कोई पाँच बार का है। मुझे ऐसा स्मरण नहीं आता कि इस सदन में मुख्य मंत्री के रूप में कोई माननीय मुख्यमंत्री बहुत लम्बे समय तक सहज और सरल भाव में सदन में उपस्थित रहे हों जितना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस सदन को अपना समय दिया है। आपने भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर वक्तव्य के माध्यम से और इस बजट के प्राविधान में, बजट की सामान्य चर्चा में और अपने विभाग का बजट पुलिस विभाग का, सामान्य प्रशासन विभाग का, उस पर तो अपना समय दिया ही है, छोटे-छोटे प्रश्नों के बीच में भी प्रश्नकाल में भी मुख्य मंत्री होते हुए भी उन्होंने प्रश्नों का स्वयं उत्तर देने का साहस जुटाया है और यह बात मैं इस आधार पर और कह सकता हूँ कि बहुत लम्बे समय तक सदन के भीतर एक बहुत विनम्र सदस्य के रूप में सदन की प्रत्येक गतिविधि को बहुत ध्यान से देखना, ऐसा हमारा स्वभाव रहा है। तो उसमें जिस तरह प्रमाणिकता से लोकतंत्र के प्रति और संसदीय लोकतंत्र के प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उद्गार व्यक्त किये हैं, प्रतिबद्ध किया है अपने को, इसके लिए इस सदन को गर्व करना चाहिये। इस आदरणीय सदन ने पीछे के कई प्रतिमान अभी विधान सभा की उम्र चार महीने से ज्यादा नहीं है, लेकिन इस आदरणीय सदन ने अपनी कार्यवाही के दौरान अनेक नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। पहले प्रश्नोत्तर होते थे, इसके पहले की विधान सभा में भी। प्रश्नोत्तरों के दौरान उत्तरों की तैयारी यह एक बड़ा काम होती है और अधिकारीगण माननीय मंत्री के लिए उत्तर तैयार करते हैं। माननीय मंत्रीगण, उस पत्रावली का अध्ययन करते हैं। उत्तर का आकार छोटा-बड़ा

होता है। हमने विश्लेषण किया है इस सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों का और पुरानी सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों का, अध्ययन करने में आनंद भी आता है उसमें कोई शोध करने अथवा पी0एच0डी0 प्राप्त करने जैसा नहीं, लेकिन एक सुख मिलता है, एलालिसिस में, विवेचन में, विश्लेषण में। तो आप अगर पुरानी सरकार के प्रश्नोत्तर को देखे और इधर जो नई सरकार है इसके प्रश्नोत्तर को देखेगें तो यह पायेंगे कि उत्तर ही अपने आप में काफी बड़ा बनाया गया है।

कई बार माननीय मंत्रिगणों को बड़े उत्तर से कठिनाई भी इस सदन में आई है। दो पेज का उत्तर हो गया, तो उसमें से अनुपूरक तमाम पैदा हो गये। मैं इसे एक अच्छे रूप में ले रहा हूँ। बड़ा उत्तर तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्पष्ट उत्तर था, लेकिन आकार में बड़ा भी था। ऐसे अनेक प्रश्न हमने देखे यहां से। लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, सदन के प्रति प्रतिबद्धता यह हमारे संविधान निर्माताओं का स्पष्ट सपना था। संविधान सभा की बैठक में जब ड्राफ्ट संविधान पर चर्चा हो रही थी तो उस समय यह विषय बड़ी गंभीरता के साथ उठाया गया था कि हमने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है उसमें स्थिरता नहीं है और स्थिरता न होने के कारण सरकारें बड़ी जल्दी-जल्दी अल्पमृत्यु का शिकार होती रही है। जैसे अमेरिका की सरकार है तो वह स्टेबिल है, उसकी तारीख तय है कि इस तारीख को नये राष्ट्रपति का चुनाव हो जायेगा और इस तारीख को इतने बजे राष्ट्रपति महोदय स्थान ग्रहण कर लेंगें। लेकिन, मैं अपने यहां की चर्चा करूंगा संक्षेप में और फिर बात समाप्त कर दूंगा। अपने यहां जो व्यवस्था अपनाई गयी है उसमें सदन को अधिकार दिया गया है कि वह सरकार को जवाबदेह बनाये रहे।

संविधान सभा में आदरणीय डा0 भीम राव अम्बेडकर जी ने कहा है कि हमने स्टेबिलिटी की तुलना में उन्होंने यही शब्द प्रयोग किया था तो इसलिए मैं यही शब्द दोहरा रहा हूँ, आदरणीय डा0 भीम राव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमने स्टेबिलिटी की तुलना में रिस्पांस्बिलिटी को ज्यादा महत्व दिया है। (सदन में मेजों की थपथपाहट) अर्थात् कि सरकार अपने प्रत्येक काम के लिए आदरणीय सदन के प्रति जवाबदेह है। इस तरह आदरणीय सदन की अपनी गरिमा, अपनी महिमा, अपने विशेषाधिकार, अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा, अपना पौरूष, सदन का सामूहिक पौरूष इस नाते वह सदन सरकार से बहुत बड़ा हो जाता है। सरकार उसके भीतर काम करती है। सरकार के आदरणीय सदस्य, मंत्रीपरिषद् के सदस्य, इसी आदरणीय सदन के सदस्य होते हैं। अंतर केवल इतना हो जाता है कि उन्हें जवाब देना पड़ता है और जो मंत्री नहीं है वह जवाब प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तुत की थी और जब संविधान सभा के दर्शन और उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के भीतर आदरणीय पं0 जवाहर लाल नेहरू जी ने रखा था संविधान सभा के भीतर तो वह आठ-नौ बिंदुओं का प्रस्ताव रखा था। लेकिन, मुझे एक बिंदु बहुत आकर्षित करता है। मैं उसी का उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा था कि यह प्राचीन भूमि, प्राचीन भूमि का मतलब भारत हजारों वर्ष प्राचीन सभ्यता संस्कृति, ज्ञान, प्रज्ञान, सभ्यता, तपस्चर्या, अनुभूति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक जीवन पद्धति की जो भूमि है, यह संविधान सभा की डिबेट में है, यह विश्व में अपना स्थान प्राप्त करेगी और वह, उनके लोग प्राप्त कर पाये कि नहीं प्राप्त कर पाये, लेकिन एक विशेष प्रकार की राजनीतिक धारा जिसके लिए हम लोग यहां उपस्थित हैं भारी तादाद में उस राजनीतिक-सांस्कृतिक विचारधारा को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। यहां पर पर उसी के अगुआ मंत्रीपरिषद् के आदरणीय सदस्य, मा0 मुख्यमंत्री जी और अनेक वरिष्ठ सदस्य तथा कनिष्ठ सदस्य जो

यहां बैठे हैं वह भी उस विचारधारा से प्रतिबद्ध हैं। इस सबके बावजूद उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश कई देशों से भी बड़ा अपना राज्य उसकी यह आदरणीय विधायिका पवित्र सदन इस सदन के भीतर कुछ प्रसंग ऐसे भी आये जिनके कारण बाहर सदन की बदनामी हुई। जिनको लेकर सदन के नये सदस्यों के अंदर मैंने बड़ी बैचेनी देखी। जो पहली बार इस आदरणीय सदन में आये हैं उनके भीतर एक कल्पना रही होगी कि सदन ऐसे चलता होगा, ऐसे बहस होती होगी, लोग मुस्कुराते होंगे, लोग चर्चा करते होंगे, बड़ा अच्छा वातावरण होगा।

हमारे उन्नाव के एक सदस्य बोल रहे थे कि हम तो सुनते थे कि यहां बढ़िया-बढ़िया होगा लेकिन यहां तो सब लड़ाई ही किया करते हैं यहीं सदन में ही बोल रहे थे बहुजन समाज पार्टी के सदस्य। नये सदस्यों पर इसका प्रभाव पड़ा होगा। जो पहली बार आये हैं मैंने कोशिश की है कि वह सब बोलें। आपकी उत्सुकता रही, काफी समय मिला भी लोगों को, अनेक लोग रह गए, जो रह गए मैं उनसे क्षमा-प्रार्थी हूँ, मैं उनको नहीं बोलवा पाया। लेकिन जो बोले, वह अच्छा बोले, नए सदस्यों का बड़ा भाग, इस बार भी सौ-सवा सौ माननीय सदस्यों ने इस छोटे से सत्र में अपने विचार रखने का अवसर पाया है और उनके विचार खूब अच्छे रहे हैं और जो नहीं बोले तो उनका मौन भी, क्योंकि मौन की भी अपनी शक्ति होती है, योग में मौन की बहुत बड़ी व्याख्या है। हम भी जब नीचे बैठते थे तो ज्यादा बोलने का मिलता था। यहाँ स्पीकर की परिभाषा ही होती है कि जो सबसे कम बोले, वही स्पीकर है। (हँसी), यह परिभाषा है, ब्रिटिश संसदीय परिपाटी की, जो सबसे कम बोले। तो इस अवसर पर सदन की आन्तरिक अनुशासन व्यवस्था पर कई बार मैंने किसी को रोका होगा, कई बार टोका होगा, कई बार हँसी-मजाक हुआ होगा। अनेक माननीय सदस्यों ने हाथ उठाया, मैं उनको नहीं बोलवा पाया, मैं उनके प्रति क्षमा-प्रार्थी हूँ।

बहुत उत्कृष्ट काम यहाँ हुआ इस नयी विधान सभा में, अनेक नए विषय आए, अनेक नए प्रसंग आए, उनका सबका उल्लेख करूँगा तो कदाचित् ठीक नहीं रहेगा। कुछ ऐसे काम हुए विपक्ष की तरफ से जिनको लेकर बाहर हमारा अपयश हुआ, मुझे विश्वास है कि सब लोग स्वयं में आत्म-निरीक्षण करेंगे जो भी इस तरह के उत्तर प्रदेश विधान सभा के अपयश के भागीदार होंगे। इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की मंत्रि-परिषद् है, उसके सभी आदरणीय सदस्यों ने इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लिया, पूरी जिम्मेदारी के साथ, प्रश्नों के समय भी, बहस के समय भी, सब लोग उपस्थित रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ कि इस सदन की कार्यवाही में उन्होंने पहले की तुलना में और ज्यादा समय दिया और भिन्न-भिन्न विषयों में हस्तक्षेप किया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भिन्न-भिन्न विषयों पर और बहुत ठीक से जिम्मेदारीपूर्वक सत्ता का पक्ष रखा, विपक्ष को भी सुना। माननीय उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद जी, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, माननीय कृषि मंत्री, मा0 मौर्या जी, मा0 महाना जी ऐसे सब पूरी की पूरी कतार है, मैं सब के प्रति आदरभाव और पूरे सदन के प्रति जो यहाँ का वातावरण है, इसको मन्दिर, मण्डप, श्रद्धा का केन्द्र, उत्तर प्रदेश की चेतना का, सामाजिक परिवर्तन का, राजनैतिक परिवर्तन का पॉवर हाउस यह मण्डप, मैं सभी वरिष्ठ, कनिष्ठ माननीय सदस्यों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद।

अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव रखें।

विधान सभा के सदस्यगण तथा पत्रकारों के लिए मध्यान्ह भोज की सूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों से भी आग्रह करूँगा कि आज के मध्याह्न भोज में भी वहाँ जूठन करायें चल के, वहाँ हमारा साथ दें।

सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आदरणीय सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्र-गान

श्री अध्यक्ष-

अब राष्ट्र-गान करते है।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे ।
भारत भाग्य विधाता ।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंग ।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ।
गाहे तव जय गाथा ।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 20 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः दिनांक 27 जुलाई, 2017।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 350 विधान सभा (654)-21-03-2018-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।